तृतीय अंक | वर्ष 2024-25

नागकेसर

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) एवं

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

त्रिपुरा, अगरतला- 799 006

चश्मा बंदर

फेयरे का पत्ता बंदर, जिसे चश्मा बंदर, चश्माधारी बंदर या जिसे **फेयरे का लंगूर के नाम** से भी जाना जाता है, एक मध्यम आकार का प्राइमेट है जोकि दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। त्रिपुरा में यह बंदर अपनी आँखों के चारों ओर सफेद छल्लों के लिए जाना जाता है, जिससे इसका नाम चश्मा बंदर पड़ा।

इन शर्मीले, फुर्तीले, गहरे वनवासियों पर अब विलुप्त होने का खतरा मँड़रा रहा है, क्योंकि मनुष्य तेजी से उनके प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण कर रहा है।

नागकेसर

तृतीय अंक | वर्ष 2024-25

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा एवं लेखा व हकदारी), त्रिपुरा, अगरतला

नागकेसर

तृतीय अंक

प्रधान संरक्षक

श्री ए. पी. चोफी, प्रधान महालेखाकार

मुख्य संरक्षक

श्री काव्यदीप जोशी, वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
सुश्री तनुश्री विश्वास, व. उप महालेखाकार (लेखा व हक.)

संपादन परामर्शदाता

श्री पार्थसारथी चक्रबर्ती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
श्री कालीपद पॉल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी

संपादक मण्डल

श्री ऊदल सिंह सोलंकी, हिन्दी अधिकारी
श्री कृष्ण कुमार, कनिष्ठ अनुवादक
श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ अनुवादक

संपादकीय

राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना न केवल हम सभी का परम कर्त्तव्य है, अपितु संवैधानिक उत्तरदायित्व भी है। इसी अनुक्रम में, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), त्रिपुरा, अगरतला की संयुक्त हिन्दी गृह-पत्रिका 'नागकेसर' का तृतीय अंक (सितंबर 2024) आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

'नागकेसर' पत्रिका के आवरण पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ राज्य की सांस्कृतिक विरासत, कला और नृत्य एवं प्राकृतिक सौन्दर्य की झलकियाँ प्रदर्शित करते हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण संक्षिप्त विवरण भी दर्शाते हैं। पत्रिका के इस अंक में कार्यालय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक अपने स्वरचित व मौलिक अनुभवों, संस्मरणों, यात्रा वृत्तांतों, विभिन्न ज्ञानवर्धक लेखों एवं कविताओं के माध्यम से प्रशंसनीय और उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है जिससे उनके लेखन कौशल की सार्थक अभिव्यक्ति हो पायी है।

पत्रिका में एक ओर जहाँ विचारों की सहज और सुन्दर अभिव्यक्तियों से युक्त रचनायें हैं तो वहीं दूसरी ओर दार्जिलिंग, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड, बिहार, बलिया, मुँगेर इत्यादि स्थानों के यात्रावृतांत और उनके वर्णन अत्यंत सजीव बन पड़े हैं। महाभारत एक सीख, आत्ममंथन, मृत्यु, सुन्दरकाण्ड

इत्यादि लेख जीवन दर्शन एवं धार्मिक आस्था के द्योतक हैं। मेरा मन लेख मन की विभिन्न अवस्थाओं एवं वैचारिक स्थितियों के ऊहापोह का चित्रण है। इस बार पत्रिका में त्रिपुरा राज्य के विशिष्ट आध्यात्मिक एवं पर्यटन महत्त्व के स्थलों पर संक्षिप्त एवं अति महत्वपूर्ण प्रकाश डालने वाली एक नवीन श्रृंखला भी आरंभ की गयी है। आशा है यह आप सभी को सुरूचिपूर्ण एवं सूचनापरक अवश्य प्रतीत होगी।

संपादक मण्डल और संरक्षक मण्डल दोनों ही कार्यालयों के सदस्यों का आह्वान करते है कि वे भविष्य में पत्रिका हेतु अधिकाधिक मौलिक रचनायें अनवरत् रूप से प्रदान करते रहें और आशा करते हैं कि आगामी 'नागकेसर' पत्रिका के अंकों में विभिन्न नये-नये रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से इस पत्रिका को और अधिक ज्ञानवर्धक तथा प्रासंगिक बनाने हेतु अपनी भूमिका का निर्वहन कर राजभाषा के विकास में अप्रतिम सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

संपादक मण्डल

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	रचना का शीर्षक	रचनाकार	विधा	पृष्ठ संख्या
1.	महाभारत एक सीख	अंकुर कुमार पांडेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	1-2
2.	दार्जिलिंग की सैर	अजित दास, डीईओ, ग्रेड-बी	लेख	3-7
3.	त्रिपुरा राज्य की परिवहन प्रणाली	अजित देवनाथ, लेखापरीक्षक	लेख	8-10
4.	पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी की स्थिति	अनिल कुमार, कनिष्ठ अनुवादक	लेख	11-18
5.	देख तमाशा पैसे का	अभिनव गर्ग, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	19-24
6.	प्राथमिक शिक्षा	अमित गौरव, सहायक लेखा अधिकारी	लेख	25-28
7.	मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय	अशितीमा मल्लिक, लिपिक	लेख	29-30
8.	वृक्षारोपण का उद्देश्य	आशीष कुमार गुप्ता, एमटीएस	लेख	31-33
9.	मेघालयः एक अविस्मरणीय यात्रा का विस्तृत अनुभव	उज्ज्वल कांत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	34-38
10.	मृत्युः एक परम सत्य	उज्जवल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	39-44
11.	सुन्दरकाण्ड का महात्म्य	ऊदल सिंह सोलंकी, हिन्दी अधिकारी	लेख	45-47

क्र. सं.	रचना का शीर्षक	रचनाकार	विधा	पृष्ठ संख्या
12.	नागालैण्ड के सांस्कृतिक बहुरूपदर्शक पर एक संक्षिप्त नज़र	एच. अमेनतोली शोहे, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	48-50
13.	बिहारः एक समृद्ध विरासत	कालिंदी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	51-54
14.	आत्म-मंथन	कुलदीप, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	55-58
15.	ईर्ष्या एवं निंदा	कृष्ण कुमार, कनिष्ठ अनुवादक	कविता	59-62
16.	कड़वा सच	गौतम कुमार, लेखाकार	लेख	63-66
17.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा के कार्यालय में शुरूआती दिन	गौतम सरकार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	67-69
18.	वैश्विक ज्ञान में भारत का योगदन	दीक्षा अवस्थी, सहायक लेखा अधिकारी	लेख	70-73
19.	मेरी हिंदी शिक्षा	पार्थसारथी चक्रबर्ती, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	74-77
20.	त्रिपुरा में यात्रा अनुभव	प्रधान चौधरी, एम.टी.एस.	लेख	78-81
21.	बलिया है बलिदान की धरती	प्रियदर्शिनी सिंह, सहायक लेखा अधिकारी	कविता	82
22.	भारतवर्ष में क्रिकेट का बढ़ता प्रभाव	राकेश चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक लेखा अधिकारी	लेख	83-86
23.	मुँगेर– एक झलक	राहुल कुमार, सहायक लेखा अधिकारी	लेख	87-89

क्र. सं.	रचना का शीर्षक	रचनाकार	विधा	पृष्ठ संख्या
24.	लोकसभा चुनाव -2024 माइक्रो पर्यवेक्षक की दृष्टि से	रोहित कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	90-95
25.	उत्तर प्रदेश- उत्तम प्रदेश की ओर	विशाल सिंह, लेखापरीक्षक	लेख	96-99
26.	लेखापरीक्षा क्या है? विज्ञान या कला	शुभम कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	100-104
27.	भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्पः एक परंपरा, एक धरोहर	सायोनी केडिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	105-109
28.	पदोन्नति पर अनुभूति	सुबोध देबबर्मा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	लेख	110-111
29.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता	सूरज किशोर, सहायक लेखा अधिकारी	लेख	112-117
30.	कोई भी संविधान अपने आप में पूर्ण न्याय प्रदान नहीं कर सकता	सौरभ राज, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	लेख	118-122
31.	सेठ करोड़ीमल	स्वाती कुमारी, कनिष्ठ अनुवादक	कहानी	123-127
32.	मेरा मन	श्री हिमांशु काश्यप धर्मदर्शी, प्रधान महालेखाकार	लेख	128-130
33.	त्रिपुरा राज्य के विशिष्ट आध्यात्मिक एवं पर्यटन स्थल			131
34.	राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान			132-138

अस्वीकरणः 'नागकेसर' पत्रिका की रचना राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के प्रयोजन से की गयी है। इसमें निहित लेखों, कविताओं इत्यादि में अभिव्यक्त विचार, सुझाव मूलतः लेखकों के अपने हैं और यह आवश्यक नहीं है कि कार्यालय अथवा संपादक मण्डल इनसे सहमत हो।

संपादन सहयोग

श्रीमती स्वाती कुमारी, कनिष्ठ अनुवादक, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), त्रिपुरा, अगरतला

श्री अजित दास, डीईओ (ग्रेड-बी), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला

महाभारत एक सीख

अंकुर कुमार पांडेय,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

महाभारत के बारे में तो हम सब ने सुना ही है लेकिन क्या हमने उसे कभी समझने की कोशिश की है अगर हम महाभारत को एक कहानी की तरह नहीं, एक सीख की तरह सुने तो हम अपनी जिंदगी में बहुत से बदलाव कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था लेकिन इस अधर्म की शुरुआत लोभ, क्रोध, वासना से हुई थी। जब यह सब किसी मनुष्य में आता है तब उसके पतन होने की शुरुआत हो जाती है यही कारण था कौरवों के पतन का। लेकिन इस महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था, अगर महान भीष्म पितामह दुर्योधन के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होते और अपने दिए हुए वचन को तोड़कर धर्म का साथ देते तो महाभारत जैसा बड़ा युद्ध नहीं होता ना ही द्रौपदी का चीर हरण होता और ना ही इतने लोगों की मृत्यु होती। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब वहाँ पर महान् भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सभी बड़े-बड़े महारथी सभा में उपस्थित थे लेकिन किसी ने भी द्रौपदी का चीर हरण नहीं रोका क्योंकि भीष्म पितामह वचनबद्ध थे। वह दुर्योधन के विरुद्ध नहीं बोल सकते थे, तब सिर्फ श्रीकृष्ण थे जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बहुत ज्यादा खुशी में किसी से कोई ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो कि हमारे लिए ही नुकसानदायक हों। आप चाहे क्रोध में हो या खुशी में हमें हमेशा सोच समझकर ही कोई कार्य करना चाहिए और अगर हमने किसी को कोई वचन दिया भी है तो उसकी वजह से हमें कोई गलत काम नहीं करना है। हमेशा गलत और सही का अंतर समझकर के ही कोई कदम उठाना है भीष्म पितामह का वचन ही उनके मृत्यु का और इस युद्ध का कारण बना। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने भी शस्त्र ना

उठाने का वचन दिया था परंतु अर्जुन की रक्षा और धर्म की विजय के लिए उन्होंने भी अपने वचन को तोड़ा। इससे उन्होंने हमें यह शिक्षा दी कि हमें हमेशा सच्चाई और धर्म का साथ देना है। कौरवों के पास पाण्डवों से ज्यादा सेना थी। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान् बलशाली योद्धा थे परंतु अंत में जीत पाण्डवों की ही हुई क्योंकि उन्होंने कभी सच और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जो धर्म के साथ होते हैं, श्रीकृष्ण उनके साथ होते हैं तथा पग-पग पर उनकी रक्षा करते हैं, इसीलिए कहा गया हैः

धर्मो रक्षति रक्षितः।।

हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा।
लोभ, क्रोध और मोह इन सबका का त्याग करके हमें ईश्वर की
सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए।

।।श्री राधे राधे।।

भारतेन्दु हरिश्चंद्रः भारतीय नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक हिन्दी साहित्य व नाट्यकला के पितामह श्री हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर, 1850 को वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। पाँच वर्ष की लघु आयु में ही उन्होंने अपने पिताजी को यह दोहा लिखकर सुनाया थाः

लै ब्योढ़ा ठाढ़े भए श्री अनिरुद्ध सुजान।
बाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान॥

उनके द्वारा रचित कुछ नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। यथाः वैदिक हिंसा हिंसा न भवति (प्रहसन), भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी इत्यादि। उनके बिना हिन्दी साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

दार्जिलिंग की सैर

अजित दास,
डीईओ, ग्रेड-बी

वर्ष 2019 की बात है जब ऑफिस के हम चारों लोगों ने मिलकर दार्जिलिंग जाने का कार्यक्रम बनाया। हमारे दल में सायन, दीपायन भैया, सान्तनु और उसकी पत्नी शामिल थीं।

सायन अलीपुरद्वार से आने वाला था और हम बाकी लोग कलकत्ता से जाने वाले थे। इसके चलते हम लोग सिलीगुड़ी जाने का टिकट लेने का प्रयत्न कर रहे थे। बहुत जद्दोजहद के बाद हमें टिकट मिला और निर्धारित तिथि पर हम लोग ट्रेन पर चढ़ गये। हालांकि मैं कलकत्ता की बजाय वर्धमान से ट्रेन में चढ़ा। पूरी रात किसी को अच्छे से नींद नहीं आयी और अगले दिन सुबह आठ बाजे हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच गए। वहाँ सायन भी आया और हम लोग एक साथ दार्जिलिंग की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी पहले से रिजर्व थी और हमारा सारथी जिसका नाम अम्बर था, बहुत ही अच्छा लड़का था।

कुछ देर चलने के बाद हम लोग शुकना वन में रुके और हम लोगों ने नाश्ता किया। बगल में बहती हुए एक छोटे पहाड़ी झरने के ठंडे पानी से हाथ-मुँह धोकर ताजगी महसूस की। फिर से हमारा सफर शुरू हुआ और धीरे-धीरे हम पहाड़ पर चढ़ने लगे। गाड़ी में बजते हुए किशोर कुमार के गाने और बाहर का खूबसूरत नजारा हमारे मन को रोमांचित कर रहे थे। हम लोग जितना ऊपर चढ़ते गए उतना ही नीचे के घर मनुष्य और गाड़ियाँ छोटी होती गईं, फिर एक ऐसा वक्त आया जब हम लोग बादलों को छूकर निकल रहे थे और मौसम के ठंडे होने की अनुभूति हो रही थी।

आगे चलकर हम लोग दोपहर के भोजन के लिए कार्सियांग टूरिस्ट लॉज में रुके और मोमो, चाऊमीन तथा दार्जिलिंग चाय के साथ हमने अपनी भूख संतुष्ट की।

वहाँ से निकल कर हम लोग डावहिल का हॉण्टेड चर्च देखने गए, वहाँ जाने का रास्ता कोहरा और पाइन पेड़ की छाँव से घिरा हुआ था जहाँ सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुँचती थी और इसीलिए वह माहौल काफी डरावना लग रहा था। हालांकि चर्च पहुँचकर हम लोग थोड़ा निराश हुए क्योंकि सरकार द्वारा वह चर्च बंद कर दिया गया था। फिर हम लोग थोड़ा इधर-उधर घूम कर जैसे ही दार्जिलिंग की तरफ रवाना हुए बारिश शुरू हो गई तथा और भी ठंड लगने लगी।

शाम को हम लोग दार्जिलिंग के होटल में पहुँचे जो बहुत ही खूबसूरत था। उसके बगल में बास्केटबॉल कोर्ट था और ऊपर के पहाड़ पर एक शिवजी का मंदिर था जहाँ हम लोग बाद में घूमने गए थे। फिर हम लोग- मैल, जो कि बाजार इलाका है, वहाँ घूमने गए। फिर जल्दी से डिनर करके वापस आ गए बहुत ठंड थी और थकान की वजह से कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।

अगले दिन हम लोग हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जू और हैप्पी वैली चाय का बागान घूमने गए जहाँ हमने विश्व विख्यात दार्जिलिंग चाय पी। पहाड़ के ढलान में हरे भरे चाय के बागान की सुंदरता हमें मंत्र मुग्ध कर गई। फिर हम लोग पीस पैगोडा घूमने गए जो एक बौद्ध मंदिर है। वहाँ जाकर हमें अपार शांति का अनुभव हुआ। तत्पश्चात् हम लोग वहाँ से घूम स्टेशन गए जहाँ से हम लोग टॉय ट्रेन में

चढ़कर बताशिया लूप घूमने गए। कोयले से चलने वाली उस ट्रेन के सफर का आनंद अवर्णननीय है।

अगले दिन हम लोग दार्जिलिंग छोड़कर लेप्चा जगत की ओर रवाना हुए। वहाँ ऊँची पहाड़ी पर स्थित एक छोटा-सा गाँव था जहाँ लोग बहुत कम थे और ठंडी बहुत ज्यादा थी, मजबूरन हम लोगों को दो जैकेट पहननी पड़ीं, फिर भी घर से निकलना मुश्किल हो गया था। हम लोगों ने अपने होम स्टे के घर में ही सोफे पर बैठकर चाय और पकौड़े का आनंद लेते हुए चटपटी गपशप के साथ समय व्यतीत किया।

अगले दिन हम लोग लामाहाटा फॉरेस्ट देखने गए। जो पहाड़ी के ढलानों में बसा हुआ था और हम लोग चढ़ाई करते हुए पेड़ों की छाँव से गुजर कर उसकी ऊपरी सतह तक पहुँचे। वहाँ पर एक प्राकृतिक झील देखने को मिली जिसका पानी आसपास के पेड़ों की छाँव की वजह से बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा था। जब हम लोग वहाँ पर थे तो अचानक से कोहरा आ गया और वहाँ का वातावरण हमें स्वर्गिक अनुभूति दे रहा था। वहाँ से नीचे उतरकर हम लोग अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़े जोकि तकदाह थी। बाहर जाने का रास्ता काफी खतरनाक लेकिन खूबसूरत था। बारिश की वजह से रास्ता काफी फिसलन वाला था। एक जगह पर हमारी गाड़ी फिसलने की वजह से असंतुलित होकर खाई में जाने लगी। हमारे सारथी ने जैसे-तैसे गाड़ी को संभाला और हम सब गाड़ी से उतर गए। फिर वह गाड़ी को पुनः रास्ते पर लेकर आया और हम लोग तकदाह की ओर चल दिए।

वहाँ पहुँचकर हम लोग एक हेरिटेज बंग्ले में रुके जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। उस बंग्ले के चारों ओर पाइन फॉरेस्ट और इतना

कोहरा था कि दिन में भी संध्या जैसा वातावरण महसूस हो रहा था। हमारे केयरटेकर विशुओ रॉव ने हमारे घर के अंदर फायर प्लेस में लकड़ी से आग जलाकर हम लोगों को ठंड से बचाने का प्रबंध किया। अगले दिन हम लोग गरमा-गरम दार्जिलिंग चाय पीकर एक झूलता हुआ पुल और चाय के बागान देखने गए। वहाँ से हमें कलिमपोंग जाना था लेकिन रास्ते में हम और एक जगह पर रुके जहाँ पहाड़ी के ऊपर से नीचे तिस्ता और रंगीत नदी का संगम दिखता है जिसको त्रिवेणी कहा जा सकता है।

फिर हम लोग कलिमपोंग पहुँचे जहाँ मोर्गन हाउस नामक एक हेरिटेज बंग्ले में रुके। कहा जाता है कि एक अंग्रेज व्यापारी मिस्टर मोर्गन ने इस बंग्ले को बनवाया था और ये देखने में भी किसी पुराने किले जैसा लगता है। कहा जाता है कि इस बंग्ले में रात में लेडी मॉर्गन की आत्मा विचरण करती है जिसकी वजह से इसको एक हांटेड हाउस भी कहा जाता है। हालांकि दो रातें गुजरने के बाद भी हमें ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ।

अगले दिन सुबह चाय पीते-पीते बंग्ले के पीछे वाले बगीचे से कंचनजंघा को देखकर रोमांचित हो रहे थे। सुबह की किरणों के प्रकाश की वजह से वह चोटी एक सोते हुए बुद्ध जैसी दिखाई देती है। फिर हम लोग नाश्ता करके दूरपिन मॉनेस्ट्री और डेलो पार्क देखने गए। वहाँ हमने मोमो और चाय के साथ ऊँचाई का मजा लिया। लौटते वक्त कलिमपोंग बाजार से छोटी-मोटी खरीदारी की। अगले दिन हम लोगों को सिलीगुड़ी वापस आना था क्योंकि रात को वहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी थी। रास्ते में हम लोगों ने सेवककाली मंदिर के दर्शन किए और तिस्ता नदी के किनारे-किनारे चलते हुए पहाड़ी से नीचे उतरे। सच कहें तो मन बहुत उदास हो गया था। रात को हम लोग ट्रेन में चढ़े और पूरे भ्रमण की बातें करते हुए हम लोगों ने समय

व्यतीत किया। सच कहूँ तो यह मेरा पहाड़ी क्षेत्र का पहला भ्रमण था और इसकी यादों को हम हमेशा अपने दिल और दिमाग में सजा कर रखेंगे जो हमें सुखानुभूति प्रदान करता रहेगा। मुझे फिर से एक बार हिमालय की गोद में जाने का इंतजार रहेगा।

हिन्दी शिक्षण योजना, अगरतला के अंतर्गत श्री रामप्रकाश यादव, हिन्दी प्राध्यापक द्वारा इस कार्यालय में आंतरिक रूप से संचालित हिन्दी पारंगत कक्षाओं में व्याख्यान देने का एक दृश्य

त्रिपुरा राज्य की परिवहन प्रणाली

अजित देवनाथ,
लेखापरीक्षक

त्रिपुरा राज्य, उत्तर पूर्व भारत में स्थित है और इसकी परिवहन प्रणाली राज्य के विकास की मुख्य धारा है। यहाँ की परिवहन संचार व्यवस्था विभिन्न माध्यमों के माध्यम से राज्य के अंतर्गत और बाहर की जगहों के बीच संचालित होती है।

सड़क परिवहन

त्रिपुरा में सड़क परिवहन, परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो शहरों, गाँवों और अन्य उपनगरों को जोड़ता है। राज्य के मुख्य शहर अगरतला से अन्य प्रमुख शहरों और जनसंख्या केंद्रों के लिए सड़क जाल पूरी तरह से विकसित है। अगरतला से गुवाहाटी (असम) तक एक मजबूत राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है जो व्यापक परिवहन सुविधा प्रदान करता है। यह मार्ग ट्रक, बस और व्यक्तिगत वाहनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और व्यापक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक स्थिर संचार स्रोत है।

छोटे गाँवों और अवैतनिक क्षेत्रों में भी सड़क संचार की व्यवस्था है, जो स्थानीय जनसंख्या को जोड़ती है और कृषि और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क नेटवर्क के विकास के माध्यम से त्रिपुरा में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है और सामाजिक संबंधों को मजबूती प्राप्त हुई है।

रेलवे परिवहन

त्रिपुरा में रेलवे परिवहन का विकास भी महत्वपूर्ण है, हालांकि इसकी उपयोगिता और विस्तार सीमित है। रेलवे अगरतला से बरपेडा,

दार्जिलिंग और गुवाहाटी जैसे अन्य शहरों के साथ कनेक्ट है, लेकिन इसकी सेवाएं प्रधान रूप से अन्य प्रमुख शहरों से त्रिपुरा के बीच सीमांत हैं। रेलवे सेवाएं विशेष रूप से यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उत्तर-पूर्व भारत के अन्य हिस्सों से आते हैं।

रेलवे परिवहन की अधिक विस्तार और उन्नति के लिए त्रिपुरा सरकार ने कई पहल की हैं। इनमें सामान्य विकास का काम शामिल है, जिसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से त्रिपुरा के और अधिक भागों को शामिल किया गया है। रेलवे सेवाओं के विस्तार से यातायात को आसान और सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर और तेज यात्रा की सुविधा मिल सके।

हवाई परिवहन

त्रिपुरा में हवाई परिवहन भी एक महत्वपूर्ण परिवहन विकल्प है, खासकर राज्य को अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए। अगरतला में विशेष हवाई अड्डा अवस्थित है जो नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए उपयुक्त है। यहाँ से देश और विदेश में यात्रा के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो व्यापार, पर्यटन और व्यक्तिगत यात्रा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

हवाई परिवहन की विकसित सेवाओं ने त्रिपुरा को पर्यटन गतिविधियों के लिए एक पसंदीदा स्थल बना दिया है I

जल परिवहन

त्रिपुरा में जल परिवहन एक महत्वपूर्ण परिवहन माध्यम है, खासकर नदियों और जलमार्गों के माध्यम से जलपरिवहन होता है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी फ्लो संचार का मुख्य स्रोत है, जो असम से त्रिपुरा के बीच एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में कार्य करती है। यह जलमार्ग

व्यापारिक वस्तुओं और यात्रियों के लिए एक अहम विकल्प है, विशेष रूप से जिन इलाकों में सड़क या रेलवे संचार अप्रवेश्य है।

त्रिपुरा में विभिन्न छोटी नदी प्रणालियाँ हैं जो स्थानीय गाँवों को जोड़ती हैं और कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोगी होती हैं। इन नदियों पर छोटे-मोटे नाविक परिवहन की सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जो लोगों को अलग-अलग गाँवों और बाजारों तक पहुँचने में मदद करती हैं।

जल परिवहन का विकास त्रिपुरा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचार को सुगम बनाता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। यह विकास राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही पर्यटन उद्योग के लिए भी एक आकर्षक विकल्प प्रदान करता है।

दिनांक 27 जुलाई 2024 को आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का एक दृश्य

पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी की स्थिति

अनिल कुमार,
कनिष्ठ अनुवादक

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अनेक धर्मों, जातियों, सभ्यताओं और संस्कृतियों से समृद्ध क्षेत्र है। समन्वयकारी भावना इस क्षेत्र की विशेषता है, इसी कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों से अलग-अलग मत और संस्कृति के लोग यहाँ आए और इस क्षेत्र की समन्वयकारी संस्कृति में घुल-मिलकर एक रूप हो गए। इस क्षेत्र में अनेक संस्कृतियाँ, सभ्यतायें, विचारधारायें और परंपरायें घुल-मिलकर एक हो गईं, इसी कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र को "सांस्कृतिक प्रयोगशाला" कहा जाता है। यह क्षेत्र विविधता की दृष्टि से एक अनूठा क्षेत्र है, यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, जैव विविधता, लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति अनुपमेय है। पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, झरनों, वनों से व्याप्त यह एक रमणीय एवं दुर्गम क्षेत्र है। भाषा की दृष्टि से यह हिन्दीतर भाषी क्षेत्र है। पूर्वोत्तर में हिंदी भाषा कम बोली जाती है यहाँ हजारों वर्षों से असमिया भाषा संपर्क भाषा रही है, असमिया के साथ बांग्ला, नेपाली, मणिपुरी, अंग्रेजी, खासी, गारो तथा निशि सहित कई भाषाएं बोली जाती हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 400 समुदायों के लोग रहते हैं यहाँ के मूल निवासी सहज, सरल स्वभाव के शांतिप्रिय एवं अतिथि परायण होते हैं। वे 220 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और इसमें अधिकांश भाषाओं के पास अपनी कोई लिपि नहीं है। असमियाँ के अतिरिक्त मोनपा, बांगचु, नागमीज, मिजो, काक बरोक, लेप्चा, भूटिया आदि भाषाएँ इन आठ राज्यों (सिक्किम सहित) में बोली जाती है। कुछ भाषाएँ एवं बोलियाँ तिब्बत-वर्मी परिवार की होने के कारण अलग से पहचानी जाती हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण

ही पूर्वोत्तर भारत को "भाषाओं की प्रयोगशाला" कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस क्षेत्र में यातायात की सुविधा एक बहुत बड़ी समस्या है, इस कारण यह क्षेत्र भारत के अन्य प्रदेशों से विच्छिन्न रहने के कारण हिंदी भाषा के प्रभाव से दूर रहा है, फलस्वरुप यहाँ की स्थानीय भाषाओं व बोलियों का विकास ही अधिक हुआ है।

पूर्वोत्तर भारत में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं जिनकी अपनी-अपनी भाषाएँ तथा बोलियाँ हैं, वैसे यदि देखा जाए तो यहाँ बोडो, कछारी, जयंतिया, गारो, देउरी, दिमासा, रियांग त्रिपुरी, लालुंग, नागा, मिजो, जामातिया, खासी, मिसिंग, कार्वी, कोच, आपातानी, निशि आदि भाषाएँ बोली जाती हैं परंतु भारत के संविधान की आठवीं सूची में केवल असमिया, बोडो और मणिपुरी को ही स्थान मिल पाया है। इन राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग केवल प्रवासी हिंदी भाषियों द्वारा आपस में किया जाता है, इसके अतिरिक्त व्यावसायिक कारोबारी, रिक्शा चालक, नाई, कुली, मजदूर तथा सेना के मध्य ही हिंदी का प्रयोग होता है।

कुछ राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता है। इस क्षेत्र में हिंदी का औपचारिक प्रयोग तब हुआ जब महात्मा गांधी "अखिल भारतीय हरिजन समिति" की स्थापना हेतु असम आए तब महात्मा गांधी ने वैष्णव धर्मगुरु श्री श्री पीतांबर देव गोस्वामी के आग्रह पर बाबा राघव दासजी को हिंदी प्रचारक के रूप में असम भेजा। वर्ष 1938 में "असम हिंदी प्रचार समिति" की स्थापना गुवाहाटी में हुई। आगे चलकर यह समिति "असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति" बनी और यह समिति हिंदी भाषा प्रचार- प्रसार हेतु प्रबोध, विशारद, प्रवीण आदि परीक्षाओं का आयोजन करती है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय हिंदी संस्थान को गुवाहाटी द्वारा हिंदी शिक्षकों व हिंदी प्रचारकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों के विश्वविद्यालयों के हिंदी अनुभाग भी हिंदी के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। असम, सिलचर और अरुणाचल से प्रकाशित समाचार पत्रों "दैनिक पूर्वोदय, पूर्वांचल प्रहरी, प्रातः खबर, सेंटिनल, प्रेरणा भारती और अरुण भूमि की भी हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका है।

राज्यों के आधार पर हिन्दी का योगदान निम्न प्रकार है:

असम में हिंदी की स्थिति- असम में बड़ी संख्या में राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आए हुए कर्मचारी व लाखों की संख्या में आए मजदूर जिन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी को अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग किया है और जीविका कमाने के साथ-साथ हिंदी के संवर्धन में अत्यंत सराहनीय प्रयास किए हैं। लाखों की संख्या में चाय बागानों में कार्यरत मजदूर जो झारखंड, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से आए हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी बोली के साथ-साथ हिंदी का प्रयोग किया है। असम में डॉक्टर देवेंद्र चंद्र दास जिनको 'सुदामा' नाम से जाना जाता है जो असमिया समाज से हिंदी के उच्च कोटि के साहित्यकार हैं तथा स्वयं सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय तक शिक्षक रहने के कारण अभी भी पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण व कार्यशालाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे जातीय साहित्य परिषद् के अखिल भारतीय संरक्षक है। असमिया भाषा में संस्कृत शब्द अधिक होने के कारण हिंदी सीखने व समझने में आसानी रहती है। असम और शेष भारत से संपर्क कम होने के कारण हिंदी और असम की दिशाएं अलग हो गईं।

अरुणाचल प्रदेश में लगभग 25 प्रमुख जनजातियाँ रहती हैं इन सभी जनजातियों की अलग-अलग भाषाएं हैं लेकिन अधिकांश के पास अपनी कोई लिपि नहीं है। इनमें आपस में इतनी भिन्नता है कि एक समुदाय की भाषा दूसरे समुदाय के लिए असंप्रेषणीय है। कोई भी जनजातीय भाषा इतनी विकसित नहीं है कि जिसे राजभाषा बनाया जा सके इसलिए अंग्रेजी को ही राजभाषा बनाया गया है। राज्य के अधिकांश कर्मचारी हिंदी पढ़ना-लिखना व बोलना जानते हैं। हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है । नेफ़ा में वर्ष 1956 के सरकारी आदेश द्वारा हिंदी को विद्यालयों में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। ईटानगर के युवा कवि एवं अध्यापक श्री तारो सिंदिक व डॉक्टर श्रीमती जोराम आन्या हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहयोग कर रहे हैं। सिक्किम में नेपाली संपर्क भाषा है इसे पहाड़ी और गोरखाली भी कहा जाता है। इसकी लिपि देवनागरी है। नेपाली को भारतीय संविधान की अष्टम सूची में शामिल किया गया है। सुवास दीपक सिक्किम के बड़े हिंदी साहित्यकार हैं, उनकी "बढ़ते 20 कदम" नाटक प्रथम हिंदी रचना है। "चक्रव्यूह" हिंदी भाषा का पहला कहानी संग्रह है ।

त्रिपुरा की राजभाषा बंग्ला और कोकबरोक हैं, हिंदी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। चकमा समुदाय द्वारा चकमा भाषा बोली जाती है। जमातिया समुदाय के लोग कोकबोरोक बोलते हैं। बोरोक को त्रिपुरी भी कहा जाता है। कोकबोरोक का अर्थ है 'मनुष्य की भाषा' पहले इसको तिप्रा कहा जाता था। वर्ष 1979 में त्रिपुरा सरकार द्वारा कोकबरोक को त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया। श्री रामेंद्र कुमार पाल ने हिंदी के प्रचार में उल्लेखनीय कार्य किए। डॉ मिलन राणी जामतिया भी विगत कुछ वर्षों से हिंदी का प्रचार-प्रसार कर रही है। डॉ नरेंद्र देव वर्मा तथा खोमातिया देव वर्मा हिंदी-कोकबरोक परियोजना पर कार्य कर रहे हैं।

मणिपुर में मैती के अतिरिक्त 29 आदिवासी समुदाय रहते हैं, यहाँ मणिपुरी तथा मैती आम बोलचाल की भाषा है, यह संविधान की अष्टम सूची में शामिल है। मणिपुरी को स्नातकोत्तर तक एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। मणिपुर में हिंदी प्रचार के रूप में लाइयुम, ललित माधव शर्मा, टी°वी° शास्त्री, फु° गोकुलानंद, एन तोंबी सिंह, नंदलाल शर्मा, नवीन चाँद, द्विजमनि शर्मा, अरिबम पंडित, राधा मोहन शर्मा तथा अरिबम घनश्याम शर्मा ने अपनी सेवाएं दी हैं।

मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो तीन आदिवासी समुदाय हैं। इसके अतिरिक्त, कई अन्य जनजातियाँ भी रहती हैं। अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। मेघालय में खासी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। वर्ष 1976 में हिन्दी भाषा के प्रसार हेतु हिंदी संस्थान, शिलांग की स्थापना हुई।

मिजोरम में जाहू, लखेर, हमार, पाइते, लाई राल्ते आदि भाषाएँ बोली जातीं हैं, यहाँ की राजभाषा मिज़ो है। यह चीनी-तिब्बत परिवार की भाषा है। यह आसपास के क्षेत्रों असम, त्रिपुरा और मणिपुर के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। डॉक्टर, इंजीनियरी, जेनी, हिंदी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने पूर्वांचल हिंदी साहित्य पर शोध कार्य किया है। आर. थनमोया व ललथमुआबो हिंदी मिज़ो परियोजना पर कार्य कर रहे हैं ।

नागालैंड की एक समृद्ध भाषिक परंपरा है, यहाँ प्रत्येक जनजाति की अलग-अलग भाषा है और उनकी भी बोलियाँ हैं। अंग्रेजी को नागालैंड की राजभाषा बनाया गया है। नागामीस बोलचाल की भाषा है। यह असमिया, नागा, बांग्ला हिंदी और नेपाली का मिश्रण है जिसे पिजन भाषा कहा जाता है, इसकी लिपि रोमन है। नागालैंड में श्री पी.टी. जमीर इन्होंने अपना संपूर्ण

जीवन नागालैंड में हिंदी के प्रचार-प्रसार में लगा दिया। आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद वह अपना हिंदी प्रचार का कार्य निष्ठा पूर्वक करते रहे हैं। वर्ष 1972 में केंद्रीय हिंदी संस्थान नागालैंड द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया था।

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

हाल ही में भारत सरकार ने प्रावधान किया है कि 8 पूर्वोत्तर राज्यों में कक्षा 10 तक हिंदी अनिवार्य कर दी जाएगी। इस पर पूर्वोत्तर में विभिन्न संगठनों ने विरोध किया है। दक्षिण भारतीय राज्यों ने भी केंद्र सरकार की आलोचना की है। इन संगठनों ने त्रिभाषा नीति अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा का समर्थन किया है। पूर्वोत्तर संगठनों ने तर्क दिया है कि संविधान की छठी अनुसूची द्वारा स्थानीय भाषा संरक्षित है, इसलिए केंद्र, छात्रों पर हिंदी भाषा नहीं थोप सकता है, हाँ, हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में रखने पर कोई आपत्ति नहीं है। इन ऐलानों से ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि भारत को एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ एक संस्कृति, एक भाषा और एक धर्म होगा। चर्चा यह भी है कि स्कूलों में हिंदी के अनिवार्य करने से स्कूली बच्चों पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि अन्य भाषा-भाषी के लिए हिंदी सीखना बहुत कठिन होगा।

सेमुयल बी जिखा ने कहा 'हिंदी को अनिवार्य करने से हमारी मातृभाषा लुप्त हो जाएगी। हमें वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। पूर्वोत्तर के आठ प्रमुख छात्र संगठनों ने मिलकर गृह मंत्री को इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए हैं "भारत सरकार को यह समझना होगा, भारत के पूर्वोत्तर में हिंदी किसी भी राज्य की मातृभाषा नहीं है। यहाँ स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी शिक्षा एक पसंदीदा माध्यम

है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पूर्णतः अहिंदी भाषी होने के कारण यहाँ ग्रहण योग्यता की समस्या आती है। शुद्ध हिंदी बोलने के दवाब के कारण अन्य भाषा-भाषी सार्वजनिक मंच पर हिंदी बोलने से कतराते हैं ।

पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी भाषा की संभावनायें

हिंदी राष्ट्रीय एकता की एक सशक्त कड़ी के रूप में विकसित हो रही है, यह संपर्क और परिपूरक भाषा के रूप में अपना स्थान बना रही है। पूर्वोत्तर की अनेक बोलियों (जनजातीय) में लिपि का अभाव है। अतः रोमन, असमिया लिपि के साथ-साथ देवनागरी लिपि एक सशक्त विकल्प बन सकती है। असमिया, बांग्ला, बिहारी भाषाओं में पर्याप्त संख्या में संस्कृत शब्द होने के कारण हिंदी आसानी से सीखी जा सकती है। राजनैतिक दृष्टि से अलग होने पर भी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा मिजोरम की पुरानी पीढ़ी के लोग असमिया को अच्छी तरह से बोल और समझ पाते हैं और इसी समानता के कारण हिंदी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। विविध लिपि रहित भाषाओं में छिपे हुए मौखिक साहित्य, आचार-विचार, नीति आदि को इस क्षेत्र से निकालकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में हिंदी एक सबल माध्यम बनेगी। जनजातीय लोग विविध साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं, इसी चेतना के चलते वे अपनी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों को देश की मूल धारा से जोड़ने के लिए तत्पर हैं। उनके इस प्रयास में हिंदी सहायक हो सकती है।

हिंदी पूर्वोत्तर भारत की आवश्यकता बन चुकी है। अपनी सरलता, आंतरिक ऊर्जा और जनजुड़ाव के बल पर हिंदी पूर्वोत्तर क्षेत्र में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। क्षेत्र की विभिन्न भाषाओं, बोलियों के रूप में

शब्द, शैली, वचन भंगिमा को ग्रहण व आत्मसात करते हुए हिंदी का रथ आगे बढ़ रहा है। हिंदी की विकास गंगा पूर्वोत्तर के सभी घाटों से गुजरती हुई घाटों के कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी आदि को समेटते हुए तथा अपनी प्रकृति के अनुरूप उन्हें आकार देते हुए आगे बढ़ती है, अतः पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन को दृष्टिगत रखते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा भारत के निम्नलिखित शहरों में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया गया हैः

1. **प्रथमः वाराणसी (उत्तर प्रदेश)**
2. **द्वितीयः सूरत (गुजरात)**
3. **तृतीयः पुणे (महाराष्ट्र)**
4. **चतुर्थः नई दिल्ली (दिल्ली)**

देख तमाशा पैसे का

अभिनव गर्ग,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अमेरिकी डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में उभरा। सन् 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार डॉलर का मूल्य $35 प्रति औंस सोना निर्धारित किया गया। अंग्रेजी पाउंड, फ्रान्सीसी फ्रेंक इत्यादि मुद्राएं सोने के साथ अप्रत्यक्ष रूप से डॉलर के माध्यम से जुड़ी हुई थी। क्योंकि सोने के भंडार मुद्रित किए जाने वाले धन की मात्रा को सीमित करते थे, इसलिए राष्ट्र राजकोषीय संयम बरतने के लिए बाध्य थे।

सन् 1960 के महंगे वियतनाम युद्ध और सामाजिक कार्यक्रमों के फलस्वरूप उत्पन्न अमेरिकी सरकार के वित्तीय संकट के कारण कई यूरोपीय अर्थशास्त्री चिंताग्रस्त थे। उन्हें संशय था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सोने की तुलना में अधिक डॉलर का उत्पादन कर रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में कई देशों ने नकदी के बदले सोना मांगा जिससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सोने के भंडार दो दशक के अंतराल में मात्र एक तिहाई रह गए।

सोने के भंडार के अत्यधिक क्षय से भयाक्रांत अमेरिकी प्रशासन ने ब्रेटन वुड्स समझौते को धत्ता बताते हुए डॉलर के बदले सोना देने से मना कर दिया। उसके वैश्विक कार्यक्रमों में हालांकि कोई कमी नहीं आई और वह पूर्ववत्त आय से अधिक डॉलर छापता रहा। अमेरिका अपना वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए ब्याज वाले राजकोष जारी करता जिसे विश्व पर्यंत जोखिम मुक्त निवेश के रूप में बेचा जाता। इस कार्यक्रम में उसका साथ

देती रेटिंग एजेंसियाँ जो अमेरिकी ऋण को सदा ट्रिपल ए (AAA+) रेटिंग देतीं।

अपने इसी औहदे को बरकरार रखने की इच्छा ने ही अमेरिका को उस समय के प्रमुख कच्चा तेल उत्पादक देश यानी सऊदी अरब को केवल डॉलर में कच्चा तेल बेचने के लिये बाध्य करने पर मजबूर किया। इसे 1974 की पेट्रो डॉलर संधि कहा जाता है, जिसके माध्यम से विश्व भर में कच्चे तेल का व्यापार डॉलर और केवल डॉलर में होता था। सऊदी अरब को इसके एवज में अमेरिका से सैन्य सुरक्षा मिलती और साथ ही डॉलर की स्थिति तथाकथित पेट्रा डॉलर द्वारा मजबूत की जाती। निहित था कि सऊदी अरब इन डॉलर से अमेरिकी राजकोषों में निवेश करता।

इसके फलस्वरूप डॉलर की बढ़ती मांग के कारण डॉलर मजबूत होता। इससे अमेरिका में बने सामान की अपेक्षा बाहर बने हुए सामान को अमेरिका में आयात करना सस्ता होता। अमेरिका से सामान के बदले डॉलर बाहर जाता और डॉलर दूसरे देशों के पास इकट्ठा होता जाता। नियमित रूप से ऐसा होने पर अमेरिकी कारोबारियों का कारोबार ठप पड़ जाता। इससे बचने के दो उपाय थे – पहला : और अधिक डॉलर छापना जिससे डॉलर की मजबूती कम होती अथवा दूसरा : उन देशों से डॉलर खरीदना जिनके पास डॉलर के अधिक भंडार थे - जैसे जापान। 1985 के प्लाज़ा अकॉर्ड के तहत बाकी विकसित देशों जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान के मुद्रा की अपेक्षा में अमेरिकी डॉलर की मजबूती कम की गई। अमेरिका पर ऋण हालांकि बढ़ता ही रहा और अब 2024 में आलम ये है कि अमेरिका पर ऋण अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का 120% हो गया है।

चीन और नए निर्यात

डेंग के कार्यकाल में लिए गए दूरदर्शी फैसलों के चलते चीन वैश्विक कारखाना बन के उभरा। फिर चीन के डब्ल्यूटीओ (WTO) में शामिल होने से उसके विरुद्ध आयात शुल्क घटाया गया। इससे चीन का दुनिया भर को निर्यात बढ़ा और चीन और अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन पैदा हो गया। एक समय इस असंतुलन का शुद्ध दैनिक मूल्य एक खरब डॉलर हो गया था।

अपने डॉलर भंडार का एक बड़ा हिस्सा चीन अमेरिकी राजकोष खरीदने में लगाता और इस प्रकार चीन और जापान अमेरिका के दो सबसे बड़े ऋणदाता बन गए।

परन्तु फिर आया 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट बेल आउट और अत्यंत निम्न ब्याज दरों से चीन ने यही निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका का खर्च पर नियंत्रण करने एवं अपनी वित्तीय एवं राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करने का कोई इरादा नहीं था।

चीन ने धीरे-धीरे अमेरिकी ऋण की अपनी खरीद कम कर दी। अमेरिकी ऋण पर चीन को 1.5% से 2% का ब्याज प्राप्त होता था। उसने बेहतर आय के लिए बहुपक्षीय ऋण वितरण के निकायों के माध्यम से ऋण देना आरंभ किया। चूँकि इन बहुपक्षीय ऋण वितरण के निकाय जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे संस्थानों में भारत और चीन जैसे विकासशील देशों की सहभागिता काफी कम थी, चीन ने विकासशील देशों के पक्ष में सुधारों की माँग की। हालांकि हर माँग की तरह इस बार भी माँग को गंभीरता से नहीं लिया गया।

इसके पश्चात् चीन ने द्विपक्षीय तौर पर बीआरआई (BRI) और बहुपक्षीय ऋण वितरण के लिए नए निकायों का गठन किया जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), एशिया इन्वेस्टमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक इत्यादि। इसके माध्यम से चीन उन अविकसित एवं विकासशील देशों को ऋण देता जिनके पास ऋण लेने के संसाधन या तो उपलब्ध नहीं थे या फिर उन पर ऋण की बाध्यताएं काफी अधिक होती थी। इसी कड़ी में चीन ने कीनिया में नायरोबी-मोम्बासा रेलवे जैसी अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण किया।

चीन की निर्भरता हालांकि कच्चे तेल के आयात पर काफी अधिक थी और मलक्का स्ट्रेट जैसे समुद्री मार्ग अमेरिका द्वारा काफी आसानी से बाधित किए जा सकते थे। इसलिए चीन ने सौर ऊर्जा उत्पादन में, बिजली से चलने वाले वाहन निर्माण इत्यादि क्षेत्रों में महारत हासिल की।

इसके अतिरिक्त, अमेरिका के एक्स्ट्रा टेरीटोरियल सैंक्शंस एंव स्विफ्ट (SWIFT) अवसंरचना (इनफ्रास्ट्रक्चर) से निकाले जाने के भय से चीन ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी (CBDC) के रूप में एक वैकल्पिक वित्तीय वास्तुकला का निर्माण 2010 से ही शुरू कर दिया था और 2020 के बीजिंग ओलंपिक में इसे संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रदर्शित किया गया।

आज के परिप्रेक्ष्य में, हालांकि, जब रूस पर अमेरिकी एवं यूरोपीय सैक्शंस लगाई गई, उसके बैंको को स्विफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर कर दिया गया एवं उसके राजकोष जब्त कर लिए गए, तदुपरांत भारत जैसे देश रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के प्रति जागरुक हुए हैं। चीन उस क्षेत्र में तकरीबन 15 वर्ष पूर्व से कार्यरत है।

डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन मैकेनिज्म के खत्म हो जाने के बाद से विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ संधि का लाभ मिलना कम हो गया। विकसित देशों ने नए-नए प्रकार के आयात शुल्क लागू किए जिसमें अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से एवं यूरोपियन यूनियन ने कार्बन लीकेज कम करने के नाम पर परोक्ष रूप से विकासशील देशों के निर्यातों पर आयात शुल्क लागू किए।

इससे बचने के लिए चीन ने वैश्विक दक्षिण को निर्यात बढ़ा दिए। इसी कड़ी में बीआरआइ ने उसकी काफी मदद की। आज के समय में हम देख सकते हैं कि जो निर्यातों में नुकसान चीन को विकसित देशों के प्रति उठाना पड़ा है उसकी भरपाई वह वैश्विक दक्षिण को अधिक निर्यात करके कर पा रहा है।

क्रिप्टोकरेंसी

ऐसा नहीं था कि 2008 के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फैसलों से सबक केवल चीन ने लिया था। अमरिका में ही एक ऐसा धड़ा उभरा जिसकी अमेरिकी मुद्रा पर विश्वसनीयता काफी घट गयी थी। इसी अविश्वास ने वर्ष 2009 में शुरू हुई बिटकॉइन और इसके पश्चात एथीरियम (Etherium) टेथर (Tether) जैसी अनेक क्रिप्टोकरेंसियों को बढ़ावा दिया। आज के समय एल सेल्वडॉर जैसे कुछ देशों ने क्रिप्टोकरंसी को विधिक निविदा (लीगल टेंडर) मान लिया है जिसका अर्थ है कि उसे राष्ट्रीय मुद्रा के समकक्ष माना जाता है।

क्रिप्टोकरंसी ब्रॉड मनी सप्लाई में केंद्रीय बैंको की भूमिका को कम करता है इसलिए विश्व पर्यंत केंद्रीय बैंक क्रिप्टोकरंसी से खुश नहीं हैं एवं उसके रोकथाम के लिए प्रयत्नशील हैं।

चीन को बाध्य किया गया कि वह अमेरिकी डॉलर के बदले में सामान बेचे और वह इन डॉलरों को अमेरिकी राजकोषों में निवेश करे। अब हालांकि चीन एवं बाकी देश इसे स्वीकारने में आनाकानी कर रहे हैं जिसके कारणवश वैश्विक व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी 74% से घटकर 58% रह गई। इसे कई अर्थशास्त्री डी-डॉलरीकरण का नाम दे रहे हैं। भारत समेत ब्रिक्स देश इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तथा भारत अपनी स्वयं की सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी लॉन्च कर चुका है। ये फैसले कितना रंग लाते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, परन्तु डॉलर और इसी प्रकार की अन्यत्र रिज़र्व मुद्राओं के माध्यम से साम्राज्यवाद कब तक चलता रहेगा, यह प्रश्न विचारणीय है।

हमें प्रयत्नपूर्वक हिन्दुस्तान की सभी बोलियों और भाषाओं में जो उत्तम चीजें हैं, उन्हें हिन्दी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाना चाहिए और यह प्रक्रिया अविरल चलती रहनी चाहिए।

श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री

प्राथमिक शिक्षा

अमित गौरव,
सहायक लेखा अधिकारी

प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ प्रारंभिक, मुख्य और प्रथम है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ हुआ प्रारंभिक शिक्षा या मुख्य शिक्षा। इसे प्राथमिक शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बच्चों को प्रारंभ में दी जाती है। मुख्य शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अगली कक्षा की नींव है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों की प्रथम सीढ़ी है। बच्चे शुरुआत में प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण करते हैं। यह वह शिक्षा है, जिसके आधार पर बच्चे भविष्य का निर्माण करते हैं। प्राथमिक शिक्षा बच्चों की वह नींव है जिस पर महल रूपी विस्तृत शिक्षा खड़ी होती है। यह वह शिक्षा है जो प्रारंभिक स्तर पर संपन्न होती है परंतु यह संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार है। प्राथमिक शिक्षा केवल सीखने और पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि भावनात्मक विकास के बारे में भी है। भावनायें बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास का निर्माण करती हैं। वर्तमान समय में मूल्य आधारित शिक्षण पर सबसे अधिक बल दिया जा रहा है। विद्यार्थी जीवन बड़ा ही कोमल होता है। वह ऐसा संगीत होता है जिसकी धुन आगे चलकर एक अनूठा संगीत बन जाती है। वर्तमान समय में देश की आर्थिक समृद्धि में मानवीय क्षमता एवं योग्यता को महत्त्व दिया जाता है। क्षमता को सुधारने का कार्य शिक्षा की सहायता से किया जाता है। पुराने जमाने में पाँच वर्ष के होते ही बच्चों की प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। गुरुकुल में रहकर गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से प्राप्त होती थी।

आज हमारी प्राथमिक शिक्षा में अनेक कमियाँ हैं। सबसे पहले तो इसकी गुणवत्ता में ही कमी के कारण प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों का विकास सुचारु रूप से नहीं हो रहा है। इसके सुधार के लिए हमें प्रयास करने होंगे। इसके लिए अध्यापकों को कक्षा में अपनाए जाने वाली कार्यविधियों, छात्रों में ज्ञान का मूल्यांकन एवं विद्यालयी संरचना पर कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षकों की कमी भी प्राथमिक शिक्षा को प्रभावित करती है। संयुक्त राष्ट्र संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 1,00,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें महज एक ही शिक्षक है। इसके अलावा, इन स्कूलों में शिक्षकों के एक 11,00,000 पद खाली हैं, जिनमें से 69 फीसदी ग्रामीण इलाकों में हैं। शिक्षकों की कमी के कारण अधिकांश शिक्षक बहु वर्गीय कक्षा का संचालन करने के लिए मजबूर होते हैं। इन कक्षाओं में पढ़ना कम और बच्चों को एक साथ बिठाकर किसी तरह समय पूरा करना अधिक होता है। सबसे गंभीर स्थिति उस समय खड़ी होती है जब सरकार अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे चुनाव बूथ स्तर कार्य, जनगणना, पशुगणना, आर्थिक गणना आदि में लगा देती है। इससे शिक्षण कार्य बाधित होता है और शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी आती है। हमारे देश में शिक्षा का मुख्य आधार प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद बच्चे बीच में विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावक दो वर्ष तक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के बाद खेती, व्यापार आदि कार्यों में लगा देते हैं। कई विद्यालय घर से बहुत दूर हैं। कहीं प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का वितरण ठीक से नहीं हो पाया है तो कई विद्यालयों में योग्य अध्यापकों की कमी है। प्राथमिक शिक्षा जीवन के पहले कुछ वर्षों के दौरान छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। शिक्षा मनुष्य का सबसे मूल्यवान आभूषण है। इस प्रकार आकाश के आभूषण,

चन्द्रमा और सितारे हैं, नारी का आभूषण पति है, पृथ्वी का आभूषण प्रकृति है, उसी प्रकार शिक्षा सभी मनुष्यों का वह आभूषण है जिसे प्रत्येक मनुष्य को धारण करना चाहिए। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। शिक्षा हीन व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी ठीक उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो पाता जिस प्रकार गंधहीन ढाक के फूल। इसलिए प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षित करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं और अपने बच्चों को उचित शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। जो माता-पिता ऐसा नहीं करते वे अपनी संतान के भविष्य व समाज के विकास के मार्ग में सबसे बड़े शत्रु होते हैं। प्राचीन समय में शिक्षा के क्षेत्र में भारत देश को जगतगुरु माना जाता था। उस समय भारत देश आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न था और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। शिक्षा ऐसा धन है, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है। ना तो राजाओं या ना सरकार द्वारा छीना जा सकता है और न ही भाई द्वारा बांटा जा सकता है, अपितु उसका जितना प्रचार-प्रसार किया जाए, यह उतना ही बढ़ता जाता है।

प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों में ज्ञान की समझ विकसित करने हेतु कक्ष-कक्ष प्रबंधन, प्रभावी छात्र- शिक्षक संवाद एवं सीखने पर ज़ोर देने वाली गतिविधियों का सर्वाधिक महत्व है। एक छात्र की अध्ययन प्रगति का आकलन करना शिक्षक की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक है। छात्र अपनी अध्ययन में कितनी प्रगति कर रहे हैं इनका मूल्यांकन करना आवश्यक है। कक्षा में छात्रों के नियमित और निरंतर मूल्यांकन से बच्चों में पढ़ने और आगे बढ़ने की लालसा बढ़ती है। विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सबसे पहले अध्यापक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके साथ

प्राथमिक विद्यालयों को मॉडल विद्यालय में बदलकर उसकी गुणवत्ता में और भी सुधार लाया जा सकता है। मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखकर भी शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए अभिभावकों के साथ-साथ समुदायों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। छात्रों के दैनिक मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक का होना आवश्यक है। समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण होना भी जरूरी है तभी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है।

श्री नृपेन्द्र चंद्र बिश्वास, व. लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) तथा श्री प्रबीर कुमार साहा, पर्यवेक्षक की अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति पर आयोजित विदाई समारोह की एक झलक

मानसिक स्वास्थ्य: एक महत्वपूर्ण विषय

अशितीमा मल्लिक,
लिपिक

मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण का महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमारे सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है हमारे मन, भावनाएं और विचारों का स्वास्थ्य। इसका संपूर्णता से होना हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है।

मानव जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व अत्यंत उच्च है। एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में हम अधिक सकारात्मक और सक्रिय होते हैं, जबकि अस्वस्थता के मामले में हम अकेलापन, असुरक्षा, और अस्थिरता महसूस करते हैं। इसलिए, मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, सहायक या अवरोधक बनाता है।

मानसिक स्वास्थ्य की समझ के लिए हमें उसके लक्षणों को समझने की आवश्यकता है। चिंता, उदासी, निराशा, व्याकुलता, अवसाद, तनाव, नींद की समस्या, खाने-पीने में बदलाव, और संबंधों में संकोच- ये सभी मानसिक स्वास्थ्य की अवस्था के संकेत हो सकते हैं। यदि ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो इसके कारण बनने वाली समस्याओं का सामना करना मुश्किल हो सकता है।

अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का होना न केवल व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, बल्कि समाज के लिए भी। एक स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति काम में प्रभावी होता है, संबंधों को मजबूत बनाता है, और समाज को साथ लेकर आगे बढ़ता है।

मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, अनुपम नींद, सोशल कनेक्टिविटी, और सहायक संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना भी जरूरी है, खासकर जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में संदेह करते हैं।

लोग अक्सर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते, और इससे उन्हें सही सहायता नहीं मिलती। इससे लोगों में और भी तनाव और असुरक्षा का भाव होता है, जिससे समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समाज में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

समाप्त करते समय, हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य आधुनिक समाज की नीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसे समझना और इसकी देखभाल करना सभी की जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ मानसिक समाज ही एक स्वस्थ और समृद्ध समाज की नींव होता है।

कार्यालयीन ग्रंथागार की झलकी

वृक्षारोपण का उद्देश्य

आशीष कुमार गुप्ता,
एम.टी.एस.

प्रस्तावना

वृक्षारोपण मूल रूप से पौधों को पेड़ का रूप देने की प्रक्रिया है और इसलिए उनका अलग-अलग स्थानों पर रोपण किया जाता है। वृक्षारोपण के पीछे का कारण ज्यादातर वनों को बढ़ावा देना, भूनिर्माण और भूमि सुधार है। वृक्षारोपण के इन उद्देश्यों में से प्रत्येक अपने स्वयं के अनूठे कारण के लिए महत्वपूर्ण है।

वनों को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण का महत्व

वृक्षारोपण के सबसे सामान्य उद्देश्यों में से एक वनों को बढ़ावा देना है। पृथ्वी पर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमारे ग्रह का एक प्रमुख हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। हालांकि औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से वन तीव्र गति से काटे जा रहे हैं, फिर भी वृक्ष स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। लेकिन वनों की कटाई की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हमें अपनी ओर से वृक्षारोपण के रूप में अपना योगदान देना जरूरी है। वृक्षारोपण की मदद से वन तेजी से उगाए जा सकते हैं।

भूदृश्य के लिए वृक्षारोपण का महत्व

वृक्षारोपण बागवानी के उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। आजकल शहरी क्षेत्र ज्यादातर पेड़ों और पौधों से रहित होते हैं। इन जगहों का भू-निर्माण, इन जगहों को रहने लायक बनाने के साथ-साथ उन्हें एक अच्छा कारक बनाने के लिए किया जाता है। वृक्षारोपण परिवेश को सुशोभित करने का सर्वोत्तम और आसान तरीका है। ये अक्सर सड़क के किनारे सोसाइटियों

में, पार्कों के साथ-साथ भूनिर्माण के प्रयोजन से शहर में अन्य स्थानों पर लगाए जाते हैं। इससे न केवल जगह सुंदर दिखती है बल्कि गर्मी को कम करने में भी मदद करती है और कई अन्य लाभ भी प्रदान करती है।

गैर-लाभकारी स्वयंसेवी संगठन का योगदान

वृक्षारोपण हरियाली को फैलाने के सबसे आसान और तेज़ तरीके में से एक है। दुनिया भर के लोगों ने समय-समय पर पर्यावरण की ओर योगदान करने के लिए स्वयंसेवा की है। उनमें से कई ने संयुक्त प्रयासों के साथ गैर-लाभकारी संस्थाएं स्थापित की हैं और पृथ्वी को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए काम किया है। इन संगठनों ने न केवल वृक्षारोपण गतिविधियों बल्कि अन्य कार्यवाहियों से भी हरियाली को फैलाने के लिए अन्य लोगो को इस उद्देश्य के लिए काम करने हेतु प्रेरित किया है। वे वृक्षारोपण के महत्व को समझाने के लिए स्कीट्स का आयोजन करते हैं और अपने पड़ोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों के बीच प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के आगमन से वृक्षारोपण के महत्व के बारे में ज्ञान फैलाना और लोगों को इस ओर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना आसान हो गया है।

वृक्षारोपण के लिए आवश्यक सरकारी सहायता

जहाँ गैर-सरकारी संगठन पर्यावरण को साफ-सुथरा और हरा-भरा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं वही उनसे कहीं-कही गलती भी हो रही है। इस अभियान हेतु काम करने के लिए प्रचार घ्यापक पैमाने पर किया जाना चाहिए। चूँकि ये सभी गैर-लाभकारी संगठन है इसलिए उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। सरकार को उनके उद्देश्यों को सहारा देने के लिए पूरी तरह से उनका समर्थन करना चाहिए। आखिरकार ये सगंठन बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्रदान

की गई वित्तीय सहायता के साथ ये संगठन बड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं और टेलीविजन, समाचार पत्रों और सड़क के किनारे लगे बड़े होर्डिंग, विज्ञापनों में अन्य लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। लोगों को इस बारे में संवेदनशील होना चाहिए ताकि वे बड़ी संख्या में भाग ले सकें। इस दिशा में एक बड़ा परिवर्तन केवल तभी संभव है जब हम में से हर एक पेड़ को लगाने की जिम्मेदारी लेता है। यहाँ तक कि अगर हमारे पास गैर-सरकारी संगठन में शामिल होने और नियमित रूप से इस उद्देश्य के लिए काम करने का समय नहीं है तो भी हम अपने आस-पास के क्षेत्रों में पेड़ लगाकर अपना छोटा-सा योगदान दे सकते हैं।

निष्कर्ष

यह सही समय है जब लोगों को वृक्षारोपण के महत्व को पहचानना चाहिए और इसके लिए योगदान करना चाहिए। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2024 के अवसर पर कार्यालय परिसर की साज-सज्जा की झलकी

मेघालय: एक अविस्मरणीय यात्रा का विस्तृत अनुभव

उज्ज्वल कांत,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

मेघालय, भारतीय उत्तर-पूर्व का एक बेहतरीन राज्य, अपनी बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस राज्य की यात्रा ने मुझे न केवल अद्वितीय दृश्यों और अनुभवों से अवगत कराया बल्कि मुझे जीवन की एक नई परिभाषा भी सिखाई। इस लेख में, मैं अपनी मेघालय यात्रा के दौरान अनुभव किए गए विभिन्न पहलुओं का विवरण दूँगा, जो इस राज्य की विविधता और अनूठे सौंदर्य को उजागर करते हैं।

शिलांग सांस्कृतिक समृद्धि और शांति का मिलन**

मेरी यात्रा की शुरुआत मेघालय की राजधानी शिलांग से उस समय शुरू हुई जब मैं अपने कामकाज में प्रशिक्षण हेतु शिलांग के ही एक प्रशिक्षण संस्थान में तीन माह की अवधि के लिए गया था। शिलांग, जिसे "पूर्व का स्कॉटलैण्ड" भी कहा जाता है, के वातावरण और जलवायु ने पहली ही झलक में मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। शिलांग की हरी-भरी वादियाँ, ताजगी भरी हवा, और ऊँचाई से दिखता सम्पूर्ण शहर का दृश्य, यह सब एक अनोखी शांति का अहसास करा रहे थे।

शिलांग का एक मुख्य आकर्षण डॉन बोस्को म्यूजियम है, जो मेघालय की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संग्राहक है और इसे एक अलग ही रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ के संग्रहालय में, मैंने मेघालय की विभिन्न आदिवासी जनजातियों के जीवन, परंपराओं और उनकी कला को गहराई से समझा। एक विशेष बात जो मुझे प्रभावित करती है वह है यहाँ के आदिवासी लोगों द्वारा बनाये गए पारंपरिक वस्त्र और आभूषणों की जटिलता और सौंदर्य।

यह अनुभव मुझे यह सिखाने में सहायक था कि सांस्कृतिक विविधता और परंपरा के संरक्षण में कितनी गहराई होती है और इसका संरक्षण क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है।

शिलांग पीक: आत्म-साक्षात्कार और प्रकृति की उपस्थिति

शिलांग पीक पर चढ़ाई एक अनोखा अनुभव था। यह शिलांग का सबसे ऊँचा बिंदु है, और यहाँ से पूरा शहर एक भव्य दृश्य के रूप में प्रकट होता है। चढ़ाई के दौरान, मैं यह महसूस कर रहा था कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और व्यस्तता को छोड़कर, मैं एक बिल्कुल ही नए और शांत वातावरण में प्रवेश कर रहा हूँ। शिलांग पीक पर खड़े होकर, चारों ओर फैली हरी-भरी वादियाँ और नीला आकाश मुझे आत्मिक शांति और सुकून का अहसास करा रहे थे। यह क्षण मेरे लिए जीवन की सरलता और सुंदरता की एक नई परिभाषा लेकर आया। यहाँ की ताजगी भरी हवा इस बात का एहसास करा रहे थे कि प्रकृति से जुड़ा रहना कितना जरूरी है और यह हमारे ही जीवन का एक अभिन्न अंग है.

चेरापूँजी: प्रकृति का गहरा प्रभाव

मेघालय की यात्रा में चेरापूँजी (सोहरा) की यात्रा ने मुझे प्रकृति की शक्ति और उसकी अनमोल सुंदरता का अनुभव कराया। मेघालय में चेरापूँजी इतना प्रसिद्ध है कि विदेशों से भी कई पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। चेरापूँजी की लगातार बारिश और ठण्डी जलवायु ने यहाँ के दृश्य को जादुई बना दिया था। यहाँ के घने जंगल, ऊँचे जलप्रपात, और धुँधले वातावरण ने मेरे मन को गहराई से प्रभावित किया।

नोहकलिकाई जलप्रपात देखने का अनुभव विशेष रूप से अद्वितीय था। यह जलप्रपात दुनिया के सबसे ऊँचे जलप्रपातों में से एक है और इसका दृश्य अत्यंत मनमोहक था। यहाँ खड़े होकर, मैंने महसूस किया कि प्रकृति

की शक्ति और उसकी सुंदरता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जलप्रपात की ऊँचाई और उसकी गिरती धारा ने मुझे एक गहरी आत्मिक अनुभूति दी, जो जीवन की भव्यता और समृद्धि को समझने में सहायक रही।

मॉस्माई गुफाएँ: प्रकृति की अद्भुत संरचनाएँ

चेरापूँजी की यात्रा के दौरान, मैंने मॉस्माई गुफाओं का भी दौरा किया। ये गुफाएँ अपनी जटिल संरचना और अद्वितीय जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं। गुफाओं की अंदरूनी सुंदरता और उनकी गहरी गुफाओं ने मेरे मन को विशेष रूप से आकर्षित किया। गुफाओं में चलना एक अद्वितीय अनुभव था, जहाँ प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर संरचनाएँ प्रस्तुत की थीं। यहाँ के स्थिर जल और गुफाओं के भीतर की एक रहस्यमयी जलवायु और एक अनोखी आभा ने मुझे प्रकृति की अनगिनत खूबसूरती का अहसास कराया।

जीवंत जड़ पुल: प्रकृति की अद्वितीय रचना

मेघालय के खासी पहाड़ियों के बीच स्थित, जीवंत जड़ पुल एक अद्वितीय प्राकृतिक संरचना है। इन पुलों को स्थानीय लोग 'रूट ब्रिज' कहते हैं, और ये पुल पूरी तरह से जीवित हैं। ये पुल प्राकृतिक रबर के पेड़ की जड़ों से बनाए जाते हैं, जो समय के दौरान परिपक्व होकर एक मजबूत पुल का रूप ले लेते हैं।

मेरी यात्रा की शुरुआत चेरापूँजी से हुई, जहाँ से जीवंत जड़ पुल की ओर रुख किया। पुल तक पहुँचने के लिए एक लंबी और रोमांचक ट्रैकिंग की ज़रूरत थी, जो स्थानीय गाँवों और हरे-भरे जंगलों के माध्यम से की जाती है। ट्रैक के दौरान, मैंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की और उनकी जीवन शैली और संस्कृति को समझने का अवसर पाया। यह ट्रैक कठिन था, लेकिन इसके दौरान मिली प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय जीवन की झलक ने इस यात्रा को रोमांचक और यादगार बना दिया।

जीवंत जड़ पुल पर पहुँचकर, मैंने महसूस किया कि यह एक अद्वितीय कला और प्रकृति का सम्मिलन है। पुल की जड़ें इतनी मजबूती से बुनी हैं कि वे कई लोगों का भार सहन कर सकती हैं। पुल पर चलना एक अनोखा अनुभव था, जैसे कि आप प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध में हों। पुल की रचना और उसके निर्माण में लगे समय ने मुझे प्रकृति की शक्ति और स्थायित्व का अहसास कराया।

****लॉन्गपीट: आदिवासी जीवन का सांस्कृतिक अनुभव****

मेघालय की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था लॉन्गपीट, एक छोटा आदिवासी गाँव है। लॉन्गपीट की गलियों में घूमते हुए, मैंने वहाँ की आदिवासी जीवन शैली को गहराई से अनुभव किया। गाँव के बाजार में स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र और भोजन की विविधता ने मुझे आदिवासी संस्कृति के बारे में जानने का मौका दिया।

लॉन्गपीट में बिताए गए समय ने मुझे यह सिखाया कि जीवन की वास्तविक सुंदरता और संतोष साधारण चीजों में ही छुपे होते हैं। यहाँ की पारंपरिक जीवन शैली, आदिवासी लोगों की सरलता, और उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण ने आधुनिकीकरण और जीवन में सम्पन्नता एवं समृद्धता के प्रति मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया। मैंने महसूस किया कि आधुनिकता के बावजूद, पारंपरिक जीवन शैली का एक विशेष आकर्षण और मूल्य होता है।

****डावकी: पानी की अनंत सुंदरता****

मेघालय की यात्रा में डावकी का अनुभव एक पूरी तरह से अलग लेकिन समान रूप से अद्वितीय था। डावकी, जो बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित है, अपनी स्पष्ट नीले जल और सुंदर परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। डावकी की यात्रा के दौरान, मैंने देखा कि यहाँ का पानी इतना साफ था कि उसमें नीचे की चट्टानों और रेत को बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता था। डावकी

पहुँचने पर, मैंने उमियम नदी पर बोटिंग का आनंद लिया। नदी का पारदर्शी पानी और आसपास की हरी-भरी पहाड़ियाँ एक जादुई दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। बोटिंग करते समय, मैंने महसूस किया कि यह एक अद्वितीय अनुभव है, जहाँ पानी के शांति और स्वच्छता के साथ आप प्रकृति की सुंदरता को गहराई से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा, डावकी के पास स्थित गांवों की सांस्कृतिक धरोहर भी आकर्षण का केंद्र रही। वहाँ के लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली और रीति-रिवाजों के साथ जीवन जीते हैं। मैंने यहाँ के स्थानीय बाजारों में घूमकर, उनके हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्रों का अवलोकन किया, जो मेघालय की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं।

मेघालय की यात्रा का समग्र प्रभाव

मेघालय की यात्रा ने मुझे प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता, और जीवन के सरल आनंद का नया दृष्टिकोण दिया। शिलांग की शांति, चेरापूँजी की भव्यता, और लॉन्गपीट की सांस्कृतिक धरोहर ने इस यात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया।

इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि जीवन की सच्ची खुशियाँ और संतोष केवल भौतिक सुख-सुविधाओं में नहीं, बल्कि साधारण और प्राकृतिक अनुभवों में छुपे होते हैं। मेघालय की प्रकृति और संस्कृति ने मेरे दिल और दिमाग को छू लिया, और इस यात्रा ने मेरे जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय यात्रा का दर्जा प्राप्त किया।

मेघालय की यात्रा ने मुझे यह समझने में मदद की कि यात्रा का असली उद्देश्य केवल स्थलों का अवलोकन नहीं होता, बल्कि आत्मिक विकास, सांस्कृतिक समझ, और जीवन की गहरी अनुभूति भी होता है। यह यात्रा न केवल एक भौतिक यात्रा थी, बल्कि एक आत्मिक यात्रा भी थी, जिसने मुझे जीवन के नए पहलुओं को समझने और अपनाने का अवसर प्रदान किया।

मृत्यु: एक परम सत्य

उज्जवल कुमार,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

सोचिए, अगर हम सब अमर होते, तो जीवन कैसा होता? शायद हर दिन का आनंद ही समाप्त हो जाता, क्योंकि कुछ भी नया या रोमांचक नहीं होता। लेकिन, सच्चाई यह है कि हम सभी को एक न एक दिन इस भौतिक संसार से प्रस्थान करना है। मृत्यु, जीवन का वह अपरिहार्य सत्य है जिसकी हम सबसे अधिक उपेक्षा करते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमारे अस्तित्व की प्रत्येक श्वास के साथ उपस्थित रहता है। जीवन और मृत्यु, ये दो ऐसे अटूट सत्य हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जन्म और मृत्यु, जीवन की दो सीमाएँ हैं, जिनके बीच हम अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

मृत्यु का उल्लेख होते ही मन में असामान्य सी बेचैनी उत्पन्न होती है। यह सत्य हमें जीवन की नश्वरता का अनुभव प्रदान करता है। यह हमें समझाता है कि हमारे पास इस धरती पर सीमित समय है, और यही विचार हमें जीवन को अधिक मूल्यवान बनाने की प्रेरणा देता है।

मृत्यु का अर्थ केवल मूर्त जीवन का अंत नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो भौतिक जीवन के समाप्त होने के साथ ही आरंभ होती है और यह सुनिश्चित करती है कि हर जीवित प्राणी इस चक्र से होकर गुजरे। चाहे वह मानव हो, जानवर हो, पौधा हो या कोई अन्य जीव, सभी के लिए मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु को अस्वीकार करना हमारे लिए असंभव है क्योंकि यह एक अटल सत्य है। महान कवि कालिदास ने लिखा है, **"मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है।"**

हमारे समाज में मृत्यु का एक विशेष स्थान है। मृत्यु का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी

होता है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है, तो उसके साथ कई स्मृतियाँ, अनुभव और संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। यह एक सामूहिक दुःख होता है, जिसे समाज के लोग मिलकर सहन करते हैं।

जब कोई प्रियजन इस संसार से प्रस्थान करता है, तो वह अपने पीछे एक रिक्त स्थान छोड़ जाता है, जिसे भर पाना बहुत कठिन होता है। यदि वह प्रियजन अपने जीवन के समस्त आश्रम को अच्छे से जीता है तो उसे इस धरती से बहुत ही धूमधाम से विदा किया जाता है। यह रिक्ति हमें हमारी नश्वरता की अनुभूति तो कराती ही है साथ ही साथ हमें यह भी अनुभव होता है कि जीवन को संपूर्णता से जीना कितना महत्वपूर्ण है।

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है:

"बिनु सत्संग विवेक न होइ, राम कृपा बिनु सुलभ न सोइ
सठ सुधरहिं सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई "

यह पंक्तियाँ हमें यह ज्ञान प्रदान करती हैं कि जीवन में अच्छे कर्म और सत्संग का महत्व कितना अधिक है। मृत्यु के पश्चात् हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी मृत्यु का विशेष महत्व है। इसे जीवन के चक्र का अनिवार्य हिस्सा माना गया है, जो आत्मा की यात्रा में एक आवश्यक चरण है। हिंदू धर्मग्रंथों में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखा जाता है। यह विचारधारा भगवद्गीता, उपनिषद, पुराणों और अन्य पवित्र ग्रंथों में प्रकट होती है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के संबंध में गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाएँ प्रदान करती है।

गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं:

"वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥"

अर्थात् जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्यागकर नया शरीर धारण करती है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु मात्र एक परिवर्तन है, एक नया जन्म है।

कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद में मृत्यु और आत्मा के रहस्यों पर गहन चर्चा होती है। यमराज नचिकेता को समझाते हैं:

"न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥"

इसका अर्थ है कि आत्मा का न जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। उपनिषदों का यह ज्ञान मृत्यु को जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने और आत्मा की अनश्वरता में विश्वास रखने की शिक्षा देता है।

पुराणों में भी मृत्यु का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक, और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह ग्रंथ व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्ति की शिक्षा देता है जिससे मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने की सही दिशा मिलती है। मृत्यु के बाद आत्मा का स्वर्ग या नरक में जाना और फिर पुनर्जन्म लेना कर्मों पर निर्भर करता है।

महाभारत में यक्ष-युधिष्ठिर संवाद में यक्ष पूछते हैं, **"सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?"** युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, **"प्रत्येक दिन लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी जो बच जाते हैं, वे सोचते हैं कि वे अमर हैं।"** यह संवाद मृत्यु के सत्य और मानव की अनिश्चितता पर प्रकाश डालता है।

भारतीय संस्कृति में मृत्यु न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मृत्यु संस्कार, श्राद्ध, और पिंडदान जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से मृत्यु के बाद की यात्रा को सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाता है। इन अनुष्ठानों में जीवन के चक्र को मान्यता दी

जाती है और यह संदेश दिया जाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होना है।

मृत्यु का व्यक्तिगत अनुभव भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण रखता है और इसका सामना करने का तरीका भी भिन्न होता है। मृत्यु के समीप पहुँचने वाले व्यक्ति के अनुभव और उसकी भावनाएँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। यह अनुभव न केवल व्यक्ति की जीवन दृष्टि को प्रभावित करता है, बल्कि उसके परिजनों और समाज पर भी प्रभाव डालता है। मेरे दादाजी जब इस संसार से विदा हुए, तब मैं बहुत छोटा था। लेकिन वह अनुभव आज भी मेरी स्मृति में जीवित है। उनके जाने के बाद, मैंने पहली बार जीवन और मृत्यु के बारे में गंभीरता से सोचना प्रारम्भ किया। उनकी मृत्यु ने मुझे सिखाया कि जीवन बहुत ही क्षणिक है और हमें इसे गंभीरतापूर्वक और विचारशीलता से जीना चाहिए।

मृत्यु एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। यह जन्म, वृद्धि, और परिपक्वता के बाद अनिवार्य रूप से आती है। यह चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक अंत एक नए प्रारंभ की ओर इशारा करता है। प्रकृति में, प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित अवधि होती है। पौधे उगते हैं, फूल खिलते हैं, और फिर वे मुरझा जाते हैं। इसी तरह, हर जीवित प्राणी का भी एक निश्चित जीवन-काल होता है। यह चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अनिवार्य हैं और हमें इन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। हमें इसे डर के रूप में नहीं, बल्कि एक नई यात्रा के रूप में देखना चाहिए। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझकर, हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं।

महाकवि कबीर ने कहा था:

"माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर।
कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर॥"

अर्थात् कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला लेकर घुमाता तो है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों या भाव को बदलो। इसलिए, हमें जीवन को उसकी संपूर्णता में जीना चाहिए तथा इसे एक अर्थपूर्ण दिशा में अग्रसर करना चाहिए।

मृत्यु हमें यह भी सिखाती है कि जब हमारा समय आए, तो हम संतोष और शांति के साथ इस दुनिया को छोड़ सकें। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन की हर छोटी-बड़ी घटना, हर रिश्ते, और हर अनुभव का महत्व है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि हर क्षण का मूल्य समझना चाहिए और उसे सार्थक बनाना चाहिए। इस नश्वर जीवन में मृत्यु का महत्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए, अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। जीवन की इस निश्चित अनिश्चितता को स्वीकार कर हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं।

मृत्यु के बारे में विचार करते हुए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह विषय केवल आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, तेज़ी से बदलती तकनीकी दुनिया, और सतत प्रतिस्पर्धा के बीच, मृत्यु का सत्य हमें एक महत्वपूर्ण सीख दे सकता है।

आज की पीढ़ी, जो सोशल मीडिया, मनोरंजन और अन्य विकर्षण में अपनी प्राथमिकताओं को ढूँढ़ती हुई तेजी से सफलता की ओर बढ़ रही है, कभी-कभी यह भूल जाती है कि जीवन का असली अर्थ केवल भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि अपने आस-पास के लोगों के साथ जुड़ाव, रिश्तों

की गुणवत्ता और अपने स्वयं के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी है। मृत्यु के विचार से प्रेरित होकर, हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और उन चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो वास्तव में महत्ता रखती हैं। जीवन में चुनौतियाँ और बाधाएँ आती रहेंगी, लेकिन मृत्यु की अनिवार्यता की अनुभूति हमें इन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह हमें सिखाती है कि हर समस्या का एक अंत होता है, और इस जीवन के हर क्षण का आनंद लेना आवश्यक है। यह हमें हमारे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, अपने सपनों का पीछा करने और हमारे आस-पास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है।

आज की तनावपूर्ण जीवनशैली में, स्वास्थ्य की उपेक्षा करना आसान हो सकता है। मृत्यु की अनिवार्यता हमें अपने शरीर और मन की देखभाल करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन जी सकें। मृत्यु, एक परम सत्य, हमें जीवन का वास्तविक और बहुआयामी मूल्य समझाती है। यह हमें हमारे जीवन को अर्थपूर्ण, संपूर्ण और संतुलित बनाने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक जीवन की तेज़ रफ्तार और प्रतिस्पर्धा के बीच, मृत्यु का विचार हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण जीना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहिए। इस प्रकार, मृत्यु का सत्य हमें एक संतुलित, संवेदनशील और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु का अपरिहार्य होना ही हमें सिखाता है कि सफलता मात्र वह नहीं जो हमें जीवित रहते हुए मिलती है बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे जाने के बाद लोग हमें कैसे स्मरण करते हैं।

हिन्दी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।

मदन मोहन मालवीय

सुन्दरकाण्ड का महात्म्य

ऊदल सिंह सोलंकी,
हिन्दी अधिकारी

महाकवि तुलसीदासजी महाराज हिन्दी साहित्य के स्वर्णिम काल भक्तिकाल के न केवल सशक्त हस्ताक्षर हैं, अपितु वे एक महान् भागवत भी हैं। उन्होंने अपने आराध्य श्रीरामसीता की स्तुति तथा उनकी अनुपम कथा एवं कृपा का वर्णन अपने ग्रंथों के माध्यम से किया है। श्री गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज द्वारा विरचित **श्रीरामचरितमानस** अत्यंत ही विश्वप्रसिद्ध तथा हिन्दुओं का परम् पूजनीय धार्मिक ग्रंथ है जोकि इस घोर आधुनिकतावाद में आशा की एक उज्ज्वल रश्मि के समान व पथ प्रदर्शक मार्ग स्वरूप ज्ञान का आलोक प्रदान करता है। इसमें समाज की समकालीन समस्याओं का अत्यंत ही सूक्ष्म प्रकार से लाक्षणिक चित्रण किया गया है जोकि समाधानों के नये द्वार खोलता है। इस महान् ग्रंथ में श्रीराम जी के विशद् एवं विमल चरित्र का सात काण्डों में अति सुन्दर व प्रभावशाली चित्रण किया गया है, यथाः **बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड**।

जैसा कि नाम से ही अभिव्यक्त है सुन्दरकाण्ड अतीव सुन्दर व ज्ञान की रश्मियों तथा पराक्रम की गाथाओं से परिपूर्ण है। सुन्दरकाण्ड में सुन्दर शब्द का प्रयोग आठ बार हुआ है। इस काण्ड में श्री हनुमान जी ने श्री राघवजी का पाँच बार स्मरण किया है और पाँच महत्त्वपूर्ण कार्य भी सिद्ध किये हैं। वे हैं- सागर लघंन, सीताजी के दर्शन या खोज, असुरों की अशोक वाटिका उजाड़ना, राक्षसों को मारना और लंका को जलाना। श्री बजरंगवली महाराज, माता सीताजी की खोज में लंकापुरी गये थे जहाँ लंका त्रिपुटाचल पर्वत पर बसी हुयी थी। यह पर्वत तीन पर्वतों का समूह था। प्रथम पर्वत का नाम था; सुबैल, जहाँ मैदान थे, द्वितीय का नाम था; नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल स्थित थे और तृतीय पर्वत का नाम सुन्दर पर्वत था, जहाँ अशोक

वाटिका थी। इसी वाटिका में श्री हनुमानजी महाराज की माता सीताजी के साथ भेंट हुयी थी। इसीलिए इस काण्ड को संभवतः सुन्दरकाण्ड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, पवनपुत्र वीर हनुमान सर्वांग सुन्दर हैं और इस काण्ड में उनके अद्वितीय पराक्रम तथा अभूतपूर्व पुरूषार्थ का वर्णन तथा कार्यों की सिद्धि है। अतएव इस पंचम काण्ड को सुन्दरकाण्ड नाम दिया गया।

सुन्दरकाण्ड का शुभारंभ अत्यंत प्रभावशाली तरीके से किया गया है जोकि कवि की विद्वता और अपने आराध्य के प्रति अगाध समर्पण का द्योतक है।

''शातं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम।
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्।
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं,
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्।।''

अर्थात् शान्त, सनातन, अप्रमेय (प्रमाणों से परे), निष्पाप, मोक्षरूप परम शान्ति प्रदान करने वाले, ब्रह्मा, शम्भु और शेषजी से निरंतर सेवित, वेदान्त द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करूणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं हृदय से वंदना करता हूँ। भावार्थ यह भी है कि सुन्दरकाण्ड का पूरे विधि-विधान से किया गया पाठ निर्वाण शान्ति प्रदायक होता है। अतः इससे मानसिक, दैहिक, भौतिक सभी तरह के अवसाद, चिन्ता, भय, शोक, क्रोध, अहंकार इत्यादि मनुष्य के परम् शत्रुओं पर सहज ही विजय प्राप्त होती है। सुन्दरकाण्ड का पाठ इतना अधिक प्रभावशाली है कि भक्त जन की सभी दैहिक एवं भौतिक समस्याओं का समाधान इससे संभव है। बस उसके लिए आपका तन, मन और कर्म पवित्र होना अत्यंत अनिवार्य है। तन व मन और कर्म की पूर्ण शुचिता ही ईश्वरीय मार्ग की प्रथम व अनिवार्य शर्त है जिसके

बिना किसी भी कृपा की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इस काण्ड में प्रभु के स्पष्ट वचन हैं कि

निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।।

अर्थात् जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट तथा छल-छिद्र नहीं सुहाते हैं। धर्म के अनुसार सत्यमार्ग पर चलते हुए कर्म करना और हर क्षण अपने आराध्य को हृदय में धारण करना ही सभी कार्यों और ईष्टों की सिद्धी है। उदाहरणार्थ सुन्दरकाण्ड की यह चौपाई दृष्टव्य हैः

जौं नर होइ चराचर द्रोही, आवै सभय सरन तकि मोही।।
तजि मद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना।।

ईश्वर के स्पष्ट वचन हैं कि यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक पापी प्रकृति का है और मेरी शरण में आता है तो मैं स्वयं उसे साधु के समान पवित्र हृदय और आचरण वाला बना देता हूँ, बशर्ते वह आगे कोई भी पाप कार्य नहीं करे तथा वह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कपट, छल इत्यादि को सदैव के लिए त्याग दे। यदि सुन्दरकाण्ड का पाठ पूरे मन और पवित्रता के साथ रात को नौ बजे के बाद निरंतर 49 दिवसों तक किया जाए तो श्री हनुमान जी भवभयहरण श्रीसीतारामचन्द्र जी की कृपा से व्यक्ति के सभी संकटों व बाधाओं का नाश करते हैं, इसमें कदापि संशय नहीं है। वर्तमान कलिकाल में महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजी के श्रीरामचरितमानस ग्रंथ की महिमा अतीव अद्भुत और अकल्पनीय है और उसमें भी सुन्दरकाण्ड तो अति चमत्कारी है तथा सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने के साथ-साथ मन को शान्त और प्रसन्न करने वाला है जिसके नियमित रूप से सादर सुनने मात्र से ही मानव इस मायारूपी भयावह भवसागर से सहज ही तर सकता है।

सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान
सादर सुनही ते तरही भव सिन्धु बिना जल जान।।

नागालैंड के सांस्कृतिक बहुरूपदर्शक पर एक संक्षिप्त नज़र

एच. अमेनतोली शोहे,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

नागालैंड - देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात बहनों के राज्यों में से एक है जिसकी आबादी लगभग 20 लाख है जो लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नागालैंड अपनी विविध जातीय आबादी पर गर्व करता है जिसमें 17 प्रमुख जनजातियाँ और लगभग 86 उप-जनजातियाँ शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक जनजाति और उप-जनजाति को उनकी अनूठी भाषा, रीति-रिवाजों और वेशभूषा के माध्यम से पहचाना जा सकता है, जो सभी मिलकर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में योगदान करते हैं। नागालैंड की कई जनजातियों और उप-जनजातियों की पहचान राज्य के भीतर उनके रहने वाले क्षेत्रों के आधार पर भी की जा सकती है।

नागालैंड की विविध जातीय आबादी नागा लोककथाओं के समृद्ध संग्रह में भी योगदान देती है जो विभिन्न नागा समूहों के भीतर मजबूत सामुदायिक बंधन/जीवन का प्रतीक है। ये लोककथाएँ, अतीत में, मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती थीं। वर्तमान समय में, विश्व के साथ प्रगति करते हुए, इन बहुमूल्य लोककथाओं को संजोकर रखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और ऑडियो, वीडियो जैसे विभिन्न माध्यमों और विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को गांवों के अनुसार समूहीकृत किया गया है, जिसमें उस विशेष जनजाति के विभिन्न कुलों और उप-कुलों को शामिल किया गया है। इन नागा गांवों पर ग्राम प्रधान का शासन

होता है। नागाओं में मुखिया प्रथा वंशानुगत है। जेम्स फिलिप मिल्स (भारतीय सिविल सेवा, 1913-1947) ने टिप्पणी की कि जनजाति की सभी वास्तविक राजनीतिक इकाइयों के साथ, यह गाँव की सरकार है जो गाँव के सभी लोगों पर शासन और प्रशासन करती है।

नागालैंड की प्रत्येक जनजाति और उप-जनजाति के अपने-अपने त्योहार हैं। इस प्रकार, नागालैंड में पूरे वर्ष कई त्योहार मनाये जाते हैं। इसके कारण नागालैंड को त्योहारों की भूमि के रूप में भी जाना जाने लगा। ये त्यौहार न केवल विभिन्न जनजातियों के विविध समुदायों के भीतर सामाजिक प्रथाओं को संरक्षित रखते हैं बल्कि उनके रीति-रिवाजों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं को अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं।

मुख्य नागा जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहार हैं- तुलुनी (सुमी जनजाति), मोत्सु (एओ जनजाति), तोखू इमोंग (लोथा जनजाति), सेक्रेनी (अंगामी जनजाति) और एओलिंग (कोन्याक जनजाति)। कई जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों का सामान्य विषय ज्यादातर खेती की गतिविधियों से संबंधित होता है जिसमें विभिन्न समुदाय आम तौर पर पूरे वर्ष लगे रहते हैं।

नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने के उद्देश्य से, नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 से हॉर्नबिल उत्सव के समारोह को बढ़ावा दिया। यह उत्सव नागालैंड के राज्य दिवस, यानी 1 दिसंबर से शुरू होकर लगभग 10 दिनों तक चलता है।

हॉर्नबिल उत्सव को 'त्योहारों का त्योहार' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस त्योहार के दौरान नागालैंड की सभी विविध जातीय जनजातियाँ और उप-जनजातियाँ एक मंच पर एक साथ आती हैं, अपने अद्वितीय रीति-

रिवाजों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करती हैं। राज्य के बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए, यह उन्हें नागाओं की समृद्ध संस्कृति और सामुदायिक जीवन का थोड़ा-सा अनुभव कराता है और नागा लोगों के बारे में नज़दीकी समझ प्रदान करता है।

कार्यालय प्रमुख श्री हिमांशु काश्यप धर्मदर्शी, प्रधान महालेखाकार के विदाई समारोह के दौरान प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झलकी

बिहारः एक समृद्ध विरासत

कालिन्दी,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

बिहार जो प्राचीन काल में विहार (बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान) के नाम से प्रसिद्ध था, आज मैं उससे संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह देश का 12वाँ बड़ा राज्य है जहाँ 58% युवा जनसंख्या निवास करती है। हालांकि साक्षरता दर उतनी अधिक नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ आईएएस, आईपीएस समेत अधिकतम लोग सरकारी पदों पर विराजमान हैं। बिहार ग्रामीण संस्कृति से ओतप्रोत राज्य है जहाँ के पहनावे-ओढ़ावे और रीति-रिवाजों पर पड़ोसी राज्यों का आंशिक प्रभाव देखा जाता है। मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण मौसम के आधार पर कृषि को लेकर गीत न केवल महिला बल्कि पुरुषों में भी काफी प्रचलित हैं। होली पर गाया जाने वाला फगुआ, तथा चैती, राग मल्हार, कजरी, बिहार की अनोखी विरासतों को प्रतिबिम्बित करते हैं। इसके अतिरिक्त सोहर (बच्चों के जन्म पर), झिझिया (पारंपरिक लोकनृत्य) पँवरिया नाच, यहाँ की विशेष परंपरा हैं।

यदि यहाँ के शादी विवाह की बात करें तो जब तक शारदा सिंह के गीत न हो, विवाह सम्पन नहीं माना जाता। दरभंगा का मैथिली विवाह गीत एवं विवाह में वर पक्षों का गालियों से स्वागत करने की परंपरा शायद ही किसी संस्कृति में होगी। विवाह किसी भी घर में क्यों न हो भागीदारी समस्त समुदाय की होती है यानि समस्त गाँव ही अतिथियों के आदर सत्कार में जुट जाता है। पंक्ति में बैठकर पत्तलों में भोजन कराने की परंपरा यहाँ अत्यधिक प्रचलित है। पहनावे- ओढ़ावे की बात की जाए तो महिलाओं में साड़ी और पुरुषों में धोती- कुर्ता यहाँ का पारंपरिक परिधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में घूँघट

लेने की परंपरा आज तक विद्यमान है। यह पर्दा प्रथा नहीं वरन् सम्मान का प्रतीक माना जाता है।

जब बात बिहार में मनाए जाने वाले - त्योहारों की हो और छठ पूजा का जिक्र ही न हो तो ये असंभव है। यह हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। यदि छठ है तो बिहार है। यदि किसी बिहारी को इस पर्व के बारे में पता नहीं है, तो सच्चे अर्थों में बिहारी है ही नहीं। इसकी चहल-पहल एवं इसका इंतजार बिहारियों में साल के प्रारंभ से देखने को मिलता है। अत्यंत स्वच्छता से मनाए गए इस त्योहार में न केवल उगते हुए वरन् डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। जो अपने आप में एक अनोखी बात है।

यूँ तो यह प्रदेश अत्यंत पुराना है जो एक समय मौर्य एवं अन्य प्रभावशाली साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था तथा विश्व के प्रथम लोकतंत्र (वज्जि संघ) का मूल स्थान भी। यह गौतम बुद्ध की एवं महावीर की पवित्र भूमि है। इसके साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र भी थे।

जब बात नालंदा विश्वविद्यालय की ही तो उनसे संबंधित घटनाओं की चर्चा होना परिहार्य है। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये जो परीक्षा होती थी उसे द्वारपाल लिया करते थे। ह्वेनसांग चार बार द्वार पर आए परन्तु चारों बार वे द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहे। तब वे भी सोचने पर विवश हो गए कि जिसका द्वारपाल इतना ज्ञानी है उसके प्राचार्य कितने बुद्धिमान होंगे। दूसरी घटना के अनुसार, जब एकबार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ा तो उस वक्त वह बिहार में था। अपने मुल्क के हकीमों से संपर्क करना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। उसके आदमियों ने उससे नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्यों से दवा लेने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। इसके बाद उसके आदमियों ने पूरी

घटना वैद्यों को बताई। तो उस वैद्य ने उनसे कहा कि इस पुस्तक के पन्नों को शुरु से अंत तक पलटा जाए। तब बख्तियार खिलजी ने उस पुस्तक के पन्नों को शुरु से अंत तक पलट दिया और शनैः शनैः उसकी पीड़ा भी खत्म हो गई। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। बाद में पूछने पर पता चला कि वैद्य ने पुस्तक के प्रत्येक पन्ने पर दवा लगा दी थी। जिसके पलटने मात्र से यह दवा उसके शरीर में प्रवेश कर पाई।

यह जान कर बख्तियार खिलजी ने क्रोध में आकर नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। यकीन मानिये इस ज्ञान कोष को ध्वस्त न किया जाता तो हम वास्तव में 1000 वर्ष आगे चल रहे होते। यह बिहार ही नहीं वरन् हमारे देश की समृद्ध विरासत थी। इसके अलावा यहाँ बोधगया में देश-विदेश से लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान करने आते हैं। दर्शनीय स्थलों में राजगीर, ककोलत जलप्रपात, कौआडोल पहाड़, वैद्यनाथ धाम, गोलघर, संग्रहालय इत्यादि काफी प्रसिद्ध हैं।

यदि खानपान को देखा जाए तो दोपहर में दाल, भात, चोखा, पापड़ एवं सब्जी हर घर में प्रचलित है। इसके अलावा लिट्टी-चोखा यहाँ की संस्कृति की विशेष पहचान है।

यहाँ की फिल्में परम्पराओं में भोजपुरी फिल्में देश ही नहीं वरन विदेशों में भी पसन्द की जाती हैं। गाँव में मिट्टी का घर, मिट्टी का चूल्हा एवं पेड़ के नीचे लगने वाली पंचायत आज भी जीवंत रूप में दिखाई देती है।

इस तरह यह प्रदेश जहाँ एक ओर आधुनिकता की ओर अग्रसर है वहीं दूसरी ओर अपनी संस्कृति के मूल भावों और विशेषताओं को स्वयं में समाहित किए हुए है। यहाँ के गाँवों में प्राचीन भारत के दर्शन होते हैं।

विष्णु शर्मा, चाणक्य, आर्यभट्ट, दिनकर फणीश्वर नाथ 'रेणु' की जन्मभूमि होने के बादे भी यह प्रदेश साक्षरता में पीछे है एवं जनता गरीबी से त्रस्त है। अतः आवश्यकता है अपनी विरासत को पहचानने की और स्वयं के उत्थान की ओर प्रयासरत रहने की, तभी जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योग करते हुए शासकीय कार्मिकों की एक झलक

आत्ममंथन

कुलदीप,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौनसी है? आपकी मनपसंद घूमने की जगह कौनसी है? आपका पसदींदा भोजन क्या है? तो आप तुरंत जवाब दे पायेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, एक व्यक्ति के तौर पर आपकी पहचान क्या है? आपके मूल्य क्या हैं? जीवन में आप किन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो क्या आपको जवाब आसानी से मिल जायेंगे?

आज के युग में अगर आत्मचिंतन कोई जानवर होता तो वह लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम एक डिजिटल व्याकुलता की दुनिया में जी रहे हैं। दुनिया भर की जानकारी हमारे हाथों में है, इस बीच अपने लिए चिंतन के लिए एक पल भी निकालना लगभग असंभव सा है। हमारे मोबाइल, लैपटॉप तथा अन्य डिजिटल उपकरणों की सर्वव्यापकता हमें आने वाले कॉल, ई-मेल, टेक्सट, सोशल मीडिया नोटिफिकेशनों में व्यस्त रखते हैं। हम चाहे कहीं भी हों, ऑफिस में काम कर रहे हों, घर जा रहे हों, पार्क में टहल रहें हों। बस के इंतजार में हों, ये शांत पल अब हमारे लिए नहीं हैं।

आत्ममंथन का विषय है समुद्र मंथन का रहस्य। आत्ममंथन का अर्थ है स्वयं को समझने की प्रक्रिया। जिस प्रकार धरती को बनाने के लिए समुद्र मंथन जरूरी था, उसी प्रकार इस धरा को बेहतर बनाने के लिए तथा अपने योगदान को मजबूत करने के लिए आत्ममंथन अत्यंत आवश्यक है। समुद्र मंथन जैसी पौराणिक कथा के किरदार हमारे जीवन से मेल खाते हैं, जैसे देवता सकारात्मक सोच और समझ को दर्शाते हैं। वहीं असुर नकारात्मक सोच व अधर्म को दर्शाते हैं।

समुद्र- इंसान के दिमाग को समुद्र दिखाया गया है, जिसमें अनेक प्रकार के विचार एवं इच्छायें जन्म लेती हैं और लहरों के समान वेग उत्पन्न होते हैं।

मंदार पर्वत- एकाग्रता का प्रतीक है जो एक ही दिशा में सोचने की बात कहता है।

कछुआ- जैसे विष्णु जी ने अहंकार को हटाकर समुद्र मंथन का सारा भार अपनी पीठ पर लिया। ऐसे ही हमें भी जग कल्याण के लिए एकाग्रता की राह पर चलना चाहिए।

विष और मोहिनी- जीवन से जुड़े दुःख और परेशानियों को विष दर्शाता है। मोहिनी यानी ध्यान भटकना तथा विष को पीने वाले महादेव बाधाओं को दूर करना सिखाते हैं।

अमृत- जीवन के सार को दर्शाता है।

आत्म मंथन क्यों है जरुरी? जब जीवन का कोई लक्ष्य पाना है, दुःख से निकलना है, साथ घर-परिवार देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है या लगे की हम भटक रहे हैं।

आज हर व्यक्ति अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा हुआ है। हम अपने अंदर छुपी हुई बुराइयों को पहचान नहीं पाते हैं जो विष के समान होती हैं। इसलिए मनुष्य को समय-समय पर आत्म मंथन करना जरूरी है। पर कैसे हम आत्मंथन करें? हमें सिर्फ अपनी आत्मा के ज्ञान का एहसास करना है। आत्ममंथन में शांति से बैठ कर अपने स्वरूप का विचार कर ध्यान की अवस्था को प्राप्त करें। अपने स्वरूप को पहचानना ही भगवान को जानना है। आत्ममंथन की अवस्था में हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे आप जहाँ भी खड़े हैं उस पर सन्तोष करें और आगे बढें, वर्तमान

परिस्थितियों से संतोष से फायदा यह है कि मन कम विचलित होगा और स्थायित्व आने से तन-मन की काम करने की सही दिशा में मन की क्षमता में विकास होगा।

जब आप ऐसा करेंगे तो आपको न केवल अपने बारे में बेहतर समझ होगी बल्कि आत्म-जागरूकता की भावना भी होगी जो आपको अपने जीवन के लगभग हर पहलू में सफल होने में मदद कर सकती है।

नियमित रूप से आत्ममंथन करने से हमें अपनी क्षमता का एहसास होता है हमारे अंदर छिपी संभावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। इससे हम अपनी बुरी आदतों और धारणाओं को पहचान पायेंगे तथा खत्म कर पायेंगे।

हमारे अंदर शक्ति और आत्मविश्वास की भावना की वृद्धि होती है। जैसे-जैसे हम खुद को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं, और हम अपनी जीवन यात्रा की डोर अपने हाथो में लेते हैं, हम शांत, स्थिर महसूस करते हैं। आत्ममंथन के दौरान हम आत्मनिरीक्षण एवं आत्मचिंतन करते हैं। हमारे द्वारा भूतकाल में किए गए कर्मों का विश्लेषण कर उससे सीख लेते हैं और आने वाली संभावनाओं को परख कर आत्ममंथन से अमल करते हैं।

हमने अपने जीवन को अनेक छोटे-छोटे लक्ष्यों में बाँट लिया है जो कि गलत नहीं है परन्तु आत्ममंथन हमें हमारे परम लक्ष्य अथवा उद्देश्य प्राप्ति हेतु जागरूक करता है। हर दिन हम लगातार बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, नए-नए आधुनिक अविष्कार कर रहे हैं। सोचने-समझने वाले कृत्रिम रोबोट बना रहे हैं, लेकिन हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। अब समय आ गया है खुद को जानने का, हम कौन हैं, क्या हैं, और कैसे हैं? इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए किये गए विचार को आत्ममंथन कहते हैं।

जिस प्रकार हर रोज हम शीशे में अपने आप में को देखते हैं तथा शारीरिक सौंदर्य को खोजते हैं लेकिन उसमें हम खुद को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम उस शीशे के बहुत परे हैं।

आधुनिक युग ने मनुष्य, को भौतिक बना दिया है। सही-गलत की धारणायें सिमट रहीं हैं। आत्ममंथन से हमें खुद का विश्लेषण करते हुए अपने स्वरूप में स्थित परमात्मा की प्राप्ति करनी है क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

क्यों न हम लोग अपना कुछ अंतर्दर्शन के लिए रखें ताकि हमारे कर्म, विचार एवं धारणाओं में सहजता आ सके तथा इस धरा को एक बेहतर जगह बनाया जाए।

'न ढूँढ़ तू किसी को किसी में,
पहले ढूँढ़ तू........खुद को खुद ही में।।'

कार्यालयीन परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित साहित्यिक दीर्घा की झलक

ईर्ष्या एवं निंदा

कृष्ण कुमार,
कनिष्ठ अनुवादक

ईर्ष्या एक ऐसी दुर्भावना है जो मनुष्य के स्वयं के जीवन को ध्वस्त कर देती है तथा दूसरों के जीवन में भी खलबली मचा देती है। यदि आप किसी की खुशी या सफलता को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो न सही, मत होइए खुश। दूसरों के हर्षोल्लास पूर्ण जीवन को देखकर आपका खुश होना अनिवार्य नहीं है और न ही आप खुश होने के लिए बाध्य हैं, किंतु स्वयं के ऊपर एक एहसान अवश्य करिए कि आप दूसरों की खुशियाँ देखकर अपने आप को ईर्ष्या की आग में न जलाएं।

मेरे मोहल्ले में एक महोदय है जो काफी समृद्ध और धनाढ्य व्यक्ति हैं। उनका खान-पान, रहन-सहन वेशभूषा सब कुछ अच्छा है। मौज मस्ती करने के लिए अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों को खिलाने-पिलाने में भी आगे हैं तथा समारोह एवं पार्टियों में बढ़-चढ़कर भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं। हरे-भरे उपवन जैसा बच्चों की खिलखिलाहट से सुगंधित परिवार तथा सुंदर, सुशील एवं मृदुभाषिणी पत्नी। ईश्वर का दिया सब कुछ है उनके पास। जिंदगी के लिए और.... क्या चाहिए! किंतु वे सुखी नहीं हैं, संतुष्टि नहीं है उनके अंतर्मन में। उनकी असंतुष्टि एवं उनके भीतर के दाह का कारण क्या है? इसे मैं समझ सकता हूँ, दरअसल उनके सामने जो अभियंता रहते हैं उनकी समृद्धि की वृद्धि से महोदय का कलेजा अंदर ही अंदर धधकता रहता है और इसी से निकलने वाले अदृश्य धुएं से उनकी तार्किक सोच का ह्रास हो रहा है। इसी कारण उन्हें रातों में नींद एवं दिन में चैन नहीं है। महोदय को ईश्वर द्वारा जो भी प्राप्त है वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है।

जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या को पर्याप्त जगह मिल जाती है तो वह उन चीजों का उपयोग नहीं कर पाता है जो उसके पास हैं, बल्कि वह

उन वस्तुओं, सुख- सुविधाओं से अपने अंतर्मन को पीड़ित करता रहता है जो दूसरों के पास हैं। वह उन सुख सुविधाओं के सदुपयोग के बारे में नहीं सोचता है जो उसके पास हैं, बल्कि दूसरों से तुलना करने पर अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय को अंदर ही अंदर कचोटते रहते हैं। इस प्रकार का आंतरिक दाह मनुष्य के मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही दुष्प्रभावी सिद्ध होता है। किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति करे भी तो क्या?

यदि ईर्ष्यालु मनुष्य के पास एक गिलास है जो पानी से आधा भरा हुआ है तो वह पानी को पीने के बारे में न सोचकर इस चिंता में लीन रहता है कि गिलास पूरा क्यों नहीं भरा हुआ है। अर्थात् इस प्रकार का व्यक्ति सदैव अपने अभाव पर दिन रात सोचता रहता है। यह ऐसा द्वेष है जो मनुष्य के चरित्र को दुर्बल एवं भ्रष्ट कर देता है। फिर वह यह सोचना बंद कर देता है कि उसे अपने जीवन में उन्नति एवं विकास के लिए क्या करना चाहिए, बल्कि वह इस बात की रणनीति बनाने लगता है कि एक उन्नतिशील व्यक्ति के विकास के मार्ग में बाधा कैसे डालें। ईर्ष्या (जलन) सबसे पहले उसी को नुकसान पहुँचाती है जिसके हृदय में यह पनपती है। ईर्ष्या करने से हमारे मस्तिष्क के स्नायु सिकुड़ते हैं जिनका प्रभाव हमारे आंतरिक मनस पटल पर पड़ता है और हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है।

ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर निंदा रूपी एक और अवगुण होता है। उसकी ऐसी आदत बन जाती है कि जब तक वह निंदा रूपी जहर दूसरों के सामने उगल नहीं देता, तब तक उसके पेट में एसिडिटी जैसी समस्या की अनुभूति होती रहती है। वह दूसरों की निंदा यह सोचकर करता है कि वह जिस व्यक्ति की निंदा करेगा; उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचेगी और वह समाज की नजरों में गिर जाएगा तथा जो स्थान उसे प्राप्त है, उस पर मैं विराजमान हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दूसरों की उन्नति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना स्वयं की उन्नति की कोशिश तो नहीं हो सकती

है। प्रकृति का नियम तो यह है कि कोई व्यक्ति किसी की बुराई या निंदा से नहीं गिरता बल्कि उसका पतन उसके चारित्रिक गुणों के ह्रास से होता है।

इसी प्रकार दूसरों की निंदा करके कोई भी व्यक्ति उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है लेकिन निंदक को इस बात की अनुभूति कहाँ होती है। वह सुबह उठता है तो सर्वप्रथम यही सोचता है कि आज लक्ष्य कौन है? फिर जिसे स्वयं से कहीं ना कहीं उन्नति रूपी दौड़ में आगे पाता है तो उसी के जीवन का लेखा-जोखा खोल कर बैठ जाता है। उसके वर्तमान, भूत और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में लग जाता है। जैसे ही उसकी बात सुनने वाला कोई व्यक्ति मिलता है, वह उसे उस व्यक्ति की बुराइयों की गाथा सुनाने में लग जाता है। उसके जीवन की मनगढ़ंत कहानियों को बहुत सुंदर तरीके से क्रमबद्ध रूप में सुनाना आरंभ कर देता है। जितना प्रयास वह दूसरों की निंदा करने में करता है कहीं उसकी आधी मेहनत अपने कार्यों के निष्पादन में लगाए, तो उसका भी कुछ कल्याण हो सकता है। लेकिन आज के इस युग में कोई किसी से आगे कहाँ निकलना चाहता है। सब दूसरों को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। निंदा करने वाले व्यक्ति को यह स्व-विश्लेषण करना चाहिए कि यदि आज उसने अपनी मानसिक शक्ति और ऊर्जा को निंदा करने में अपव्यय ना किया होता तो शायद उसका स्थान कुछ और ही होता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निंदक और ईर्ष्यालु आदमी वायरस से भरी एक ऐसी पेनड्राइव की भाँति है जो हर जगह कंप्यूटर सिस्टम रूपी समाज को दूषित करता रहता है।

चिंता स्वास्थ्य को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है और चिंता ही चिता को जलाती है। किंतु ईर्ष्या तो चिंता से भी गंभीर समस्या है, यह तो मनुष्य को जीते जी मार देती है क्योंकि यह मनुष्य की विचारधारा को संकीर्ण और कुंठित बना देती है।

आपने देखा होगा कि एक सज्जन व्यक्ति सदैव इस बात को लेकर परेशान रहता है कि अमुक व्यक्ति उसकी बुराई क्यों करता है और उससे क्यों जलता है? मैंने तो कभी उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं रखी तथा सदैव उसका भला ही चाहा है। जिनका हृदय छोटा और विचारधारा संकीर्ण होती है, वे महान व अच्छे लोगों की निंदा ही करते हैं। यदि हम उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं और उनके साथ सज्जनता का बर्ताव करते हैं तो वे इसे भी हमारा अहंकार समझते हैं। संतुष्ट तो वह तब होंगे जब हम उनके बराबर खड़े होकर उनकी नीचता के भागीदार बन जाएं।

ऐसे लोगों से बचने का उपाय यह है कि हमें उनकी विचारधारा और बातों पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपनी रचना और मूल्यों का निर्माण बाजार के इस वायरस से दूर रहकर एकांत में करना चाहिए।

ईर्ष्या से भी बचने के कई तरीके हैं। सर्वप्रथम ईर्ष्यालु व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति को अनुशासित करना चाहिए। फिर उसे इस बात पर मंथन करना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसे प्राप्त करने की रचनात्मक कार्य विधि क्या हो सकती है। जब वह ऐसा करने में सक्षम हो जाएगा तो उसके मस्तिष्क में बैठी ईर्ष्या विलुप्त हो जाएगी।

राजभाषा हिन्दी के सफल कार्यान्वयन के लिए 12 प्र की रूपरेखा बनाई है जिसके स्तंभ हैं- प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, प्राइज या पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, प्रमोशन (पदोन्नति), प्रतिबद्धता व प्रयास।

कड़वा सच

गौतम कुमार,
लेखाकार

सच क्या है? जिसमें किसी प्रकार का छल कपट, झूठ, फरेब इत्यादि न हो और जिसे प्रमाण देने की आवश्यकता न हो। कड़वा सत्य जिसे सुनने के बाद लगभग 90% लोगों को अच्छा नहीं लगता बल्कि खून में उबाल आ जाता है। सही को सही बोला या सामने से तारीफों के पुल बाँध दिये, तब तो आप उनके बहुत ही खास हैं, परंतु अगर कुछ गलत देख या गलत बोल दिया तब तो ऐसा लगता है जैसे ज्वालामुखी ही फट गया हो। आज के समय में सत्य की राहों पर चलना इतना आसान नही हैं, बल्कि बहुत ही कठिन हो गया है। हमारे देश में न जाने कितने ही महान पुरूष, ऋषि-मुनि हुए, उनके बारे में हम हमेशा सुनते हैं कि वे हमेशा सत्य की राह पर चले। इसलिए सत्य का सामना डट कर किया क्योंकि वे जानते थे कि बुराइयों को सिर्फ सत्य से हराया जा सकता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि झूठ बहुत बुरी चीज होती है परंतु इस कलयुग में झूठ का भी बहुत बड़ा योगदान हो गया है, क्योंकि सत्य का रास्ता इतना कठिन हो गया है कि उस रास्ते पर सिर्फ आप अकेले होगें और लोगों का काम होगा रास्ता भटकाना, पैर खींचना।

इस दुनिया में स्वार्थ, झूठ, मोह-माया का भण्डार है। लोग बस एक दूसरे की बुराइयाँ देखने में लगे हैं पर मजाल नहीं कि उनकी बुराइयाँ सामने से जाहिर कर दें, क्योंकि जिस दिन उनकी बुराइयों के ऊपर से पर्दा हटा दिया उसी दिन से आप उनके अपने नहीं रह जाते हैं। चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या रिश्ते नाते हों और वे कितने भी गहरे क्यों न हों सभी वहीं पर खत्म। अब हम आते हैं स्वार्थ और मोह-माया पर, तो ये लगभग सभी लोगों के अन्दर कूट-कूट कर भरे हुए होते हैं। दोस्ती में स्वार्थ अगर आप किसी के ऊपर जान छिड़क रहें हों, उसके सभी सुख-दुःख में साथ हों तब तक ठीक है, परंतु जब आपकी बारी आती है और वे किसी प्रकार से साथ नहीं

देते, फिर दोस्ती वहीं पर खत्म हो जाती है। और यही चीजें परिवार में भी देखने को मिलती हैं, हमेशा उन्हें मदद करते रहें, तब तक ठीक है पर एक बार मदद माँग लें उसी समय सारे नाते खत्म। कुछ लोग सामने से बहुत तारीफ करेंगे और तारीफ तब तक करेंगे जब तक आप उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हों, उन्हें सम्मान दे रहे हों पर, जब ये सब करना बंद, फिर पीठ पीछे बुराइयाँ शुरु हो जाती हैं। आप उनके लिए अमूल्य हो जाते हैं। सामने से कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर ये शब्द अंदर नहीं हैं, अंदर से आवाज आती है कि किस इंसान से पाला पड़ गया है। आप उनके लिए एक अच्छे इंसान तभी हैं जब उनके अंदर एक स्वार्थ की भावना हो, कुछ जरुरतें हों।

कुछ बड़े लोगों के बीच अगर एक छोटी हैसियत वाले मौजूद हों तो उन्हें ऐसा इग्नोर किया जाता है कि उन्हें पता न चले कि मेरे पास इतनी धन-दौलत है। इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, ये घड़ी, ये कपड़े इतने महगें हैं, इत्यादि। पर उनसे अगर कोई काम निकलवाना हो तो ऐसे सहानुभुति दिखायेंगे जैसे वे उनके लिए बहुत ज्यादा खास इंसान हों, जैसे बकरी को बलि देने से पहले उन्हें अच्छी-अच्छी चीजें खिलाई जाती हैं, पर जैसे ही काम खत्म हो गया वे बाद में मिलने पर भी ऐसे अलग होते हैं जैसे सामने से कोई लम्बे सींघ वाले जानवर आ रहे हों। पहले के समय में निम्न वर्ग की जाति से नफरत करते थे, उनसे कुछ ज्यादा हीं दूरी बना कर रखते थे। वे ये समझते थे कि ये सिर्फ घरों और मोहल्लों की गंदगी साफ करने के लिए ही बने हैं और ये गंदे लोग हैं। इनकी परछाई भी उनके लिए बुरी आत्मा की तरह होती थी, पर आज के समय में ऐसा नहीं है, बस थोड़ा परिवर्तन हो गया है, जिसे कहते हैं- मॉडर्न छुआछूत। अपने बराबरी, अपने स्टेटस के लोग साथ हैं तो बहुत अच्छे और अगर ऐसा नहीं है तो वे सामने से अनदेखा कर देते हैं। सब मतलब की यारी मतलब की रिश्तेदारी, सामने से प्यार और पीछे लम्बी तलवार। हम इन्सानों की भी अजीब फितरतें हैं। जब आदमी

जिंदा होता है तो हम उनकी क्रद नहीं करते, उन्हें सताते हैं, रुलाते हैं, उनकी बहुत सारी बुराईयाँ करते हैं, पर जब वे मर जाते हैं तो आसूँ बहाते हैं और तब ही हमें पता चलता है कि वो आदमी बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ भला-बुरा कहने पर भी हँस कर रह जाता था। यहाँ सभी महिलायें अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, पर अपने पति के अंदर श्रवण कुमार का एक भी गुण अगर दिखा तो पहाड़ को सर पर उठा लेती हैं।

भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में सच ही कहा है दुनिया में किसी का कोई नहीं होता तुम क्या लेकर आये थे और क्या लेकर जाओगे। सब का सब मोह-माया है, बस दिखावा है और कुछ भी नहीं। लोग बस स्वार्थी होते जा रहे हैं। वे अपनी जरुरतों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्वार्थ इतना ज्यादा है कि अगर किसी महफिल में आप का काम खत्म हो गया तो वो महफिल भी किसी काम की नहीं रह जाती। लोग वहाँ से भी निकाल देते हैं और महफिल ही क्या दिल से भी और दिमाग से भी निकाल दिये जाते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने माता-पिता को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें वृद्ध आश्रम या भीख मागंने के लिए छोड़ देते हैं, अगर उनसे कोई फायदा न हो तो यह सब देखते हुए मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ये दुनिया कैसे चलती है, किसी ने कहा परिवार और दोस्ती से चलती है और किसी ने बड़े प्यार से कहा कि प्यार से चलती है। पर जब मैंने आजमाया तो पता चला दुनिया मतलब से चलती है। क्योंकि आज हम इतने मतलबी और स्वार्थी हो गये हैं कि भगवान की पूजा भी इसलिए करते हैं कि वे हमें सुखी रखें, दुःख और तकलीफ नजदीक भी नहीं आये। जबकि भगवान ने ही दोनों को बनाया। जहाँ सुख वहाँ दुःख, जहाँ पाप वहाँ पुण्य, जहाँ सत्य वहीं असत्य, जहाँ अमीरी वहीं गरीबी, जहाँ धूप वहीं छाँव। ये सभी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। इन्हें हमें अपनाना होगा, पर जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तब उनसे लाखों करोड़ों की चाहत रखते हैं, पर जब दान देने की बारी आती है तो जेब में छुट्टे पैसे टटोलते हैं। हम पाप करते हैं और

खोजते हैं पुण्य कि पुण्य का अकाउंट क्रेडिट हो। हम छांव चाहते हैं पर पेड़-पौधे लगाने से कतराते हैं। यहाँ तो मजे बस लोगों को तकलीफ देने में आते हैं। जमीन पर अगर कोई गरीब आदमी बैठा हो तो औकात और वहीं अमीर बैठा हो तो महान हो जाता है। हम सजीव हैं, पर आज निर्जीवों से भी बदतर हो गये हैं। पैसे के पीछे भागते-भागते पैसे ही हमसे आगे निकल चुके हैं और हम पीछे, क्योंकि ये स्वंय पूरी तरह निर्जीव होकर भी समस्त जीवों के जीवन स्तर का निर्णय लेता है।

हमसे अच्छे तो पेड़-पौधे हैं- जो इस ब्रह्माण्ड को सुरक्षित रख पाते हैं क्योंकि हम मनुष्यों ने तो अपने मतलब के लिए इन पेड़-पौधों, जीव-जन्तु, परिवार, रिश्ते-नाते, भाई-बहन, माता-पिता किसी को नहीं छोड़ा। पैसे के लिए पेड़-पौधे काट लेते हैं, स्वाद के लिए जीव-जन्तु खा जाते हैं यहाँ तक अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जब जरुरत हो तो बिना रिश्ते के रिश्ते, दोस्त और परिवार इत्यादि बना लेते हैं, पर जब जरुरत खत्म, मतलब खत्म तो कैसे दौस्त, कैसे रिश्ते और कैसे नाते। अगर हमसे कुछ छोटी-सी गलती हो जाती है तो या झूठ बोलते हैं तो सबको दिखता है पर सच चिल्ला-चिल्ला कर कहने पर भी किसी को सुनाई नहीं पड़ता। अगर अपने लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार हो जाए तो दुनिया से लड़ जाते हैं, खून भी बहाने को तैयार होते हैं, पर किसी दूसरे के साथ हो तो खड़े होकर फिल्म बनाते हैं, और अंत में-

बहुत पाँव फैलाओगे दुनिया में।
पर ले कर जाओगे शून्य
हम तो बस खिलौने हैं ईश्वर के।
साथ ले जाओगे पाप और पुण्य।।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा के कार्यालय में शुरुआती दिन

गौतम सरकार,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

मैं दिनांक 21.02.2005 से त्रिपुरा सरकार के समाज कल्याण और समाज शिक्षा दफ्तर के अधीन आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत था और जब मुझे भारत सरकार के अधीन महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा का कार्यालय में ऑडिटर (लेखापरीक्षक) के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव मिला तब मैं गोमती जिला में स्थित काकरबन आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र में तैनात था। सितंबर 2010 में भारत के अधीन महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा तथा प्रधान महालेखाकार का कार्यालय में काम करने का अवसर मिलने की खबर मिलते ही मैंने अपने नियोक्ता (निदेशक, समाज कल्याण और समाज शिक्षा दफ्तर) को अपना तकनीकी इस्तीफा देने की पेशकश की, जिसने कुछ विचार-विमर्श के बाद मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मुझे ए.जी., त्रिपुरा के कार्यालय में लेखापरीक्षक के पद पर शामिल होने के लिए दिनांक 25.10.2010 को उचित विज्ञप्ति जारी की। अपनी नियुक्ति से पहले, मैंने एजी, कार्यालय का दौरा किया जहाँ मुझे उन सभी दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी गई जो मेरी नियुक्ति के लिए आवश्यक होंगे।

ए.जी. कार्यालय में प्रवेश का अपना पहला दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा। हालाँकि मैंने राज्य सरकार में एक कर्मचारी के रूप में काम किया था, लेकिन मुझे किसी भी केंद्र सरकार के कार्यालय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे मन में दफ्तर के माहौल, कर्मचारियों- अधिकारियों के व्यवहार, सख्ती, समय की पाबंदी आदि को लेकर डर था।

ए.जी. कार्यालय के स्थापना अनुभाग में तत्कालीन वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री नृपेंद्र चंद्र विश्वास द्वारा दस्तावेजों की प्रारंभिक लेकिन सावधानीपूर्वक जाँच और सत्यापन के बाद, मैं दिनांक 26.10.2010 को महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा के कार्यालय में शामिल हो गया। दिनांक 26.10.2010 को उत्सुकता से मैं जब स्थापना अनुभाग में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहा था, तो पहला व्यक्ति जो मेरी ओर आया और अपने दयालु और मैत्रीपूर्ण शब्दों से मेरी चिंता को दूर करने की कोशिश की, वह श्री पार्थसारथी चक्रवर्ती, तत्कालीन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी थे।

मुझे मेरी पहली पोस्टिंग ऑफिस के प्रतिवेदन अनुभाग में मिली। मेरे मामा, श्री बिप्लव दास, जो महालेखाकार (लेखा व हक.) कार्यालय के तत्कालीन वरिष्ठ लेखाकार थे, मुझे प्रतिवेदन अनुभाग में ले गए और अनुभाग के कर्मचारियों से मेरा परिचय कराया। सभी कर्मचारी, विशेष रूप से श्री दुलाल घोष उर्फ दीपक रंजन घोष, तत्कालीन परामर्शदाता और श्री जयद्रथ रॉय, तत्कालीन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और अनुभाग प्रभारी, बहुत सौहार्दपूर्ण थे और गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। मुझे राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय तथा कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं मिला और कुछ घंटों के बाद केंद्र सरकार का कार्यालय के बारे में मेरा डर गायब हो गया। भारत के विभिन्न हिस्सों से हम 18 लेखापरीक्षक उस समय कार्यालय में नियुक्त हुए थे और शुरुआती दिनों में हम कार्यालय के कैंटीन या किसी अन्य स्थान पर एक साथ जाते थे। कार्यालय के अन्य सभी कर्मचारी हमें घूरते थे और हमारे बारे में गपशप करते थे क्योंकि कई वर्षों के बाद इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा के कार्यालय में शामिल हुए थे। कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारी को अपने कनिष्ठों से प्रेम था और हम भी हमेशा उनके प्रति अपना सम्मान और ईमानदारी दिखाते थे।

जैसे-जैसे दिन बीतते गए, धीरे-धीरे कार्यालय के अन्य कर्मचारियों से मेरी दोस्ती हो गई।

अब, इस कार्यालय में 14 वर्षों का लंबा समय बिताने और कार्यालय एवं फील्ड ऑडिट दोनों में इतने सारे सहयोगियों के साथ बहुत सारा समय बिताने के बाद, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने महसूस की वह है- "दूसरों का सम्मान करें और दूसरों से सम्मान पायें।"

पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुवादकों हेतु आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2024 की एक झलक

वैश्विक ज्ञान में भारत का योगदान

दीक्षा अवस्थी,
सहायक लेखा अधिकारी

वैश्विक ज्ञान की धारा में भारत का योगदान अतुलनीय और अद्वितीय रहा है। भारत, जिसे प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, ने ज्ञान-विज्ञान और सांस्कृतिक समृद्धि के क्षेत्र में अनगिनत योगदान दिए हैं। इस निबंध में हम इस बात की गहराई से विवेचना करेंगे कि किस प्रकार भारत ने वैश्विक ज्ञान में योगदान किया है और इसके प्रभाव को कैसे समझा जा सकता है।

प्राचीन काल में भारत का योगदान

भारत की ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। वेद, उपनिषद जैसे पुराने प्राचीन ग्रंथो में निहित ज्ञान ने न केवल भारतीय समाज को प्रभावित किया बल्कि वैश्विक सभ्यता पर भी गहरा प्रभाव डाला। वेदों का ज्ञान विज्ञान, गणित और दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण था। गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत ने किया जो आज भी वैश्विक गणितीय अध्ययन की आधारशिला है।

आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा प्रणाली का भी वैश्विक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह प्रणाली प्राकृतिक चिकित्सा पौधों और जड़ी बूटियों के उपयोग पर आधारित है जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी अपनाई जा रही है।

गणित और विज्ञान में योगदान

भारत ने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्ट, भास्कर और वराहमिहिर जैसे महान गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति

खगोल शास्त्र और अंकगणित में क्रांतिकारी सिद्धांतों का विकास किया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम् में गणित और खगोलशास्त्र के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए जबकि भास्कर के सिद्धांत शिरोमणि ने गणित के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छुआ। इसी प्रकार सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसे ग्रन्थों ने चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन ग्रंथो में सर्जरी चिकित्सा, औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो आज भी चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन में उपयोगी हैं।

दार्शनिक और सांस्कृतिक योगदान

भारतीय दर्शन का वैश्विक ज्ञान पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। वेदांत, सांख्य और योग जैसी दार्शनिक प्रणाली ने मानव जीवन के रहस्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पतंजलि का योग सूत्र विश्व भर में प्रचलित है और योग को एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में अपनाया गया है। भारतीय साहित्य और कला ने भी वैश्विक सांस्कृतिक धारा को समृद्ध किया है। महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण ने नैतिकता, धर्म और मानव संबंधों पर गहरी छाप छोड़ी है। भारतीय संगीत, नृत्य और चित्रकला ने वैश्विक कला परिदृश्य प्रदेश को भी प्रभावित किया है।

आधुनिक काल में योगदान

वर्तमान युग में भारत का योगदान वैश्विक ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और विचारक वैश्विक तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेज कर विश्व भर में अपनी क्षमता को सिद्ध किया है। 'मंगलयान' (मार्स ऑर्बिटर मिशन) का सफल प्रक्षेपण और चंद्रयान मिशन ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान

में अग्रणी बना दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय आईटी कंपनियों ने वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाई है और भारतीय पेशेवरों ने सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं।

वैश्विक शिक्षा में योगदान

भारत की शिक्षा प्रणाली विशेष कर उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में वैश्विक मंच पर प्रभावी रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय, विश्व स्तर पर अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये संस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध, तकनीकी नवाचार और शिक्षा के मानक स्थापित कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली ने वैश्विक शिक्षा पर दृष्टि को समृद्ध किया है और अंतरराष्ट्रीय छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की है। भारतीय शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने वैश्विक शैक्षणिक समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण योगदान

वैश्विक स्वास्थ्य पर्यावरण के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। भारतीय वैज्ञानिक और चिकित्सक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों जैसे महामारी पोषण और पर्यावरणीय संकटों पर काम कर रहे हैं। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन निर्माण और वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयुष मंत्रालय के तहत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण और प्रचार-प्रसार की प्रयास वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं।

निष्कर्ष

समाप्त करते हुए यह कहना उचित होगा कि भारत का वैश्विक ज्ञान में योगदान बहु आयामी और अमूल्य है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अद्वितीय योगदान के माध्यम से वैश्विक सभ्यता को समृद्ध किया है। भारतीय ज्ञान परंपरा गणित विज्ञान दर्शन साहित्य और आधुनिक तकनीक ने वैश्विक समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इस प्रकार भारत का वैश्विक ज्ञान में योगदान न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि वर्तमान और भविष्य में वैश्विक विकास में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला के मनोरंजन क्लब द्वारा दिनांक 11.09.2024 को आयोजित *बाढ़ राहत कार्य* कैम्प का एक दृश्य

मेरी हिंदी शिक्षा

पार्थसारथी चक्रबर्ती,
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सन् 1980 में त्रिपुरा में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। हालांकि हमारे गाँव, मिक्स्ड कम्युनिटी वाले अभयनगर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, और न ही मेरे किशोर मन पर। बस इतना जानता था कि मंदाई नामक एक जगह पर बहुत से लोगों को मार दिया गया था। शाम के समय कर्फ्यू लगा दिया जाता था, और सड़कों पर सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान गश्त करते थे। तब मैं सातवीं कक्षा में था। स्कूल बंद था, पढ़ाई का दबाव लगभग शून्य। हाफ-ईयरली परीक्षा भी नहीं हुई थी। किसी ने कहा था कि उन जवानों को "राम राम" कहने पर वे भी "राम राम" कहते हैं। एक दिन शाम को, घर के अंदर से, बाड़ के ऊपर से झाँक कर, मन ही मन "जय माँ" कहकर, एक जवान को देखकर मैंने "राम राम" कह ही दिया। हे भगवान! देखा, उसने भी "राम राम" कहकर जवाब दिया और चला गया। मेरा साहस बढ़ गया, अब जब भी मैं किसी सेना के जवान को देखता, "राम राम" कह देता, और वे भी "राम राम" कहकर जवाब देते। धीरे-धीरे कर्फ्यू का समय कम होता गया और शाम के बजाय रात के समय लागू होने लगा। एक दिन, मैं गेट के सामने खड़ा था, शाम का समय था।

मैंने एक जवान को देखकर "राम राम" कह दिया। उसने "राम राम" कहा और फिर कुछ देर रुका, और फिर किसी भाषा में कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं सका। उसने एक होमगार्ड को बुलाया और उसे वही बात बताई। उसने मुझे समझाया कि वह हिंदी में पूछ रहा था कि मैं कैसा हूँ। यही मेरी हिंदी से पहली मुलाकात थी। यह बात मेरे लिए काफी शर्मनाक

थी। डर के मारे कि कहीं वह फिर से कुछ न पूछ ले, मैंने कभी किसी को "राम राम" नहीं कहा।

बचपन में मेरे पिता के निधन के बाद, मैं और माँ मामाओं के साथ रहने लगा। हमारे घर के बड़े लोगों में हिंदी भाषा के प्रति हमेशा एक विरोधी दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि एकमात्र बंगाली ही राष्ट्रीय भाषा बनने के योग्य थी। बंगाली की परंपरा, साहित्य, सब कुछ हिंदी से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। मैंने यह बात इतनी बार सुनी थी कि उसकी कोई गिनती नहीं है। कहते थे कि कोई सभ्य व्यक्ति हिंदी गीत नहीं गाता और न ही हिंदी फिल्में देखता है। इन्हीं कारणों से मैंने बहुत दिनों तक हिंदी का एक शब्द भी नहीं सीखा। फिर हमारे घर में टीवी आया। तब मैं 11वीं या 12वीं कक्षा में था। फिल्मों को देखने का शौक तभी से शुरू हुआ। एंटेना पर एल्युमिनियम की पुरानी थाली बाँधकर बांग्लादेश टीवी की अस्पष्ट वीडियो देखने लगे। तब समझ लिया था कि किसी भी बंगाली वाक्य के बाद एक 'है' जोड़ने से वह हिंदी नहीं हो जाता। उस समय, एक बार टीवी पर ऋषि कपूर की 'जिंदा दिल' फिल्म आई। बस, मैंने पूरे दिन गाना शुरू कर दिया... "ओ मेरी जान, बाई गॉड..."। हालाँकि मेरे कोई सगे भाई-बहन नहीं थे, लेकिन मेरी कई ममेरी बहनें थीं। मेरी तमाम कमजोरियों के बावजूद, उनकी नज़र में मैं एक ऊँचे दर्जे का इंसान था, जो कभी कोई गलती नहीं कर सकता था। मेरे शब्द उनके लिए वेदवाक्य की तरह थे। शायद उस फिल्म को देखने के बाद, एक दिन मेरी ममेरी बहन एक अन्य मामा के घर गई। वहाँ उसने सुना कि उसकी ममेरी बहन भी गा रही थी "ओ मेरी जान, बाई गॉड, मैं तेरी लाइफ बना दूँगा।" यह सुनते ही उसने उसकी गलती सुधार दी, "लाइफ नहीं तो, स्लाइस बना दूँगा। 'ओ मेरी जान, बाई गॉड, मैं तेरी स्लाइस बना दूँगा' होना चाहिए।"

“तुझे किसने कहा कि ‘स्लाइस बना दूँगा’ सही है? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ‘लाइफ बना दूँगा’ सही है।”

“बड़े भाई ने कहा है ‘स्लाइस बना दूँगा’... (“बड़े भाई ने कहा है” को उसने बड़े जोर से कहा था। जैसे कि ‘बड़े भाई ने कहा’ तो इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता... दरअसल, फिल्म में क्या गाया जा रहा था, मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। हमेशा की तरह, मैं बचपन से ही थोड़ा कन्फ्यूज रहने वाला था। इसलिए मुझे लगा कि यह ‘स्लाइस’ ही होना चाहिए। क्योंकि स्लाइस ब्रेड शायद उस हीरो की भी उतनी ही पसंदीदा होगी, जितनी मेरी...)”

बस फिर क्या था, सब बहनें मुझे ही स्लाइस बनाने के लिए दौड़ पड़ीं, जैसे इस बार बड़े भाई की दादागिरी खत्म कर देनी है!

मेरी वर्तमान नौकरी मेरी दूसरी नौकरी है। यह केंद्र सरकार का कार्यालय है, इसलिए राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत कुछ किया जाता है। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ही मैंने देखा कि कॉरिडोर में कई तरह के पोस्टर लगे थे, जिनका मुख्य संदेश था, ‘हिंदी में काम करना आसान है, शुरू तो कीजिए और ऑफिस में मुझे गृह मंत्रालय के हिंदी प्राध्यापक हर्ष मोहन कृष्णात्रेय जी मिले। वे केंद्र सरकार के कार्यालयों और केंद्रीय संस्थानों में जाकर राजभाषा का प्रशिक्षण देते थे और सभी को हिंदी में काम करने और बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बस फिर क्या, मैंने जोश में आकर उनसे हिंदी में बात करना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वह मुझे पसंद ही करते थे। वह मुझसे हिंदी में बात करते थे, और मैं उनसे। इसी तरह कुछ दिनों के भीतर मेरा हिंदी में महारत हासिल करने का आत्मविश्वास पैदा हो गया। मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ भी हिंदी में बात करके खुद को और भी मजबूत बना रहा था। मैं खुद भी समझने

लगा था कि अब काफी अच्छी हिंदी बोल रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन, कृष्णात्रेय जी ने मेरे सामने ही ऑफिस के कुछ लोगों से कहा, "अरे भाई, हिंदी में बात करते रहो। ऐसे ही सीख पाओगे। देखो, पार्थ को देखो, कितनी 'बेशर्मी से' हिंदी बोल रहा है। लेकिन बोल रहा है, ऐसे ही सीख जाएगा..."। यह बात सुनकर, मैं जैसे कि पेड़ की सबसे ऊँची डाल से एकदम से नीचे जमीन पर गिरा, और मेरा निचला जबड़ा चार इंच नीचे लटक गया, वह आज भी मुझे साफ-साफ याद है। आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि वह 'बेशर्मी से' हिंदी बोलने वाली बात सर ने मेरी तारीफ में कही थी या आलोचना में। आज भी जब मैं हिंदी में बेशर्मी से बात करता हूँ, कानों में कृष्णात्रेय सर की वही बात गूँजती है – "पार्थ को देखो, कितनी 'बेशर्मी से' हिंदी बोल रहा है..."।

कार्यालय के मनोरंजन क्लब द्वारा आयोजित रक्षाबंधन पर्व के दौरान भाईयों को रक्षासूत्र बाँधते हुए भगिनियाँ

त्रिपुरा में यात्रा अनुभव

प्रधान चौधरी,
एम.टी.एस.

सन् 2018 की बात है जब मेरी नियुक्ति त्रिपुरा के महालेखाकार कार्यालय में हुई थी। त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी राज्य है। जहाँ चारों तरफ हरियाली है। पहली बार मेरे मन में अजीब उत्साह एवं घर से दूर जाने का भय था। परन्तु जैसे ही मैंने अगरतला की खूबसूरती देखी। मेरा मन उसी में खो गया। मैंने कार्यालय में पहुँचकर अधिकारी को अपना नियुक्ति पत्र दिया। अब हम कुल 15-16 लोग हो चुके थे, वो भी भारत के अलग-अलग राज्यों से आये हुए थे। सर्वप्रथम सबका मन दुःखी था किंतु सबसे मिलकर हम खुशी-खुशी रहने लगे। दो दिन बाद शनिवार था तो हमने मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बानाया। हमने शाम को अपने कक्ष में चाय-पार्टी रखी। उसी में हमने तय किया कि हम पहले माताबाड़ी (माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर) जाएंगे तत्पश्चात नीर महल भी जाएगें। सभी इस पर एकमत हो गये। हमने सुबह जल्दी निकलने का फैसला किया। मैं पूरी रात कल को लेकर बहुत रोमांचित हुए जा रहा था।

अगली सुबह हम जल्दी तैयार होकर पूर्व निर्धारित स्थान पर आ गए। हम सबने मिलकर बोलेरो गाड़ी बुक की थी। हमने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान तथा एक स्पीकर भी ले लिया। हम सभी मौज-मस्ती करते हुए जा रहे थे। मैं पूरा रास्ता देख रहा था चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। बारिश भी शुरू होने वाली थी तो मौसम भी सुहावना हो गया था। लगभग 1 घण्टा 30 मिनट बाद हम माताबाड़ी पहुँच गए। हम सर्वप्रथम

वहाँ हाथ पैर धोकर प्रसाद लेकर अंदर गए। काफी भीड़ लगी हुई थी। फिर भी हमने माताजी के दर्शन कर लिए। मैं थोड़ी देर तक माता की मूर्ति को देखता ही रहा ऐसा लगा मानो वो सभी भक्तों को देखकर हँस रही हों, मैंने घर वालों को भी वीडियो-कॉल के माध्यम से माँ के दर्शन करवाये। जब कोई पहली बार किसी जगह पर जाता है तो उसकी यादें कुछ खास होती हैं। हम सभी दोस्तों ने मिलकर कुछ फोटोज लिए जो कि यादगार बन गए। कुछ देर बाद हमने एक ब्राह्मण से माता के बारे में पूछा उन्होंने बताया कि त्रिपुरी माँ के नाम पर ही त्रिपुरा का नाम पड़ा। माता को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मान्यता है कि तीनों लोकों में माँ से सुंदर कोई भी नहीं था। उन्होंने हमें माता की पौराणिक कथा भी सुनाई जिसके अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में महादेव को नहीं बुलाया तथा माता सती के सामने उनको भला-बुरा कहा, जिससे उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद महादेव सती के शव के साथ पूरे ब्रह्माण्ड के चक्कर लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने महादेव का मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े कर दिए तथा जहाँ-जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ-वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए।

यह सुनकर हम सभी उस पवित्र जगह को प्रणाम करने लगे। माता त्रिपुरेश्वरी की मूर्ति काले पत्थर की है। इन सबसे फ्री होकर हम माता के मंदिर के ठीक पीछे बने तालाब को देखने गए। वहाँ हमने प्रथम बार बहुत विशाल कछुए देखे। माना जाता है कि ये भी कई वर्षों से यहाँ रहते हैं। हमने उनको दाना खिलाया। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। तालाब का पानी बहुत ठंडा था। पास में बहुत दुकानें थीं। अब हमको भूख भी लगने लगी थी, तो हम आस पास के रेस्तरां गए, जहाँ हमने भोजन किया। फिर

हम एक बार फिर माँ के दर्शन करके नीरमहल के लिए निकल गए। वहाँ से लगभग 45 मिनट बाद हम नीरमहल में पहुँच गए। इसको देखकर मुझे राजस्थान के जल महल की याद आ गई। दूर-दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था। नीरमहल भारत के सबसे सुन्दर महलों में से एक है तथा यह जिस झील के मध्य में है उसका नाम रुद्रसागर है। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो यह महल जल में तैर रहा हो। पानी के नीच तैरते इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसे त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देववर्मन बहादुर ने अपने ग्रीष्मकालीन महल के रुप में बनवाया था। हमने सर्वप्रथम वहाँ से नाव की बुकिंग की। जो कि लगभग 20 मिनट में हमें नीरमहल ले गई। यह मेरी प्रथम नाव यात्रा थी। मेरे मन में अजीब सा भय था। मैं पूरे रास्ते सोच रहा था कि ये नाव कहीं डूब गई तो क्या होगा। क्योंकि हमारे पास सुरक्षा उपकरण भी नहीं थे। नाव बहुत तेज गति से आगे जा रही थी। मैंने पानी में हाथ डाला। पानी बहुत ठंडा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमे वहाँ एक व्यक्ति मिला जिससे हमने महल के बारे में पूछा उन्होंने बताया कि ये महल आठ-नौ सालों में बनकर तैयार हुआ था।

भीषण गर्मी से बचने के लिए राज परिवार के लोग यहाँ रहते थे। इसका निर्माण बलुआ पत्थर और संगमरमर से हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना सुंदर यह महल है, उसे बनाया भी उतनी ही खूबसूरती से गया है। पानी में बने इस महल की छतरियाँ, पुल, गुंबद इसकी खूबसूरती में चार चाँद लगा देते हैं। महल में कई तरह के छोटे-छोटे उद्यान बने हुए हैं जिसमें लगे रंग-बिरंगे फूल यकायक ही सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। करीब एक घंटा घूमने के बाद हम वापस नाव से अपनी गाड़ी के पास आ गये। वहाँ आकर हमने हल्का जलपान किया। हल्की बारिश अब तेज होने लगी थी। हमने भी समय ना गँवाते हुए घर का रूख किया। वापसी

के दौरान हरियाली ने मेरा मन मोह लिया। प्रकृति भी हमारी इस यात्रा में भरपूर साथ दे रही थी। तकरीबन शाम के 5 बजे हम घर आ गए। हम सब बहुत थक गये थे। खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेट गया किंतु मेरे मन में अभी भी माता की मूर्ति बसी थी। मुझे अपनी यात्रा के बारे में सोचते-सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।

कार्यालय की संयुक्त हिन्दी गृह पत्रिका नागकेसर के द्वितीय अंक मार्च 2024 का लोकार्पण करते हुए सक्षम प्राधिकारी गण

बलिया है बलिदान की धरती

प्रियदर्शिनी सिंह,
सहायक लेखा अधिकारी

बलिया है बलिदान की धरती
भारत के अभिमान की धरती
बलिदानों की यहाँ परम्परा
मंगल वीर महान् की धरती

इस धरती ने सबसे पहले
आज़ादी का जश्न मनाया
क्रूर ब्रिटिश के शासन तंत्र को
अपने चरणों पे था झुकाया
गूँजा नभ में जो सिंह स्वर था
उस पावन से गान की धरती
बलिया है ......।।

तीन ओर से नदियाँ जिसका
नित नूतन श्रृंगार करे हैं
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था
जन-जन का आधार धरे है
सबके हित के खातिर भृगु के
लगे हुए उस ध्यान की धरती
बलिया है......।।

अपने जिले की सुंदर रचना
गाजीपुर से अलग संरचना
वर्षों से जो सजी कल्पना
तब जाकर कहीं हुई स्थापना
जिसकी रगों में त्याग है बहता
दानी बलि महान् की धरती
बलिया है .....।।

भारतवर्ष में क्रिकेट का बढ़ता प्रभाव

राकेश चन्द्र श्रीवास्तव,
सहायक लेखा अधिकारी

क्रिकेट की शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने की, जो आज भारतीय संस्कृति का एक केंद्रीय तत्व बनकर उभरा है। आज के इस दौर में इसका प्रभाव खेल की सीमाओं से परे पहुँच गया है। क्रिकेट ने भारत में अर्थव्यवस्था, सामाजिक सम्बन्धों और राजनीति को भी आकार दिया है। देश की जनता की इस खेल के साथ गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और यह आज देश का नया धर्म बन चुका है।

क्रिकेट का ऐतिहासिक संदर्भ:

क्रिकेट को औपनिवेशक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा लाया गया और इसने भारत के अभिजात्य और सामान्य वर्गों के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली। भारत में संगठित क्रिकेट प्रशासन की शुरुआत भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के साथ ही हो गई और आजादी के बाद इस खेल को और बढ़ावा मिला और यह राष्ट्रीय गौरव का एक जीता जागता उदाहरण बन गया ।

सन 1983 में भारतीय टीम द्वारा लंदन लॉर्ड्स मैदान पर अपना विजय-पताका लहराया गया। कमजोर दिखने वाली भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम को हराकर क्रिकेट में अपना दबदबा स्थापित किया। इस जीत ने भारतवासियों को यह विश्वास दिलाया कि भारत भी वैश्विक मंच पर अपनी उत्कृष्टता हासिल कर सकता है जिससे सामूहिक आकांक्षाओं की भावना को और बढ़ावा मिला।

आर्थिक प्रभाव:

क्रिकेट ने भारत में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाँ पहले कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट होते थे और अधिक संख्या में खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता था। सन् 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग के आ जाने से भारत में क्रिकेट का एक बड़ा नेटवर्क विकसित हुआ। इस लीग ने फ्रेंचाइजी आधारित मण्डल की शुरुआत की, कई बड़े निवेश आकर्षित किए और राजस्व में काफी इजाफा कर दिया। आज के समय आई॰ पी॰ एल॰ दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुका है जिसे देखते हुये दुनिया के अन्य देशों ने भी अपने यहाँ क्रिकेट लीग की शुरुआत की पर अन्य किसी लीग के मुक़ाबले आई॰पी॰एल॰ का चार्म एक अलग स्तर पर है। इसकी व्यावसायिक सफलता ने बड़े-बड़े वैश्विक खिलाड़ियों को भी आकर्षित किया और कई बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ खिलाड़ी तो आई॰पी॰एल॰ में खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम को भी छोड़ देते हैं।

क्रिकेट का यह आर्थिक प्रभाव विज्ञापन, मीडिया, पर्यटन आदि क्षेत्रों में भी फैला है। टेलीविजन अधिकार पाने और प्रमुख नियम क्रिकेट के साथ जुड़ने के लिए होड़ लगी रहती है। खेल के इस आर्थिक प्रभाव ने बीसीसीआई को एक बड़ी वित्तीय ताकत प्रदान की है जिसके कारण यह बोर्ड आज दुनिया का सबसे धनी बोर्ड बन बैठा है। पूरे क्रिकेट राजस्व का ज्यादातर हिस्सा भारतवर्ष से ही प्राप्त होता है जिससे आईसीसी में भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धाक बनी हुई है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावः

क्रिकेट भारतीय समाज में एक अद्वितीय स्थान रखता है यह क्षेत्रीय भाषायी और सांस्कृतिक मतभेदों से ऊपर है। यह भारत जैसे विशाल देश जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि और अलग-अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं उनको एकीकृत कर अपनी टीम का समर्थन करने एक साथ लाता है। यह दैनिक बात-चीत, मीडिया कवरेज और बॉलीवुड आदि में अपना बड़ा प्रभाव लेकर आता है। जहाँ क्रिकेट केन्द्रित विषयों पर कई फिल्में बनाई गई हैं। भारत में क्रिकेटरों का दर्जा किसी फिल्म सितारे से कम नहीं है। यहाँ सचिन तेंदूलकर, एम. एस. धोनी जैसे खिलाड़ियों को लोग घर-घर में सर आँखों पर रखते हैं। इन्होंने अपने प्रदर्शन एवं कौशल से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। मामूली शुरुआत से लेकर वैश्विक स्टारडम तक की उनकी यात्रा ने कई भारतीयों को प्रेरित किया है जिससे जनमानस में क्रिकेट का स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

क्रिकेट ने सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में भी बड़ी भूमिका अदा की है। क्रिकेटरों और क्रिकेट निकायों द्वारा सामाजिक सेवा आपातकालीन स्थिति में कई गैर-सरकारी संगठनों की मदद की है जिससे इस प्रकार के सकारात्मक बदलाव के कारण खेल की लोकप्रियता और बढ़ गई है। क्रिकेटर अपने प्रभाव का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण एवं लैंगिक समानता के मुद्दों पर काफी समय से करते आये हैं।

राजनीतिक प्रभावः

क्रिकेट कूटनीति का इस्तेमाल भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ तनाव को कम करने और संवाद को बढ़ावा देने के लिए किया है। भारत

और पाकिस्तान ने अपने बीच क्रिकेट संबंधों को बढ़ावा देकर संबंधों को सुधारने की कोशिश की है। राजनेता क्रिकेट का इस्तेमाल अपने मतदाताओं से जुड़ने और अपनी सार्वजनिक छवि को बेहतर करने के लिए करते हैं। क्रिकेट मैच की मेजबानी करना, खिलाड़ियों को सम्मानित करना उनकी राजनीतिक रणनीतियां हैं। बीसीसीआई जैसे प्रशासनिक निकायों में भी राजनीतिक दखल किसी से छुपी नहीं है। बीसीसीआई के प्रेसीडेंट से लेकर अन्य महत्वपूर्ण पदों पर राजनीतिक दखल देखी जा सकती है।

निष्कर्ष:

भारत में क्रिकेट मात्र एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म बन चुका है। क्रिकेटरों को इस धर्म के भगवान के रूप में देखा जाता है।आज यह एक औपनिवेशिक खेल से आगे बढ़कर राष्ट्रीय जुनून में तब्दील हो चुका है। आज यह भारतीय पहचान, आकांक्षा और एकता का पर्याय बन चुकी है। भारतीय टीम द्वारा मैच जीतने पर त्योहारों के बिना भी दीवाली शुरू हो जाती है, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एकजुट होकर खुशियाँ मनाते हैं। इस प्रकार यह आज हमारे सामाजिक ताने-बाने का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जैसे-जैसे क्रिकेट का विकास होगा वैसे-वैसे भारतीय समाज पर इसका प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा, जिससे न केवल एक खेल के रूप में बल्कि राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने-बाने की आधारशिला के रूप में इसका महत्व बढ़ता चला जाएगा।

हिन्दी की पहली प्रकाशित पुस्तक ''प्रेमसागर" लल्लूलाल ने लिखी थी जोकि चतुरभुजा मिश्रा की किताब का अनूदित रूप है।

मुँगेर- एक झलक

राहुल कुमार,
सहायक लेखा अधिकारी

पाठको आज मैं आपके समक्ष अपने शहर मुँगेर से आपको रू-ब-रू कराऊँगा। मुँगेर के बारे मे एक लेख में बयाँ करना थोड़ा मुश्किल है अतः मैं इसे नागकेसर के अगले खण्ड में भी जारी रखने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए जानते हैं, अपने शहर मुँगेर के ऐतिहासिक महत्व एवं वर्तमान में इसकी परिस्थितयों का संदर्भ। मुँगेर बिहार का एक छोटा-सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक अति प्राचीन नगर है। इस शहर का संबंध रामायण एवं महाभारत से ही रहा है। माना जाता है कि जब श्रीराम वनवास काटकर अयोध्या लौट रहे थे तब उन्होंने मुँगेर के कष्ट हरणी घाट पर स्नान किया था जिससे उन्हें रावण को मारने से जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उससे मुक्ति मिली थी। इसी शहर में बिहार का सबसे बड़ा लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को पहली बार माता सीता द्वारा गंगा के दियारा में मनाया गया था, जिस स्थान को आज 'सीता चरण' कहा जाता है।

एक दूसरे प्रसंग में यह भी मान्यता है कि ऋषि मुदग्ल जिनके नाम पर ही इस शहर का नाम मुँगेर पड़ा था। उन्होंने माता सीता से अग्निपरीक्षा का आह्वान किया था। जिसके पश्चात् 'सीताकुण्ड' नामक स्थान पर आज भी उनकी देह की ऊष्मा से गर्म जल भूमि से निकलता है, वहीं उसी स्थान पर अन्य कुण्डों से सामान्य जल प्रवाह होता रहता है। जो वैज्ञानिक रूप से भी एक आश्चर्य का स्थान है। यह स्थान मुख्य शहर से महज पाँच-सात किमी की दूरी पर स्थित है।

हम लोग यह जानते हैं कि अंगराज कर्ण अंग प्रदेश के सम्राट थे। यह शहर उस समय अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। इसलिए तो इस शहर को दानवीर कर्ण की भूमि भी कहा जाता है। पाठकों जिस तरह मुँगेर का इतिहास जितना गौरवपूर्ण था वैसा ही शुरूआती आधुनिक इतिहास में भी इसका महत्त्व रहा है। यहाँ बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी बनाई तथा एक बंदूक कारखाना की स्थापना की थी, जिसके दुष्परिणामों की चर्चा मैं बाद में करूँगा। यही अंग्रेजों के समय 'जमालपुर' में रेलवे कारखाना की स्थापना की थी। जहाँ वर्तमान में रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं। इन सबके अतिरिक्त यहाँ विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय भी है। जिसके वर्तमान में मठाधीश श्री श्री स्वामी निरंजनानंद सरस्वती हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने इस शहर को योग के क्षेत्र में न केवल इस देश में अपितु विश्व में भी एक अलग पहचान बनायी है और यही कारण है कि पटना, गया जैसे जिलों के बाद विदेशी पर्यटक यहीं सबसे ज्यादा आते हैं।

विदेशी पर्यटक को अपना शहर भ्रमण कराने का तो सौभाग्य मुझे भी काफी बार प्राप्त हुआ। इसी क्रम में मेरी दोस्ती एक फ्रांस के युवक लियो से हुई थी। इस वृतांत की भी अपनी एक कहानी है जिसे कभी फुरसत से लिखूँगा। हाँ, तो पाठकों मैं अपने शहर के कुछ महत्त्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों की चर्चा कर रहा था। इसी क्रम में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस शहर में बिहार के प्रसिद्ध रहमानी ने भी दीक्षा ली- एक बड़ा खानकाह भी है जहाँ सर्दियों के मौसम में उर्स के मेले का आयोजन भी होता है, जिसे देखने तो पूरे भारत से मुस्लिम भाई यहाँ आते हैं। अभी तो न जाने ऐसे कितने ही स्थलों का जिक्र मैंने नहीं किया है और शायद मुझे भी कितने स्थलों की

जानकारी नहीं होगी। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि यह शहर ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्त्वपूर्ण है ही किंतु प्राकृतिक दृष्टि भी में इसकी कोई कमी नही है। यहाँ से एक तरफ गंगा का निर्मल जल बहता है वहीं दूसरी ओर काली पहाड़ी है जो अद्वितीय दृष्य बनाता है। शहर से कुछ ही दूरी पर जंगल भी है जिसे – 'भीमबाँध अभ्यारण्य' के नाम से जाना जाता है, जहाँ आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। वहीं 'ऋषि कुण्ड' जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है वहाँ ठण्डा एवं गर्म दोनों जल धाराओं के पाये जाने से एक अलग ही कुण्ड बनता है जहाँ मलमास का मेला भी लगता है। कहा जाता है कि इस कुण्ड में स्नान करने से चर्मरोग विकार समाप्त होते हैं।

किन्तु मैं आपको केवल इस शहर के एक पहलू से ही अवगत नहीं कराना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया, अखबारों, न्यूज चैनलों में इस शहर के मिनीगन फैक्ट्री, गन फैक्ट्री के किस्से तो आपने भी सुन ही रखे होंगे। इसमें मैं सरकार से ज्यादा लोगों को ही दोषी समझता हूँ। जहाँ आज युवकों को रोजगार के नए अवसर की खोज करनी चाहिए वहीं आज के युवा इस शहर को सिटी ऑफ गन्स के नाम से पुकारे जाने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो कतिपय सराहनीय नहीं है।

खैर, इन बातों को जाने दीजिए ऐसा तो चलता ही रहता है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार हमारे शहर कभी पर्यटक बनकर आइये और यहाँ बिताया गया समय आपकी यादों के लिए एक अमिट छवि साबित होगा।

लोकसभा चुनाव 2024– माइक्रो पर्यवेक्षक की दृष्टि से

रोहित कुमार सिंह,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भारत का लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग हैं। यह चुनाव हर पाँच साल में आयोजित होते हैं और संसद के निम्न सदन, लोकसभा, की संरचना को निर्धारित करते हैं। यह चुनाव न केवल सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और राजनीतिक गतिशीलता का भी प्रदर्शन करते हैं। लोकसभा चुनावों का इतिहास, प्रक्रिया और प्रभाव भारतीय लोकतंत्र की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1951-52 में आयोजित किया गया था, जो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ था। यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था। वर्ष 2024 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव हुआ था। इस चुनाव को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सात चरण में करवाने का निर्णय लिया था।

चुनावी प्रक्रिया

भारत लोकसभा चुनावों के लिए 'पहले पास-पोस्ट' चुनाव प्रणाली का अनुसरण करता है। देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक, जो पंजीकृत मतदाता हैं, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान करते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार सीट जीतता है। भारत निर्वाचन

आयोग (ईसीआई) पूरे चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करता है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।

प्रमुख विशेषताएं

1. **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार:** 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक, जाति, धर्म, लिंग, या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, मतदान का अधिकार रखता है। यह समावेशिता लोकतांत्रिक सिद्धांत की समानता को प्रदर्शित करती है।

2. **बहुदलीय प्रणाली:** भारत में एक जीवंत बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रीय दल जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ-साथ कई क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। यह विविधता देश के बहुलवादी समाज और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दर्शाती है।

3. **चुनावी अभियान:** राजनीतिक दल और उम्मीदवार व्यापक चुनावी अभियान चलाते हैं, जिसमें रैलियों, मीडिया और सोशल प्लेटफार्मों का उपयोग करके मतदाताओं तक पहुँचा जाता है। अभियान विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित होते हैं, जिनमें विकास, सामाजिक न्याय, और आर्थिक नीतियाँ शामिल हैं।

4. **आदर्श आचार संहिता:** ईसीआई चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है। इस संहिता का उद्देश्य एक समान स्तर का मैदान सुनिश्चित करना और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना है।

प्रभाव और महत्व

लोकसभा चुनाव कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं:

1. **सरकार का गठन:** लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन सरकार का गठन करती है। प्रधानमंत्री आमतौर पर बहुमत दल के नेता होते हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि सरकार जनादेश को दर्शाती है।
2. **नीति दिशा:** लोकसभा की संरचना देश की विधायी एजेंडा और नीति दिशा को प्रभावित करती है। प्रमुख नीतियों और सुधारों पर बहस होती है और इन्हें लागू किया जाता है, जिससे समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है।
3. **लोकतांत्रिक भागीदारी:** लोकसभा चुनाव नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने, अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को व्यक्त करने, और अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का मंच प्रदान करते हैं।
4. **सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन:** चुनाव अक्सर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित और उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, क्षेत्रीय दलों और गठबंधनों का उदय क्षेत्रीय मुद्दों को उजागर करता है और संघवाद को बढ़ावा देता है।

पर्यवेक्षक की भूमिका

स्वतंत्र, और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में पर्यवेक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अवलोकन की प्रणाली को मजबूत करने के लिए, चुनाव आयोग ने सचेत रूप से जहाँ आवश्यक हो वहाँ माइक्रो-ऑब्जर्वरों को तैनात करते हैं। ये सूक्ष्म पर्यवेक्षक सीधे सामान्य पर्यवेक्षक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं।

प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक सामान्य पर्यवेक्षक को चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो की प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी होते हैं। सामान्य पर्यवेक्षक के अंतर्गत आने वाले सभी विधान सभा सीट पर एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक को नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार सूक्ष्म पर्यवेक्षक केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो भारत सरकार में ग्रुप सी या ऊपर के पद पे कार्यरत हो। प्रत्येक जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने जिला में भारत सरकार में कार्यरत कर्मियों की सूची तैयार करते हैं जिसमे कर्मियों का नाम, पदनाम, कांटैक्ट नंबर, पता आदि अंकित रहता है।

प्रायः सूक्ष्म पर्यवेक्षक को केवल उसी जिला में अपना निर्वाचन कार्य करना होता है जहां वे कार्यरत हैं लेकिन जरूरत पड़ने पे उन्हें किसी और जिले के निर्वाचन कार्य में लगाया जा सकता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सूक्ष्म पर्यवेक्षक की सूची तैयार करने के पश्चात् यादृच्छिकीकरण किया जाता है। यादृच्छिकीकरण के समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखते हैं कि सूक्ष्म पर्यवेक्षक अपने ही गृह जिला में कार्यरत न हो। इसके पश्चात् जिला निर्वाचन पदाधिकारी सूक्ष्म पर्यवेक्षक को ट्रेनिंग प्रदान करवाते हैं जिसमें उन्हें निर्वाचन से संबंधित नियम से अवगत कराया जाता है। चुनाव से पहले यह ट्रेनिंग कम से कम दो बार जरूर करायी जाती है। ट्रेनिंग में सूक्ष्म पर्यवेक्षक को बूथ रिपोर्ट भरना सिखाया जाता है तथा उन्हें इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि निर्वाचन के दौरान उनका आचरण कैसा रहना चाहिए।

16वीं लोकसभा चुनाव 2024 में मैं अगरतला, त्रिपुरा में कार्यरत था। मुझे सूक्ष्म पर्यवेक्षक के तौर पर दो जिले में कार्य करने का अवसर मिला। प्रथम चरण के दौरान मुझे सेपाहिजला जिले में नियुक्त किया गया तथा दूसरे चरण में खोवाई जिले में। प्रथम ट्रेनिंग जिला निर्वाचन पदाधिकारी

की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय में दी गयी तथा इसके उपरांत द्वितीय ट्रेनिंग सोनामुरा ब्लॉक तथा तेलियामुरा ब्लॉक में प्रदान की गयी। द्वितीय ट्रेनिंग के पश्चात् यादृच्छिकीकरण की मदद से सभी सूक्ष्म पर्यवेक्षक को बूथ अलोट किया गया। निर्वाचन का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता है, लोगों में एक अलग ही जोश और जुनून देखने को मिलता है। जहाँ आम लोगों को इंतज़ार रहता है कि वो अपने मत के अधिकार से भारत को एक नयी दिशा प्रदान करेंगे। वहीं इस कार्य को सुचारु रूप से अनुपालन करने के लिए पर्दे के पीछे कई व्यक्ति दिन रात एक कर देते हैं।

निर्वाचन के दिन सूक्ष्म पर्यवेक्षक के ऊपर निम्न दायित्व रहता है:

- मतदान केन्द्र पर तैयारियों का आकलन करें।
- मॉक पोल को देखना और यह सुनिश्चित करना कि वह आयोग के निर्देश के अनुसार हो रहा है।
- सुनिश्चित करना कि मॉक पोल के बाद और वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सीयू में वोटों को मंजूरी दे दी जाए और मॉक पोल प्रमाणपत्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँ।
- मतदान एजेंटों का आचरण, उनकी शिकायतें, यदि कोई हो।
- सूक्ष्म पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट तैयार करना, इत्यादि।

उपर्युक्त बिन्दु को अपने रिपोर्ट में अंकित कर सूक्ष्म पर्यवेक्षक इसे सामान्य पर्यवेक्षक को जमा करता है। इसके पश्चात् सूक्ष्म पर्यवेक्षक की रिपोर्ट की जांच की जाती है और कदाचार की स्थिति में चुनाव फिर से कराया जाता है और अगर रिपोर्ट को सही पाया जाता है, तब जाकर सूक्ष्म पर्यवेक्षक को कार्य से छुट्टी दी जाती है। जिन दो ब्लॉक में मेरी नियुक्ति थी वहाँ चुनाव प्रक्रिया सकुशल निर्वहन हुई और कोई भी कदाचार रिपोर्ट नहीं की गयी।

वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इन चुनावों ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय मतदाता जागरूक और सक्रिय हैं और वे अपने मताधिकार का प्रयोग सोच-समझकर करते हैं। चुनावों के परिणाम ने न केवल राजनीतिक दिशा को निर्धारित किया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। भविष्य में, यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार किस प्रकार अपने वादों को पूरा करती है और देश को आगे बढ़ाने में सफल होती है। 2024 के लोक सभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह चुनाव न केवल सरकार की दिशा और नीतियों को तय करता है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों का प्रतिबिंब भी होता है और किस दिशा में देश को आगे बढ़ाना चाहती है।

कार्यालय प्रधान श्री हिमांशु काश्यप धर्मदर्शी, प्रधान महालेखाकार के विदाई समारोह की एक झलकी

उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश की ओर

विशाल सिंह,
लेखापरीक्षक

विगत कुछ वर्ष पहले तक लोगों की जो उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा थी, आज वह बिल्कुल ही बदल गई है। उत्तर प्रदेश में पूर्व में कई असंतोषजनक घटनायें हुयी हैं जिनके विषय में हम सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश अपने विकास और प्रगति की वजह से समस्त भारत समेत विश्व में विख्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश के निवासी होने की वजह से हमें अपने प्रदेश पर आज गर्व महसूस होता है। अब धरातल पर लोगों को विकास दिख रहा है चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। आज हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक हर प्रकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेगें।

भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था: कुछ वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश इस पायदान में काफी नीचे था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश 9.2 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती भूमिबद्ध (जिसके चारों ओर से स्थल सीमा हो) है, जो व्यापार के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्य जहाँ समुद्र के रास्ते आयात और निर्यात करने के लिए उपयुक्त साधन हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के पास ऐसा कोई साधन मौजूद नहीं है। फिर भी, अपनी नीतियों और प्रदेश में सुरक्षा का माहौल पैदा करने की वजह से आज उत्तर प्रदेश में निवेश किया जा रहा है जिसकी वजह से रोजगार का सृजन तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है।

उत्तर प्रदेश में उद्योग: प्रदेश में उद्योग में निवेश होने की वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार अब प्रदेश में ही मिल जा रहे हैं। हालांकि अभी

भी काफी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं लेकिन पहले से हालातों में बहुत ही सुधार आया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कि राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ था जिसमें लगभग 40 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्ण परिर्वतन आएगा। आज प्रदेश के कई जिलो में काफी निवेश किया जा रहा है जिसमें गौतम बुद्धनगर (नोएडा), गाजियाबाद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज इत्यादि अनेक नाम हैं जहाँ स्थानीय लोगों को प्रदेश में ही रोजगार मिल जा रहा है।

एक्सप्रेस-वे प्रदेश के नाम से प्रसिद्धः पूरे भारत में 47 एकस्प्रेस-वे हैं जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जबकि 6 पर कार्य जारी है जोकि 2025 तक पूरा होने की सम्भावना है। गंगा एक्सप्रेस-वे लम्बाई में प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे होगा जिसकी लम्बाई 594 किलोमीटर है। यह एकसप्रेस-वे प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा जोकि प्रयागराज को मेरठ से जोड़गा। एक्सप्रेसवे ने प्रदेश को चारों दिशाओं से जोड़ दिया है, जिससे यातायात सुगम हो गया है उद्योग धंधो के लिए भी एक्सप्रेस-वे मददगार साबित हो रहा है। प्रदेश की आधारभूत संरचना को देखकर निवेशक भी प्रदेश में निवेश करने को आतुर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर 8-10 और एक्सप्रेस-वे के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। हम यह कह सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरे प्रदेश में एक्सप्रेस-वे का जाल बिछ जाएगा।

प्रदेश में पर्यटनः उत्तर प्रदेश पर्यटकों की संख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तमिलनाडु के बाद प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर्यटन के लिए अनेकों स्थान प्रचलित हैं। आगरा का ताजमहल विदेशी पर्यटकों के लिए आज भी सबसे पसंदीदा जगह हैं, हालांकि स्थानीय पर्यटकों के लिए बनारस (वाराणासी) सबसे ज्यादा

आर्कषण का केंद्र रहा है। भारत के किसी एक शहर की बात की बात जाए जहाँ पर्यटको की संख्या सबसे ज्यादा आती है, उसमें वाराणासी सबसे ऊपर है। विगत कुछ वर्षों में प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण शहरों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना तथा पुराने मंदिरों, घाटों का जीर्णोद्धार करना है। विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। 2019 कुंभ के मेले में 24 करोड़ श्रद्धालु माँ, गंगा में पवित्र स्नान करने आये थे। उसमें 11 लाख के करीब विदेशी श्रद्धालु थे। आने वाले दिनों में प्रदेश पर्यटन के हिसाब से निःसंकोच प्रथम स्थान पर होगा, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार है, वहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। भारत सरकार और प्रदेश की सरकार वहाँ विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। अयोध्या के चारों तरफ अयोध्या से फोरलेन हाइवे कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है, जिससे लोगों का आवागमन सुगम हो सके। आने वाले दिनों में अयोध्या निस्संदेह विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रही है।

एयरपोर्ट और मेट्रो में प्रथम स्थानः अगर भारत में एयरपोर्ट की संख्या और मेट्रो शहर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश मे करीब 19 एयरपोर्ट है जिसमे 5 अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या के हिसाब से भी यह प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अभी कई एयरपोर्ट तथा मेट्रो स्टेशन का कार्य जारी है। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, किसी भी देश या प्रदेश का विकास वहाँ के यातायात की सुगमता पर ही निर्भर करता है और उत्तर प्रदेश उसमें अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है।

कृषि प्रदेशः उत्तर प्रदेश को कृषि प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ की मिट्टी

बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर हर प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ, चीनी, आलू, हरी सब्जियाँ दूध इत्यादि के उत्पादन में प्रदेश अव्वल है और भी फसलें यहाँ बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं जैसे चावल, मक्का, बाजरा, दलहन, मसाले इत्यादि।

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का सपना: भारत जहाँ 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है वहीं उत्तर प्रदेश ने 2027 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उसके लिए प्रदेश सरकार हर तरह की योजना बना रही है। प्रदेश में स्टार्ट अप कल्चर भी प्रचलित हो रही है जिससे लोग खुद रोजगार का सृजन कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पूरे भारत में 6.33 करोड़ एमएसएमई उद्यम हैं जिसमे से 90 लाख केवल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। एमएसएमई न केवल बडे उद्योगों की तुलना मे कम पूँजीगत लागत पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपितु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में भी मदद करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हुए राष्ट्रीय आय और सम्पत्ति के अधिक समान वितरण हैं।

अब हम यह कह सकते हैं कि हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है।

हिन्दी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

लेखापरीक्षा क्या है? विज्ञान या कला

शुभम कुमार,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

मानव सभ्यता के विकास और अध्ययन परंपरा के प्रारंभ से ही विषयों को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया गया हैः साहित्य, विज्ञान, और कला। साहित्य अक्सर अपने आप में एक अलग श्रेणी के रूप में मान्य होता है, लेकिन किसी विषय के विज्ञान या कला होने को लेकर विद्वानों के बीच हमेशा से मतभेद रहा है। भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान से जुड़ने के बाद हम सभी के मन में एक सवाल हमेशा आता है कि लेखापरीक्षा यानि ऑडिट को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्या यह एक विज्ञान है अथवा एक कला। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधीन जो भी कार्य हमें निष्पादित करने होते है उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है या कलात्मक ज्ञान? आइए इन दोनों पहलुओं पर बारी-बारी से विचार करें।

लेखापरीक्षा का विज्ञानवादी पक्षः लेखापरीक्षा के विज्ञानवादी पक्ष को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि विज्ञान वास्तव में क्या है। विकिपीडिया के अनुसार, विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान या विधा है, जिसे विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को समझना है। सरल शब्दों में, विज्ञान का मतलब है किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसे सही तरीके से लागू करना, और वस्तु का सही अवलोकन करके उसका विश्लेषण करना। अब अगर इन तथ्यों को हम अपने पेशे से तुलना करें तो हम पाते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कार्य भी विज्ञान ही हैं। लेखापरीक्षा के दौरान जिन चरणों का हम पालन करते हैं वो सारे वैज्ञानिक तरीकों से परिपूर्ण हैं। एक उदाहरण के तौर पर यह मानते हैं कि हमारे

कार्यालय द्वारा एक संस्था की लेखापरीक्षा की जानी है। हमारा पहला कदम होता है उस संस्थान के बारे में सामान्य जानकारी एकत्रित करना, संस्थान पर लागू होने वाले सारे नियम, अधिनियम इत्यादि को एकत्रित करना यह विज्ञान का पहला कदम है जिसमें हम जानकारी ग्रहण कर रहें हैं। उस संस्थान में पहुँचने के पश्चात् हमारे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जो भी दिशा-निर्देश हमें दिए जाते हैं हम उनका पालन करते हुए संस्थान की दैनिक कार्यविधि, संस्थान द्वारा निष्पादित कार्यों, योजनाओं इत्यादि का अवलोकन करते हैं। यह विज्ञान का दूसरा भाग है, जो हमें अवलोकन करना सिखाता है। विज्ञान का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण विश्लेषण हैं जोकि हमारे लेखापरीक्षा का भी सर्वप्रमुख भाग है। एक लेखापरीक्षक की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रथम और द्वितीय चरण में एकत्रित किए गए सूचनाओ और आँकड़ों का सटीकता से विश्लेषण करें। अपने तार्किक सोच का का इस्तेमाल करते हुए एवं बड़ी सावधानी से सभी पक्षों का अवलोकन करते हुए परीक्षागत संस्थान की कार्यप्रणाली पर किसी प्रकार की टिप्पणी करें। एक लेखापरीक्षक का यह कदम किसी वैज्ञानिक से कम नहीं आँका जा सका। एक वैज्ञानिक जिस तरह अध्ययन और अवलोकन के माध्यम से नतीजे तक पहुँचता है, उसी तरह एक लेखापरीक्षक भी अपने विश्लेषण के माध्यम से किसी परिणाम तक पहुँचता है। लेखापरीक्षा को एक विज्ञान के रूप में इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इसमें नए-नए तकनीकी अनुप्रयोगों को सफलतापूर्वक शामिल किया जा रहा है। हमारे विभाग ने लेखापरीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुत पहले ही ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट आदि का उपयोग शुरू कर दिया था। हाल के वर्षों में, ओआईओएस और ई-ऑफिस जैसी प्रणालियों ने भारतीय लेखापरीक्षा को क्रांतिकारी ढंग से सरल और तेज बना दिया है। अगले चरण में, हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का भी समावेश देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक

उत्पादों का सरलता से लेखापरीक्षा में शामिल होना इस बात का संकेत है कि लेखापरीक्षा एक विज्ञान है। परंतु अब हमें लेखापरीक्षा के कला होने पर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा का कलात्मक पक्ष रॉयल स्पैनिश अकादमी ऑफ लैंग्वेज के अनुसार कला मानवीय गतिविधि की अभिव्यक्ति है, जिसके माध्यम से एक व्यक्तिगत और निष्पक्ष दृष्टि व्यक्त की जाती है, जो मौजूद संसाधनों का उपयोग कर चीजों की व्याख्या करता है। अब अगर हम लेखापरीक्षा एवं कला की इस परिभाषा का तुलनात्मक मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि दोनों में कई प्रकार की समानताएं विद्यमान हैं। जिस प्रकार कला में व्यक्तिगत और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है, उसी तरह लेखापरीक्षा में भी हमारे अंतिम उत्पाद, जैसे पर्यवेक्षण रिपोर्ट या ड्राफ्ट पैराग्राफ, में निष्पक्षता अपेक्षित होती है।

कहा जाता है कला मानवीय रचनात्मकता और कल्पना की अभिव्यक्ति है। कला की तरह ही लेखापरीक्षा के प्रत्येक चरण में हमारा रचनात्मक होना काफी आवश्यक है। लेखापरीक्षण हेतु संस्थान चुनने की बात हो या जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया, अन्वेषण हो या अंतिम रिपोर्ट (प्रतिवेदन) का मसौदीकरण, एक लेखापरीक्षक को सदैव ही रचनात्मक होना पड़ता है। रचनात्मकता वह तत्व है जो मनुष्य को मशीन से अलग बनाता है। यदि दो कंप्यूटरों को एक ही जानकारी देकर अवलोकन करने को कहा जाए, तो उनके परिणाम समान होंगे। लेकिन अगर यही काम दो लोगों, या हमारे संदर्भ में दो लेखापरीक्षकों को सौंपा जाए, तो उनके अवलोकनों के परिणाम अलग-अलग होने की बहुत अधिक संभावना हैं। इसका सर्वप्रमुख कारण है किन्ही दो लोगों की रचनात्मक क्षमता का एक समान न होना। लेखापरीक्षा प्रेक्षण लिखने के दौरान हमारी रचनात्मकता काफी लाभकारी सिद्ध होती है। भाषा का चयन और लेखन शैली का चुनाव

हमारी रचनात्मकता पर निर्भर करता है, जो निर्धारित करता है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया अवलोकन कितना प्रभावशाली और आकर्षक होगा।

कला का एक महत्वपूर्ण पहलू है मानवीय अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना। एक व्यक्ति अपने हर दिन के कार्यों से नए अनुभव प्राप्त करता है और सीखता है, जो उसके व्यक्तिगत विकास और सृजनात्मकता में योगदान करता है। लेखापरीक्षा के दौरान भी हम विभिन्न संस्थानों में जाकर कई महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं, जैसे कि उस संस्थान की कार्य विधि, प्रबंधन की प्रक्रिया, और जनलाभकारी योजनाओं का कार्यान्वयन। इस प्रकार, एक संस्थान से प्राप्त अनुभव को हम लेखापरीक्षा के दौरान दूसरे संस्थानों पर लागू कर सकते हैं। एक जैसे संस्थानों में, मानवीय अनुभव लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होता है, क्योंकि यह हमें पूर्व अनुभवों के आधार पर बेहतर विश्लेषण और निर्णय लेने में मदद करता है। कला का एक और महत्वपूर्ण पहलू भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता है। हमारे कार्य प्रणाली में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण स्थान है। एक लेखापरीक्षक अपने कार्य निष्पादन के दौरान कई पहलुओं पर गहराई से विचार करता है। लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। कभी उसे कठोर और दृढ़ होना पड़ता है, जबकि कभी उसे नम्र और मृदुल तरीके से पेश आना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य में उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्पष्ट रूप से झलकती है, जो उसकी निर्णय क्षमता और परिष्कृत दृष्टिकोण को दर्शाती है। लेखापरीक्षण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण में विज्ञानवादी और कलात्मक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है। हमारे विभाग में भी प्रशिक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्तियों को उनके विभाग और अन्य संबंधित विभागों के नियम, अधिनियम, अनुदेश,

कानून और विधियों का व्यापक ज्ञान हो। इसके साथ ही, प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी होता है कि व्यक्ति के कलात्मक पहलू को विकसित किया जाए। इस कलात्मक पहलू के विकास से व्यक्ति को टीम सशक्तिकरण, प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझ और कौशल प्राप्त होता है, जो उनके समग्र कार्य निष्पादन और पेशेवर वृद्धि में सहायक होते हैं। उपर्युक्त चर्चा के बाद, हम पुनः उसी प्रश्न पर लौट चुके हैं कि लेखापरीक्षा को किस श्रेणी में रखा जाए। लेखापरीक्षा एक विज्ञान है क्योंकि इसमें प्रक्रियाओं, नियमों, और मानकों का पालन किया जाता है। यह विश्लेषण, गणना और तथ्यों पर आधारित होती है, जो इसे एक प्रणालीबद्ध और तार्किक प्रक्रिया बनाता है। वहीं, यह कला भी है क्योंकि इसमें मानवीय तत्व, निर्णय लेने की क्षमता, और स्थिति के अनुसार दृष्टिकोण की आवश्यकता होती।

अमेरिकी लेखक इसाक असिमोव ने कहा है *'विज्ञान में कला है और कला में विज्ञान है: ये दोनों दुश्मन नहीं हैं, बल्कि समग्रता के ही अलग-अलग पहलू हैं।'* निष्कर्षतः यहाँ यह कहना ही उचित होगा कि लेखापरीक्षा भी एक संतुलन है, जहाँ विज्ञान और कला दोनों का समावेश होता है। एक लेखापरीक्षक को न केवल तकनीकी कौशल में पारंगत होना चाहिए बल्कि लोगों के साथ संवाद करने, समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए। उसमें न केवल विज्ञानवाद बल्कि कलात्मकता भी होनी चाहिए।

भारतीय भाषायें नदियाँ हैं, और हिन्दी महानदी।।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प: एक परंपरा, एक धरोहर

सायोनी केडिया,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भारत की विविधता उसकी सांस्कृतिक धरोहर में बसी हुई है, और इस धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं- भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प। ये न केवल सौंदर्य और कारीगरी का प्रतीक हैं, बल्कि यह हमारे देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कहानी भी कहते हैं।

भारत में हस्तकरघा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता (3300–1300 ई.पू.) से ही प्रचलित रही है। उस समय से लेकर आज तक, भारतीय हस्तकरघा ने अनेक उथल-पुथल और परिवर्तन देखे हैं। वैदिक साहित्य, महाभारत, और रामायण में वस्त्र निर्माण और बुनाई का उल्लेख मिलता है, जो यह दर्शाता है कि उस समय भी वस्त्र निर्माण कला उच्च स्तर पर थी।

भारतीय हस्तशिल्प एक सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है भारत की हर क्षेत्र, हर प्रांत की अपनी विशेष शिल्पकला है, जो वहाँ की स्थानीय संस्कृति, जलवायु और परंपराओं को दर्शाती है। ये शिल्पकला हमें विभिन्न प्रांतों की विशिष्ट पहचान और उनकी सांस्कृतिक धरोहर की झलक दिखाती है।

उदहारण के लिए- उत्तर प्रदेश - बनारसी सिल्क साड़ी, चिकनकारी कढ़ाई, पीतल के बर्तन, राजस्थान- बंधेज (टाई एंड डाई, ब्लू पॉटरी, लकड़ी की नक्काशी, पश्चिम बंगाल- जामदानी साड़ी, कांताजी (कांथा) कढ़ाई, टेराकोटा शिल्प, तमिलनाडु- कांचीपुरम सिल्क, तंजावुर पेंटिंग, काँसे की

मूर्तियाँ, गुजरात- पाटन का पटोला, कच्छ की कढ़ाई, खादी वस्त्र के लिए विश्व स्तर पर अत्यंत प्रसिद्ध हैं।

भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प न केवल सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि ये लाखों कारीगरों और उनके परिवारों के लिए आजीविका का स्रोत भी हैं। यह उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के प्रमुख स्रोतों में से एक है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। हस्तकरघा और हस्तशिल्प उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प उद्योग कई समकालीन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं: मशीनीकरण और औद्योगिकीकरण, कच्चे माल की कमी, और प्रभावी विपणन रणनीतियों की कमी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आइए, इन कदमों पर विस्तार से चर्चा करें:

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (NHDP):

यह कार्यक्रम हथकरघा बुनकरों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से योजनाबद्ध किया गया है। इसके तहत बुनकरों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, विपणन समर्थन, और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बुनकरों के लिए विभिन्न क्लस्टर आधारित विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उन्हें संगठित तरीके से विकास के अवसर मिलते हैं।

मुद्रा योजना (MUDRA):

मुद्रा योजना के तहत, छोटे और मझौले उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना हस्तशिल्प कारीगरों को उनके

व्यवसाय को बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है। इस योजना के तहत, बुनकरों और कारीगरों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को विकसित कर सकें।

ई-मार्केटिंग और ई-कॉमर्स:

डिजिटल युग में, सरकार ने हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों की विपणन के लिए ई-मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से, बुनकर और कारीगर अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।

हस्तशिल्प मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन:

सरकार द्वारा हस्तशिल्प मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जहाँ कारीगर अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बेच सकते हैं। ये मेले और प्रदर्शनियाँ कारीगरों को ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क में आने का अवसर देती हैं, जिससे उन्हें अपने उत्पादों की माँग और पसंद के बारे में जानकारी मिलती है।

सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों का गठन:

बुनकरों और कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, सरकार ने सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों का गठन किया है। इन समूहों के माध्यम से, कारीगर संगठित होकर अपने उत्पादों का विपणन कर सकते हैं और बेहतर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के साथ-साथ, कई गैर-सरकारी संगठन (NGOs) भी भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संगठन कारीगरों को प्रशिक्षण, विपणन समर्थन, और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। कुछ प्रमुख NGOs इस प्रकार हैं:

क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (CCI):

यह संगठन हस्तशिल्प कारीगरों को उनके कौशल को सुधारने और विपणन के नए तरीकों के बारे में जागरूक करने में मदद करता है। CCI विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों का आयोजन करता है, जिससे कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

दस्तकारी हाट समिति:

दस्तकारी हाट समिति हस्तशिल्प और हस्तकरघा कारीगरों को संगठित करने और उनके उत्पादों का विपणन करने में मदद करती है। यह संगठन कारीगरों को डिज़ाइन और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने उत्पादों को और भी आकर्षक बना सकें।

सेवा (Self Employed Women's Association):

सेवा महिलाओं के नेतृत्व में काम करने वाला एक संगठन है जो महिला कारीगरों को आर्थिक स्वतंत्रता और स्थायित्व प्राप्त करने में मदद करता है जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य आयाम है। यह संगठन महिलाओं को उनके उत्पादों का विपणन करने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनता है।

भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प का आकर्षण न केवल उनके सौंदर्य और कारीगरी में है, बल्कि उनके पीछे की कहानियों में भी हैं। यह कारीगरों के अद्वितीय कौशल और उनके जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कई हस्तशिल्प मेलों और प्रदर्शनियों का दौरा किया है, जहाँ मैंने कारीगरों से भेंट की और उनके जीवन की कहानियों को सुना है। उनके कार्यों में जो समर्पण और प्यार झलकता है, वह वास्तव में अपवादात्मक है।

भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प की धरोहर एक अमूल्य संपत्ति है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल कलात्मकता और शिल्प कौशल का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने का अभिन्न हिस्सा भी है। हमें इस धरोहर को संजोने और सहेजने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस अद्वितीय कला और संस्कृति का आनंद ले सकें। भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प की परंपरा को जीवित रखने और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों से, भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प का भविष्य उज्ज्वल है। इन प्रयासों के माध्यम से, हम इस धरोहर को सँजो सकते हैं और इसे विश्व मंच पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। भारतीय हस्तकरघा और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को बनाए रखना और इसे पुनर्जीवित करना हमारी जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें सतत प्रयास करने होंगे।

आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।

महावीर प्रसीद द्विवेदी

पदोन्नति पर अनुभूति

सुबोध देबबर्मा,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन इस कार्यालय में 27.09.1991 को लिपिक/ टंकक के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद, मुझे क्रमशः 31.01.2001 और 01.01.2010 को लेखाकार और वरिष्ठ लेखाकार के पद पर पदोन्नत किया गया। सेवा में शामिल होने के बाद से मेरी महत्वाकांक्षा एक अधिकारी बनने की थी। इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने ऑनलाइन माध्यम से एसएएस परीक्षा दी और 2013 में सफलता भी प्राप्त की। तदनुसार, मुझे 01.08.2013 को सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद भी उच्च पद/ अवसरों की भूख बनी रही। सहायक लेखा अधिकारी के पद पर लगभग 11 साल लगातार सेवा करने के बाद, मुझे 23.08.2024 को वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में अगली और अंतिम पदोन्नति मिली और मैंने उसी दिन कार्यभार ग्रहण कर लिया। वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नति मिलने पर, मैं और मेरे परिवार के सदस्य बहुत खुश हैं। मैं अपनी सेवा और ईमानदारी पर भरोसा रखने के लिए अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ शाखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया है। अब मुझे जनता की सेवा के साथ-साथ भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग की उच्च जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खुद को समर्पित करने का मौका

मिला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे आशीर्वाद दें और मुझे सेवा करने और सेवा जीवन की शेष अवधि के लिए अपनी सेवा समर्पित करने का अवसर दें।

15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के सुअवसर पर निर्मित रंगोली का दृश्य

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

सूरज किशोर,
सहायक लेखा अधिकारी

आज की दुनिया में तकनीक के क्षेत्र में जिस तीव्र गति से विकास हो रहा है, इससे यह अनुमान लगाना बड़ा ही कठिन है कि तकनीक हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करेगी। वर्तमान समय में ही आधुनिक तकनीक का दखल हमारे जीवन के हरेक क्षेत्र में हो गया है और इसका विस्तार दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। मनुष्य अपने मस्तिष्क का उपयोग करके तकनीक का विकास कर रहा है। किन्तु आने वाले समय में यह तकनीक हमें इस तरह प्रभावित कर सकती है कि हम अपने मस्तिष्क में मौलिक सोच और विचार ही उत्पन्न न कर पाये क्योंकि हम वही सोचें और समझेंगे जो तकनीक के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुँचाई जा रही है।

आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस से तकनीक के क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस तकनीक का प्रभाव और विस्तार काफी विस्तृत है। मानव जीवन के हरेक क्षेत्र और प्रत्येक कार्यकलाप में इस तकनीक का दखल हो गया है, फिर चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, मनोरंजन का या अन्य और क्षेत्र हों, हर जगह प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इस तकनीक के प्रादुर्भाव के बाद मानव की मशीनों और तकनीक पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ गई है। जहाँ एक तरफ इसके अनेक फायदे हैं, वहीं काफी कुछ नुकसान की भी आशंका विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही है।

वैश्विक स्तर पर आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, किन्तु भारत में यह अभी काफी शुरुआती दौर में ही है।

आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का अर्थ कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है, अर्थात् कृत्रिम रूप से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता जिसका प्रयोग मानव मस्तिष्क की तरह समस्याओं का विश्लेषण तथा उनके समाधान करने हेतु किया जाता है। जापान विश्व का ऐसा पहला देश बना जिसने आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के लिए एक योजना जिसका नाम "फिफ्थ जेनरेशन" था, की शुरुआत की। इसके तहत सुपर कम्प्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद अन्य कई देशों ने भी इसकी ओर ध्यान दिया। यूरोपीय देशों ने तो आपस में मिलकर एआई के विकास के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की इन सभी के सम्मिलित प्रयासों से अब यह संभावना बन रही है कि 2045 तक मशीनें स्वयं सीखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी। इनके समझने और काम करने की गति इतनी तीव्र होगी जिसका आज अनुमान लगाना भी कठिन है। भारत सरकार भी आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के विकास को लेकर काफी सकारात्मक है तथा इसकी क्षमताओं का उपयोग सुशासन के लिहाज से जहाँ भी संभव हो वहाँ करना चाहती है तथा इसके लिए योजनाओं पर कार्य भी शुरू हो चुका है। पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में यह उल्लेख किया था कि केंद्र सरकार जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम लाना चाहती है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी काफी तेजी से इस क्षेत्र में अपने पाँव पसार रहा है। चीन की मंशा वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में विश्व का अगुआ बनने की है। आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के समुचित एवं सुरक्षित उपयोग के लिए सरकार को कुछ दिशा निर्देशों के साथ नीतिगत प्राथमिकताएं भी तय करनी होंगी इससे उन क्षेत्रों के लिए रणनीति बनाने में आसानी होगी जिसकी देश को सर्वप्रथम आवश्यकता है।

वर्तमान समय में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के अध्ययन की सुविधा के लिए मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है :

(i) पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक (Purely Reactive)

(ii) सीमित स्मृति (Limited Memory)

(iii) मस्तिष्क सिद्धान्त (Brain Theory)

(iv) आत्म चेतन (Self-Conscious)

आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से विभिन्न क्षेत्रों में काफी व्यापक प्रभाव पड़ा है जैसे कि:

शिक्षा के क्षेत्र में: शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के आगमन से पारंपरिक तौर तरीकों में काफी बदलाव आया है। जहाँ पहले हम क्लास रूम शिक्षा पर ज्यादा निर्भर थे वहीं आज के समय में ऑन-लाइन क्लाससेस ज्यादा प्रचलित हुई हैं, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के उपयोग से ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा रोचक, ज्यादा सुगम तथा ज्यादा प्रभावी हो गई है। अनुसंधान और विश्लेषण में भी आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के कारण ज्यादा सटीकता तथा ज्यादा प्रामाणिकता आ गई है। आज कठिन से कठिन विश्लेषण भी आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस बहुत ही सुगमता से कर लेता है जो कि साधारण मनुष्य से संभव नहीं है। आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से आज शिक्षा के क्षेत्र के लिए सामग्री तैयार करने की बात हो या एक प्रभावी एवं संतुलित पाठ्यक्रम तैयार करना हो, इन सभी कार्यों में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस की सहायता ली जा रही है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में: स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का सर्वाधिक उपयोग नए-नए अनुसंधान करने तथा विश्लेषण में किया जा

रहा है। इसके अलावा भी उपचारों की सटीकता को बढ़ाने, उपचार को सरल बनाने, रोगियों के उपचार को मॉनिटर करने में तथा कठिन शल्य क्रियाओं में भी इसकी मदद ली जा रही है। आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के उपयोग से आज के समय में ऐसे बहुत सारे टेस्ट (जाँच) तुरंत हो जाते हैं, जिनमें पहले बहुत समय लग जाता था।

व्यापार के क्षेत्र में: व्यापार का क्षेत्र भी आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के उपयोग से दूर नहीं रहा है, इस क्षेत्र में भी आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। व्यापार को संतुलित करने में, संचालन तथा ग्राहक सेवा में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यापार में होने वाले ऐसे कार्य जो दोहराए जाने वाली प्रकृति के होते हैं उनको स्वचालित करने में भी आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का उपयोग काफी सहायक हो रहा है। व्यापार में उत्पाद एवं उनकी आपूर्ति के बीच समन्वय बनाने तथा उनके सही वितरण तक में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियाँ जिनका पूरा व्यापार इन्टरनेट से ही चलता है जैसे- फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिन्त्रा आदि। ये कंपनियाँ आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का उपयोग अपने ग्राहकों के डेटाबेस को सुरक्षित रखने तथा उस डेटाबेस का विश्लेषण कर ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार उत्पाद का विज्ञापन उन तक पहुँचाने में करती है। जिससे ग्राहक और कंपनी दोनों का फायदा होता है। नए उत्पाद को बनाने तथा पुराने उत्पाद को बेहतर करने, उनकी गुणवत्ता को बढाने में भी इस तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है।

रक्षा के क्षेत्र में: विश्व के विकसित देशों में रक्षा के क्षेत्र में भी आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग हो रहा है। रक्षा एक ऐसा

क्षेत्र है जिसमें आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस की भरपूर संभावनाएं हैं। अभी तक इस क्षेत्र में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का उतना उपयोग नहीं हुआ है जितना हो सकता है। वर्तमान समय में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का उपयोग हथियारों को उन्नत बनाने में खुफिया सूचनाओं के विश्लेषण में ही विशेष रूप से होता है। युद्ध में होने वाले भयानक रक्तपात तथा जानमाल से होने वाले नुकसान को देखते हुये वैज्ञानिक ऐसी प्रणाली विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें युद्ध के दौरान होने वाली मानवीय जीवन की रक्षा की जा सके। इसके लिए युद्ध में मानव की भूमिका को सीमित कर रोबोट तथा मानव रहित उपकरणों के उपयोग पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसमें आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्वचालित हथियार एवं उन्नत किस्म के रडार तथा अन्य उपकरण विकसित करने में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

जीवन के हरेक क्षेत्र में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एक ओर जहाँ इसके अनेक फायदे हैं वहीं अगर कुछ सावधानियाँ ना बरतीं जाएँ तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस से होने वाले नुकसानों में सबसे पहले रोजगार में कटौती है। जिससे हमारा देश जो पहले से ही बेरोजगारी से जूझ रहा है, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के प्रचलन से बेरोजगारी की समस्या और विकराल हो सकती है। आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस एक मानव जनित तकनीक है जो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों को आसान बनाती है। किन्तु आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस में मनुष्यों की तरह भावनाएं एवं नैतिकता जैसे मानवीय गुण नहीं हो सकते जिससे आने वाले समय में इसके अधिक उपयोग से अनेक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। कई वैज्ञानिकों ने यह भी आशंका जताई है कि इस तकनीक के विकास के क्रम में कोई ऐसा मुकाम

भी आ सकता है जब मशीनें मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाएँ तथा मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगें ऐसी स्थिति में पूरी मानव सभ्यता पर खतरा हो सकता है।

अतः तकनीक के विकास और इसके उपयोग की एक सीमा निर्धारित करना अति आवश्यक है।

हिन्दी के मुहावरे तथा उनके अर्थ

1.	अपनी-अपनी खाल में सब मस्त	व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संतुष्ट रहे, शिकायत न करे।
2.	अपनी गरज़ बावली	व्यक्ति का अपने घर में ही जोर होता है।
3.	आधा तीतर आधी बटेर	बेमेल चीजों का सम्मिश्रण होना।
4.	आटे दाल का भाव मालूम होना	दुनियादारी ज्ञात होना।
5.	इन तिलों में तेल नहीं	यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है।
6.	उगले तो अंधा, खाये तो कोढ़ी	दुविधा में पड़ जाना।
7.	उड़ती चिड़िया पहचानना	मन की बात ताड़ जाना।
8.	ऊधौ का देना ना माधौ का लेना	किसी का भी कर्जदार न होना।
9.	एक आँख न भाना	तनिक भी अच्छा न लगना।
10.	अंग-अंग खिल उठना	प्रसन्न हो जाना।

कोई भी संविधान अपने आप में पूर्ण न्याय प्रदान नहीं कर सकता

सौरभ राज,
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

संविधान से आशय किसी भी भू-भाग के आधारभूत कानून से होता है, जिस पर उस भूभाग के सभी कानून, व्यवस्थाएं, शासन का तरीका आदि निर्धारित किए जाते हैं।

संविधान किसी भी समाज की आकांक्षाओं तथा इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। यह कागज का दस्तावेज मात्र नहीं होता। संविधान का चरित्र संभवतः उस समाज विशेष के चरित्र को भी दर्शाता है। वस्तुतः जिस प्रकार के मूल्य, आदर्श, संस्थाएं, प्रथाएं समाज में प्रचलित होती हैं। उसी के अनुरूप वह समाज संविधान को तैयार करता है। केवल संविधान ही समाज का निर्माण नहीं करता, उसे निर्मित करने वाले व्यक्तियों का चरित्र भी बहुत हद तक संविधान की सफलता निर्धारित करता है और उसी के अनुरूप अपने भावी समाज के लिए नित नए प्रतिमान आदर्श गढ़ते हैं।

प्रश्न यह उठता है कि क्या संविधान आवश्यक है? इस संदर्भ में डॉ. अंबेडकर का मानना है कि समाज के वंचित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए संविधान आवश्यक हैं। वहीं अन्य महापुरुष भी समाज को विचलन से बचाने हेतु इसे आवश्यक मानते हैं। दार्शनिक रूप में, तो यह आवश्यक है ही, परंतु व्यवहार में देखें, तो यह अति आवश्यक है। ध्यातव्य है कि संविधान सरकार गठन के तरीके, राज्य की रूपरेखा, प्रशासनिक ढाँचा, समाज के सभी व्यक्तियों के अधिकार, सरकार के कर्तव्य, व्यक्तियों पर शासन करने वाले प्रतिनिधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का भी कार्य करता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोई भी ऐसी युक्ति हो, जिसके अनुरूप

सारी व्यवस्थाएं कार्य करें। यह भी जरूरी है कि संविधान का कोई भी व्यक्ति, इसका दुरुपयोग न कर पाए। इस संदर्भ में डॉ. ने कहा है-

**"यह किसी को हक नहीं कि,
वह संविधान का दुरुपयोग करे,
यदि ऐसा होता है, तो संविधान
को मैं सबसे पहले जलाऊँगा।"**

इसी प्रकार, गांधी जी भी मानते थे कि संविधान तो मात्र सामाजिक आदर्शों तक पहुँचने हेतु साधन मात्र है। वास्तविक लक्ष्य तो वह है जब राज्य विहीन समाज होगा । प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में प्रबुद्ध होगा और संविधान की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि महात्मा गांधी का यह कथन तो अतिश्योक्तिपूर्ण है, परंतु हमें संविधान में ही न्यूनतम शासन के तत्व समाहित कर देने चाहिए।

समाज के सामान्यतः सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, संविधान की सफलता की प्रथम सीढ़ी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो समाज उस संविधान का पालन नहीं करेगा और संविधान स्वयं ही समाप्त हो जायेगा। शासन व्यवस्था के अनुरूप भी संविधान को दो भागों में बाँटा जा सकता है। जैसे- लोकतांत्रिक राज्यों के संविधान तथा तानाशाही राज्यों वाले संविधान।

तानाशाही राज्यों के संविधान केवल नाम- मात्र के होते हैं। राजा की इच्छा ही कानून होती है। इसमें प्रजा के हितों की अनदेखी भी की जा सकती है। वहीं लोकतंत्र समाजों में संविधान भी लोकतांत्रिक होता है। भारत के संदर्भ में देखें, तो संविधान में अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगो व मुख्य- धारा से दूर अन्य व्यक्तियों के अधिकार व उनके हित भी सुरक्षित करता है। इसी प्रकार, अमेरिकी संविधान भी

अश्वेत लोगों के प्रतिनिधि के लिए सकारात्मक भेदभाव का संप्रत्यय प्रस्तुत करता है।

भारत में संपूर्ण विश्व की तुलना में स्थायित्व संविधान है। इतनी विविधताओं के बावजूद हम अपने संविधान को बनाए रख सके हैं। इसका मुख्य कारण हमारे संस्कार भी हैं -

'यूनान मिश्र रोमां सब मिट गए जहां से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी'

अवलोकन करने पर पातें हैं कि 'न्याय' ही वह तत्व है, जिसके कारण संविधान स्थायित्व को धारण करता है। यह जरूरी है कि संविधान यथासंभव न्याय प्रदान करने में संभव हो। जैसाकि अरस्तू ने भी 'न्याय' को सबसे बड़ा सद्गुण बताया है, क्योंकि यही वह तत्व है, जो व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत विकास करने में सक्षम है।

न्याय से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में भी रूप में भेदभाव न होने से है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, अतः उसे बेड़ियों में नहीं जकड़ा जाना चाहिए। यहीं बेड़ियां जब अतार्किक रूप में मनुष्य पर थोप दी जाती हैं। चाहें, वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हों, या सांस्कृतिक अथवा मनोवैज्ञानिक, तो वह अन्याय का स्वरूप धारण करती हैं। अतः इन स्वरूपों से मुक्त अन्यायपूर्ण रहित समाज का अस्तित्व ही पूर्ण न्याय की अवधारणा है। इसमें व्यक्तिगत तत्व भी सम्मिलित होते हैं।

संविधान समाज के प्रत्येक अंग को पूर्ण न्याय प्रदान करने का यथासंभव प्रयास करता है, परंतु यह संभव है कि प्रदान नहीं कर पाए। बड़े से बड़े महान संविधान में भी खामियाँ रह जाती हैं। किसी विचारक ने भी कहा है -

“महानता कितनी भी बड़ी क्यों न हो,
उसमें भी कुछ छिद्र हमेशा रह जाते हैं।”

‘समस्या यह नहीं कि ऐसा कोई संविधान तैयार नहीं किया जा सकता, समस्या यह भी है, कि संविधान निर्मित करने वाले व्यक्ति भी पूर्ण नहीं हैं। मानव की पूर्वधारणाएं, व्यक्तिगत अनुभव तथा समाज की आत्मनिष्ठता ऐसा करने में अवरोध की तरह कार्य करते हैं।

भारत की बात करें, तो संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है किंतु व्यक्तिगत,सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक नहीं। यह सोचने योग्य प्रश्न है कि इतने सफल संविधान में भी पूर्ण न्याय प्रदत्त नहीं किया जा सकता है दरअसल कुछ कारक हैं, जिनके कारण यह होता है। समाज की परिवर्तनशील, प्रकृति, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास में नित- नए उभरते विषय, सैकड़ों विचारधाराएं व्यक्ति व समाज के बीच अंतर्क्रिया की प्रकृति, रूढ़िवादिता, आदर्श व्यवस्था का अभाव अनेक कारक हैं, जिनके कारण कोई भी संविधान अपने आप में पूर्ण न्याय नहीं प्रदान कर पाता है।

हालांकि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संविधान पूर्ण न्याय का प्रयास भी नहीं करता है। अच्छा संविधान स्वयं में ही इस प्रकार के प्रावधान धारण करता है कि कम से कम प्रयास तो करता है। अमेरिका संविधान ने पूर्ण- न्याय की अवधारणा का प्रारंभ किया और यह अधिकार न्यायपालिका के माध्यम से नागरिकों को प्रदत्त किया है। ठीक इसी प्रकार, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 143 के माध्यम से पूर्ण न्याय करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी है। इसके अतिरिक्त नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से भी संविधान ने सरकार को निर्देशित किया है इसके बावजूद यह स्मरणीय है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज, राज्य, व व्यवस्था की अपनी सीमाएं होतीं हैं; जिन्हे लांघा नहीं जा सकता।

निष्कर्षतः कहा तो जा सकता है कि कोई भी संविधान अपने आपमें पूर्ण न्याय नहीं प्रदान कर सकता, किंतु प्रयास आवश्यक रूप में कर सकता है।

हमारे संविधान निर्माताओं में से एक डॉ० अंबेडकर की संविधान हाथ में लिए गली - मुहल्लों के चौराहों पर लगी मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि समाज के सबसे नीचे पायदान पर काबिज व्यक्ति के अकाक्षाओं व इच्छाओं की पूर्ति भी हमारे संविधान में हुई है और इसी के माध्यम से समाज के प्रत्येक अंग को पूर्ण न्याय प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है।

हिन्दी के मुहावरे तथा उनके अर्थ

11.	अंधे की लकड़ी	एकमात्र सहारा।
12.	आँखें चार होना	आमने-सामने होना।
13.	आँख का अंधा, नाम नयन सुख	नाम के अनुसार गुण न होना।
14.	कच्चा चिट्ठा खोलना	सबके सामने, सब भेद खोल देना।
15.	करे कोई, भरे कोई	किसी की करनी का फल कोई और भोगे।
16.	खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे	सफलता न मिलने पर दूसरों को दोष देना।
17.	गवाह चुस्त, मुद्दई सुस्त	जिसका काम है वह तो आलस्य करे और दूसरे फुर्ती दिखायें।
18.	गुड़ खाये, गुलगुलों से परहेज	झूठ और ढोंग रचना।

सेठ करोड़ीमल

स्वाती कुमारी,
कनिष्ठ अनुवादक

एक बार की बात है उदयपुर नामक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का नाम था- करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल की गिनती उस प्रदेश के प्रमुख धनाढ्य सेठों में होती थी। वह नित्य ईश्वर की आराधना किया करता था। प्रतिदिन वह ईश्वर का धन्यवाद हृदय से करता था। वह उनसे विनती करता-"हे भगवान! आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, धन-धान्य की कोई कमी नहीं है परंतु फिर भी न जाने क्यों एक खालीपन सा महसूस होता है।

एक दिन वह सवेरे-सवेरे सैर पर निकला। सेठ करोड़ीमल मन ही मन किसी उधेड़बुन में व्यस्त था। तभी अचानक उसका पैर एक बड़े से पत्थर से जा टकराया। उसे गहरी चोट आई। वह दर्द से कराहने लगा। सहसा उसके मुँह से निकला- "हाय! किस मानुष ने इतना बड़ा पत्थर रास्ते पर रखकर छोड़ दिया, वह भी बिल्कुल रास्ते के बीचोंबीच कि सभी आने-जाने वाले व्यक्ति इस पत्थर से टकराते हुए निकले।"

सेठ करोड़ीमल ने मन ही मन उस इंसान को बहुत कोसा उसके मन में और भी अनगिनत बातें आईं परंतु उसने एक बार भी उस पत्थर को मार्ग से हटाने के बारे में नहीं सोचा। थोड़ी देर सुस्ताने के पश्चात वह वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ा। वह अभी अपने घर से बस थोड़ी ही दूर था कि उसने देखा की एक क्षीण-हीन सा दिखने वाला व्यक्ति उसके द्वार पर बैठा था। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर यह बात पता चली कि वह पड़ोस के नगर का एक रोगी व्यक्ति था। वह वहाँ बैठकर सेठ करोड़ीमल का ही

इंतजार कर रहा था। उस रोगी व्यक्ति को यह भली-भांति पता था कि सेठ करोड़ीमल उस इलाके का सबसे अमीर व्यक्ति है। वह अपने मन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर उनसे मिलने आया था। हालांकि यह बात भी सत्य थी कि सेठ जी को अपनी एक-एक कौड़ी भी प्राणों से अधिक प्रिय थी। वह उनमें से एक पैसा भी इधर से उधर नहीं करना चाहता था। चूँकि माँ लक्ष्मी की प्रकृति को चंचल बताया गया है। अतः ये तो संभव ही नहीं था।

वह रोगी व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित था। वह देखने में बिल्कुल ही दुबला-पतला, कमजोर-सा व पीला प्रतीत होता था। उसने सेठ करोड़ीमल से मिन्नतें की मगर सेठ ने मन ही मन सोचा- "इस व्यक्ति को पैसों की अत्यधिक जरूरत है, परंतु बात यह भी है कि उस रोगी व्यक्ति पर जितने भी पैसे खर्च किए जाए वह कम ही पड़ेगा। तिस पर सत्य यह भी है कि उस पर निवेश किए गए सभी पैसे व्यर्थ ही चले जाएंगे। यानि इस स्थिति में तो सेठ करोड़ीमल को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा बल्कि जीरो रिटर्न ही हाथ आएगा।

सेठ करोड़ीमल ने बहुत सोच-विचार करके, उस व्यक्ति के बार-बार मिन्नतें करने पर उसे कुल पाँच हजार रुपये दिए। उस रोगी व्यक्ति ने उनसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि कृपा करके कुछ और पैसे दे दें। वह उसे उधार स्वरूप ही ले रहा है तथा ठीक होते ही सर्वप्रथम वह उसे पैसे लौटाएगा। वह दिन-रात कड़ी मेहनत करके सेठ जी से लिए हुए पाई-पाई का हिसाब करके उन्हें चुकता करेगा, मगर सेठ करोड़ीमल ने उसके सामने अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर दिए।

अंततः वह व्यक्ति सेठ करोड़ीमल के पास से पाँच हजार रुपये लेकर भारी मन से वहाँ से चला गया। सेठ जी जब बाकी के सभी कार्यों से फुरसत पाकर, खा-पीकर अपने बिस्तर पर लेटा तो उसके दिमाग में

तरह-तरह की बातें घूमने लगी। उसने चिंतन करना आरंभ किया कि उसका दिन आज कैसा बीता। और किस प्रकार वह अपने दिन को और भी बेहतर बना सकता था। उसने जब गहराई से चिंतन किया तो ये पाया कि उसके द्वारा दिनभर के चौबीस घंटे के समय का उपयोग तो पूर्णरूपेण स्वहित में ही किया जा रहा है। इस बात का ज्ञान होते ही उसका मन तो बेचैन हो उठा।

रातभर उसे नींद न आई। चिंतन-मनन में ही पूरी रात बीत गई। अगली सुबह उसे यह खबर मिली कि पैसों के अभाव के कारण वह रोगी व्यक्ति अपना इलाज न करा पाया। बीती रात ही उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही सेठ करोड़ीमल का हृदय कचोटने लगा। उसे ग्लानि होने लगी। इस बात से उसे काफी तकलीफ भी हुई कि वह उस व्यक्ति का जीवन नहीं बचा सका। "आखिर ऐसा धन-दौलत किस काम का जब मैं जरुरतमन्द की मदद करने में ही असमर्थ रहा।" उसके मन में बार-बार यही विचार आ रहा था।

सेठ करोड़ीमल भागते हुए उस स्थान पर पहुँचा जहाँ उस रोगी व्यक्ति का शव पड़ा था। पास ही उसकी थैली में एक-दो सूखी रोटियाँ भी पड़ी थी। उसके साथ ही नोटों की एक गड्डी भी उसकी थैली से बाहर झाँकती प्रतीत हो रही थी। सेठ जी तुरंत भांप गए कि यह उनके द्वारा दी गई गड्डी ही है। परंतु सेठ करोड़ीमल जी की हिम्मत न हुई कि आगे बढ़कर वह अपने द्वारा उस व्यक्ति को दिए गए पैसों को छू भी सके जिससे कभी उसे अत्यधिक मोह हुआ करता था।

पश्चाताप की भावना से उसका मन भर गया। उसका गला रूँध गया। एक बात तो साफ थी अब उसकी समझ में यकीनन यह बात आ गई कि इतना धन-दौलत कमाने के बाद भी क्यों अब तक उसे सुकून

नहीं मिला। धन-दौलत कमाने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि उसे मानसिक शांति भी प्राप्त हो जाए। अपितु कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं पहुँचता लेकिन मन को बहुत सुकून मिलता है। असलियत में ऐसे कर्म अनमोल हैं।

तत्पश्चात सेठ करोड़ीमल ने मन ही मन यह प्रण ले लिया कि अब सिर्फ स्वयं के लिए नहीं जीना है। "बहुत जी लिया स्वयं के लिए। इतना धन-धान्य इकट्ठा किया पर सब कुछ जैसे बेकार-सा लगता है।" अब सेठ करोड़ीमल को यह बात शीशे की तरह साफ लगने लगी कि-

"परहित सरिस धर्म नहि भाई,
पर पीड़ा सम नहि अधमाई।"

(श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड)

अर्थात् दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है तथा दूसरों को दुःख पहुँचाने के समान कोई अधर्म (पाप) नहीं है।

सेठ करोड़ीमल ने तो मन ही मन यह बात ठान ली थी कि अब बाकी का जीवन परोपकार को ही समर्पित करना है। यह बात जब उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों के समक्ष रखी तो सबने सेठ करोड़ीमल जी के इस निर्णय की काफी सराहना की। सेठानी के मन में अब बस एक चिंता थी कि इस परोपकार व परहित के चक्कर में सेठ जी कहीं अपना सब धन-धान्य ही दांव पर न लगा दें।

हल्की सी मुस्कान के साथ सेठ करोड़ीमल ने उन्हें ढाढ़स बँधाया कि "सब कुछ अब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो भाग्यवान"। जब उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा तो बाकी निर्वहन भी वही करेंगे। ऐसा कहा भी गया है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य के अंदर

विराजमान उस परम शक्ति का ही सबसे पहले ध्यान करना है। सेठ करोड़ीमल के इस बदले हुए रवैये को देख कर उस इलाके के सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे।

कुछ समय के पश्चात सेठ करोड़ीमल तो 'परोपकारी सेठ करोड़ीमल' के नाम से विख्यात हो गया। अब तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई भी सेठ जी के द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था। उनके दरवाजे पर भूखों को अन्न तथा प्यासों को जल सदैव प्रदान किया जाता, सभी जरूरतमंदों की पूरी सहायता की जाती, और रही बात सेठ करोड़ीमल के धन वैभव की, तो उसमें कमी नहीं हुई बल्कि और भी बढ़ोत्तरी होती चली गई। कहा भी गया है कि----

"कहें हाथ का मैल धन, ऋषि मुनि गुणगान।
घटता बढ़ता धन सदा, कर्म प्रधान भगवान॥"

हिन्दी के मुहावरे तथा उनके अर्थ

19.	गुरू गुड़ रहा चेला, शक्कर हो गया	जब शिष्य गुरू से बढ़ जाता है तब ऐसा कहते हैं।
20.	घूँघट का पट खोलना	अज्ञान का पर्दा दूर करना।
21.	घोड़ा बेचकर सोना	खूब निश्चिन्त होकर सोना।
22.	घोल कर पी जाना	किसी चीज का अस्तित्व न रहने देना।
23.	घायल की गति घायल जाने	दुःखी व्यक्ति की हालत दुःखी व्यक्ति ही जानता है।

मेरा मन

श्री हिमांशु काश्यप धर्मदर्शी,
प्रधान महालेखाकार

होटल के कैफेटेरिया में सुबह नाश्ता करते वक़्त मुझे संगीत की आवाज़ सुनाई दी और ऐसा लगा मानो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ऊँची है और कानों में बज रही है...मुझे लगा कि लोगों ने ऊँची आवाज़ में कोई इंस्ट्रूमेन्टल सीडी (instrumental CD) चला रखी होगी। कौनसा वाद्य यन्त्र बज रहा है, यह भी मुझे समझ में नहीं आया।

एक बार तो ऐसा लगा कि जाकर कहूँ कि आवाज़ थोड़ी धीमी कर दें। लेकिन फिर लगा कि शायद बाकी लोगों के लिए यह आवाज सामान्य हो। इसलिए मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए नाश्ता करना शुरू कर दिया।

हालाँकि आवाज़ मेरे कान में लगातार आ रही थी। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि वह आवाज़ पास के ही किसी कोने से ही आ रही है। नाश्ते की दूसरी सर्विंग के लिए जब मैं दोबारा गया तो मेरी नज़र ऊँची-सी कुर्सी पर बैठे एक युवक पर पड़ी जो बड़ी ही तल्लीनता से बाँसुरी बजा रहा था। कितना अजीब है न! इतनी ऊँची आवाज़ तो मुझे सुनाई दी, मगर वह युवक मुझे पहले नज़र नहीं आया। इसे क्या कहूँ? आसपास के माहौल से अनभिज्ञता या फिर निर्दोष अज्ञानता!

हे भगवान! अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बुद्धिमानी का नमूना पेश करते हुए किसी से आवाज धीमी करवाने का आग्रह नहीं किया। उस युवक को देखने के बाद अब इस आवाज़ के प्रति मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया था- आवाज़ अब भी उतनी ही ऊँची थी लेकिन अब वह मधुर लग रही थी

उसकी अनुमति लेकर, बाँसुरी बजाते उस युवक का एक छोटा-सा वीडियो भी ले लिया ताकि इस घटना की याद बनी रहे।

कहा जाता है कि हमारी औसत आयु लगभग 80 वर्ष है। बारिश के दिनों में ज़मीन से बाहर निकलने वाले कीट-पतंगों का जीवनकाल तो मात्र 24 घंटे का ही होता है। हमारी धरती की उम्र लगभग 4,50,00,000 वर्ष से भी अधिक है, और जिसे हम जानते हैं वह ब्रह्माण्ड लगभग 13,80,00,000 वर्ष पुराना है। ब्रह्माण्ड की आयु की तुलना में हमारी आयु उन बरसाती कीट-पतंग जितनी ही है, बिल्कुल नगण्य। पलक झपकते ही खत्म हो जाती है। फिर भी हमारे पास समय नहीं है, कुछ क्षण रुक कर अपने आस-पास का अवलोकन करने का।

हमारे पास समय नहीं है। हम अपने आस-पास के लोगों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बस चंद घड़ियों के लिए उन्हें देख-सुन कर उनके बारे में कुछ सोच लेते हैं। उन्हें सच में देखने और जानने का प्रयास करना हमें पसंद नहीं है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी की बात सुनने के लिए नहीं बल्कि उसकी बात के जवाब में अपनी बात कहने के उद्देश्य से सुनते हैं। जबकि ज़्यादातर समय तो सुनने की ही आवश्यकता होती है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे दो व्यक्तियों के बीच कोई भी संवाद टीवी शो में चल रही बहस हो। यहाँ सभी को बस अपनी बात कहने में ही रूचि है। बोलने में और अपनी बात दूसरों पर थोपने में। कई बार ऐसा होता है कि जब भी मैं कुछ कहने लगता हूँ तो इससे पहले ही कि मेरी बात ख़त्म हो, सामने वाला व्यक्ति या तो अपना कोई अनुभव सुनाने लगता है या फिर मेरी बात पर कोई सलाह मशवरा देने लगता है, और मेरी मूल बात तो किनारे पर ही रह जाती है। सच में कितने लोग पूरा ध्यान देकर दूसरों की बात सुनते हैं? कवि गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर ने एक गीत लिखा है।

तुमि केमोन कोरे गान करो, हे गुणी!
आमि आवाक होए शुनि, केवल शुनि।

हे गुणी! तुम कैसा सुंदर गाते हो, मैं अवाक होकर सुन रहा हूँ, केवल सुन रहा हूँ।

ज़िंदगी में भी कितनी सारी आवाज़ें मुझे अस्वीकार्य, शोर-गुल भरी और कर्कश लगती हैं- क्या इन सब आवाज़ों के प्रति भी मुझे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा? और मुझे केवल सुनने की नहीं, बल्कि अपने हृदय पर कान लगाकर उनकी आवाज़ सुनने की जरूरत है।

श्री राहुल कुमार, व. उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा) तथा
श्री ललित कुमार विमल, उप महालेखाकार (लेखा व हकदारी)
के विदाई समारोह के आयोजन का एक दृश्य

त्रिपुरा राज्य के विशिष्ट आध्यात्मिक एवं पर्यटन स्थल

त्रिपुरा राज्य के वैशिष्ट्य को व्यक्त करती हुयी इस विशेष श्रृंखला की प्रथम कड़ी में आपको निम्नलिखित मंदिर का परिचय दिया जा रहा है।

चतुर्दश देवता मंदिरः यह मंदिर पुराने अगरतला में हवेली से लगभग आठ किमी की दूरी पर अवस्थित है। इसका निर्माण महाराजा कृष्ण किशोर माणिक्य ने 18वीं शताब्दी में करवाया था जोकि माता दुर्गा, भगवान शिव, विष्णु और अन्य विभिन्न देवताओं के भक्तों हेतु एक अद्भुत और रमणीक स्थल है। यह मंदिर कालचक्र से परे, हर समय उपासकों और भक्तों का स्वागत करने में अग्रणी है। इस मंदिर के स्थापत्य पर हिन्दू एवं अरबी वास्तुशिल्पों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इस स्थान पर त्रिपुरा का अतिप्रसिद्ध व स्थानीय एवं जनजातीय त्योहार ***खरची पूजा*** उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव हर वर्ष जुलाई माह में भव्य रूप से आयोजित किया जाता है जोकि लाखों की संख्या में सभी धर्मों के आम व विशिष्ट जन को आकर्षित करता है। यह आयोजन इस स्थल में अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रबल संचारक है।

राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान

संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी,1950 से संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा बनी। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह उल्लिखित है कि भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तत्पश्चात् राष्ट्रपति जी ने सन् 1952 तथा 1955 और 27 अप्रैल, 1960 को राजभाषा हिंदी से सम्बंधित विस्तृत आदेश जारी किए। तदुपरांत संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8 की शक्तियों का प्रयोग कर राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) बना। राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमों से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है-

राजभाषा अधिनियम धारा, 1963 (यथासंशोधित, 1967) की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किये जाने वाले कागजातः

निम्नलिखित दस्तावेज आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जायें- **संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनायें, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र, संविदाओं और करारों का निष्पादन, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र और निविदा के लिए नोटिस और प्रारूप।**

राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987, 2007, 2011) के प्रमुख नियमः

नियम 5- हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दी में दिया जानाः हिंदी में पत्र आदि का उत्तर चाहे वे किसी भाषा क्षेत्र से प्राप्त हों और किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिया जाए।

नियम 6- हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोगः अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाए एवं ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

नियम 7- आवेदन, अभ्यावेदन आदि की भाषाः कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में करता है या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर करता है तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए।

नियम 7 (3)– सेवा संबंधी आदेश या सूचनाः यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई भी है) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसको कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, हिन्दी या अंग्रेजी में होना चाहिए, तो वह उसे किसी विलम्ब के बिना उसी भाषा में दिया जाए।

नियम 8- नियम बनाने की शक्तिः

1. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

2. इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम 9- हिन्दी में प्रवीणताः यदि किसी कर्मचारी ने

1 मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या

2 स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

3 यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

नियम 10- हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञानः

यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

1. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

3. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

नियम 10 (4) एवं 8 (4)

केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों को जिनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो राजभाषा नियम 10 (4) के अधीन अधिसूचित किए जा चुके हैं, विनिर्दिष्ट कर सकती है कि उनमें ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत टिप्पण,प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

नियम 11- मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदिः

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक

रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

नियम 12- अनुपालन का उत्तरदायित्वः

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह-

   i. यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

   ii. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे।

2. केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

राजभाषा संबंधी भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का संक्षिप्त परिचयः

अनुच्छेद 343- संघ की भाषा

अनुच्छेद 344- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

अनुच्छेद 345- राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद 346- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

अनुच्छेद 347- किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 348- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियम, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा।

अनुच्छेद 349- भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया।

अनुच्छेद 350- व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा।

अनुच्छेद 351- हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

अनुच्छेद 120- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 210- विधानमण्डल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

जमातिया जनजाति

"जमातिया त्रिपुरा का एक आदिवासी समूह है, जिसमें मंगोलॉयड मूल प्रजाति की विशिष्ट विशेषतायें हैं। इनकी भाषा भी त्रिपुरियों से मिलती-जुलती है। इसलिए वे कोकबोरोक में बातचीत करते हैं, जो तिब्बती-बर्मन परिवार की भाषा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में उनकी जनसंख्या 83,347 है। जमातिया त्रिपुरा राज्य की शाही सेना में मुख्य शक्ति थे जिसके लिए उन्हें राजाओं के शासनकाल में गृह कर से छूट दी गई थी। वर्तमान में उनमें से अधिकांश समतल भूमि पर खेती के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों पर भी निर्भर हैं। जमातिया हिंदू हैं और उन्होंने शक्ति-साधना और वैष्णववाद को अपनाया है।"

जमातिया अपनी पारंपरिक लोक संस्कृति जैसे नाटक, गरिया त्योहार और कोकबोरोक भाषी जनजातियों के अन्य सामान्य नृत्यों के शौकीन हैं। इनका **'गरिया'** नृत्यकला का एक विशेष रूप है।

उनाकोटि त्रिपुरा राज्य में उनाकोटि जिले के कैलाशहर उपखण्ड में स्थित एक ऐतिहासिक व पुरातात्विक हिन्दू तीर्थस्थल है।

यहाँ भगवान शिव को समर्पित मूर्तियाँ और स्थापत्य कला के नमूने हैं। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव समेत एक करोड़ देवी-देवता कहीं जा रहे थे। रात हो जाने के कारण देवी-देवताओं ने शिवजी से उनाकोटि में रुक कर विश्राम करने को कहा। शिवजी मान गए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूर्योदय से पहले ही सभी को यह स्थान छोड़ देना होगा, लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जग पाए, बाकी के सभी देवी-देवता सो रहे थे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर का बना दिया। इसी वजह से यहाँ 99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियाँ हैं, यानी एक करोड़ से एक कम (भगवान शिव को छोड़कर)। इन रहस्यमयी मूर्तियों के कारण ही इस जगह का नाम उनाकोटि पड़ा है, जिसका अर्थ होता है: एक करोड़ में एक कम।